सूचना विवरण पुस्तिका

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005

उत्तराखण्ड सरकार

मैनुअल–11

(खण्ड–v)

वर्ष 2011–12 से 2016 तक

निदेशालय

प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड

ननूरखेड़ा(तपोवन)देहरादून।

क्र0 सं0	पत्रांक संख्या/आदेश संख्या/दिनांक	विषय	पृष्ठ सं0
1.	पत्रांक- अर्थ-2/29429-36/5क(01)/07/2014-15 दिनांक 31 मार्च, 2015	सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014-15 के अन्तर्गत धनराशि अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।	1-3
2.	पत्रांक- अर्थ-2/24445-52/5क(02)/06/2014-15 दिनांक 31 मार्च, 2015	वित्तीय वर्ष 2014-15 में प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत योजनाओं में अतिरिक्त धनराशि की स्वीकृति।	4-5
3.	पत्रांक- अर्थ-2/29361-67/5क(02)/06/2014-15 दिनांक 30 मार्च, 2015	वित्तीय वर्ष 2014-15 में प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत योजनाओं में अतिरिक्त धनराशि की स्वीकृति।	6-7
4.	पत्रांक- अर्थ-2/29321-27/5क(02)/06/2014-15 दिनांक 30 मार्च, 2015	वित्तीय वर्ष 2014-15 में प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत योजनाओं में अतिरिक्त धनराशि की स्वीकृति।	8-9
5.	पत्रांक- अर्थ-2/29210-16/5क(02)/06/2014-15 दिनांक 28 मार्च, 2015	वित्तीय वर्ष 2014-15 में प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत योजनाओं में अतिरिक्त धनराशि की स्वीकृति।	10-11
6.	पत्रांक- अर्थ-2/29217-22/5क(02)/14/2014-15 दिनांक 28 मार्च, 2015	वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा-12 (1) (सी0) के अन्तर्गत अध्ययनरत एवं नवीन प्रवेशित बच्चों के प्रतिपूर्ति व्यय हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।	12-13
7.	पत्रांक- अर्थ-2/29191-97/5क(02)/07/2014-15 दिनांक 27 मार्च, 2015	के0जी0बी0वी0 छात्रावासों में कार्यरत् अल्पकालिक शिक्षिकाओं के मानदेय के भुगतान हेतु वाँछित अतिरिक्त राज्यांश की स्वीकृति के सम्बन्ध में।	14-15
8.	पत्रांक- अर्थ-2/28926-31/5क(02)/03/2014-15 दिनांक 25 मार्च, 2015	वित्तीय वर्ष 2014-15 में प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय हेतु धनराशि की स्वीकृति।	16-17
9.	पत्रांक- अर्थ-2/28935-40/5क(02)/05/2014-15 दिनांक 25 मार्च, 2015	वित्तीय वर्ष 2014-15 में प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक (प्रा0शि0) कार्यालय के संचालन हेतु धनराशि की स्वीकृति।	18-19
10.	पत्रांक- अर्थ-2/28941-45/5क(02)/04/2014-15 दिनांक 25 मार्च, 2015	वित्तीय वर्ष 2014-15 में अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूलों तथा सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के सम्बद्ध प्राइमरी प्रभाग में कार्यरत शिक्षकों/कर्मचारियों के वेतन भुगतान हेतु धनराशि की स्वीकृति।	20-21

11.	पत्रांक- अर्थ-2/28918-28/5क(02)/09/2014-15 दिनांक 25 मार्च, 2015	वित्तीय वर्ष 2014-15 में महिला समाख्या योजना हेतु धनराशि अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।	22-25
12.	पत्रांक- अर्थ-2/28932-36/5क(02)/06/2014-15 दिनांक 25 मार्च, 2015	वित्तीय वर्ष 2014-15 में प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं में अतिरिक्त धनराशि की स्वीकृति	26-27
13.	पत्रांक- अर्थ-2/28521-26/5क(02)/06/2014-15 दिनांक 20 मार्च, 2015	वित्तीय वर्ष 2014-15 में प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत योजनाओं में अतिरिक्त धनराशि की स्वीकृति।	28-29
14.	पत्रांक- अर्थ-2/28463-68/5क(02)/04/2014-15 दिनांक 19 मार्च, 2015	वित्तीय वर्ष 2014-15 में अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूलों में कार्यरत शिक्षकों/ कर्मचारियों के वेतन भुगतान हेतु धनराशि की स्वीकृति।	30-31
15.	पत्रांक- अर्थ-2/28475-80/5क(02)/06/2014-15 दिनांक 19 मार्च, 2015	वित्तीय वर्ष 2014-15 में प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं में अतिरिक्त धनराशि की स्वीकृति।	32-33
16.	पत्रांक- अर्थ-2/28158-62/5क(02)/06/2014-15 दिनांक 16 मार्च, 2015	वित्तीय वर्ष 2014-15 में प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं में अतिरिक्त धनराशि की स्वीकृति।	34-35
17.	पत्रांक- अर्थ-2/28084-89/5क(01)/07/2014-15 दिनांक 14 मार्च, 2015	सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014-15 के अन्तर्गत केन्द्रांश की प्राप्त द्वितीय किस्त के साथ राज्यांश जोड़कर कुल धनराशि (राज्यांश + केन्द्रांश) अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।	36-37
18.	पत्रांक- अर्थ-2/27332-40/5क(02)/04/2014-15 दिनांक 28 फरवरी, 2015	वित्तीय वर्ष 2014-15 में अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूलों तथा सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के सम्बद्ध प्राइमरी प्रभाग में कार्यरत शिक्षकों/कर्मचारियों के वेतन भुगतान हेतु धनराशि की स्वीकृति।	38-39
19.	पत्रांक- अर्थ-2/27260-65/5क(02)/06/2014-15 दिनांक 27 फरवरी, 2015	वित्तीय वर्ष 2014-15 में प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं में अतिरिक्त धनराशि की स्वीकृति।	40-41
20.	पत्रांक- अर्थ-2/27266-73/5क(02)/05/2014-15 दिनांक 27 फरवरी, 2015	वित्तीय वर्ष 2014-15 में प्रारम्भिक शिक्षा के अर्न्तगत मण्डलीय अपर शिक्षा निदेश (प्रा0शि0) कार्यालय एवं शिक्षा शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0) कार्यालय के संचालन हेतु धनराशि की स्वीकृति।	42

21.	पत्रांक- अर्थ-2/26867-72/5क(02)/12/2014-15 दिनांक 23 फरवरी, 2015	शैक्षिक सत्र 2014-15 के में प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत द्वितीय अनुपूरक मांग में खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन हेतु धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में।	43-44
22.	पत्रांक- अर्थ-2/20665-70/5क(02)/07/2014-15 दिनांक 05 फरवरी, 2015	सर्व शिक्षा अभियान के कार्यक्रम संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2014-15 में 13 वें वित्त आयोग द्वारा संस्तुत धनराशि को अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।	45-46
23.	पत्रांक- अर्थ-2/19467-72/5क(02)/21/2014-15 दिनांक 17 जनवरी, 2015	वित्तीय वर्ष 2014-15 में ई-पोर्टल (एजूकेशन पोर्टल) हेतु धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में।	47-48
24..	पत्रांक- अर्थ-2/19421-26/5क(02)/14/2014-15 दिनांक 15 जनवरी, 2015	वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा-12 (1) (सी0) के अन्तर्गत अध्ययनरत एवं नवीन प्रवेशित बच्चों के प्रतिपूर्ति व्यय हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।	49-50
25.	पत्रांक- अर्थ-2/19314-19/5क(02)/06/2014-15 दिनांक 14 जनवरी, 2015	वित्तीय वर्ष 2014-15 में प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं में अतिरिक्त धनराशि की स्वीकृति।	51-52
26.	पत्रांक- अर्थ-2/31774-80/5क(02)/04/2014-15 दिनांक 13 जनवरी, 2015	वित्तीय वर्ष 2014-15 में अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूलों तथा सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के सम्बद्ध प्राइमरी प्रभाग में कार्यरत शिक्षकों/कर्मचारियों के वेतन भुगतान हेतु धनराशि की स्वीकृति।	53-54
27.	पत्रांक- अर्थ-2/31766-73/5क(02)/05/2014-15 दिनांक 13 जनवरी, 2015	वित्तीय वर्ष 2014-15 में प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक (प्रा0शि0) कार्यालय एवं जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0) कार्यालय के संचालन हेतु धनराशि की स्वीकृति।	55-56
28.	पत्रांक- अर्थ-2/19219-25/5क(02)/03/2014-15 दिनांक 12 जनवरी, 2015	वित्तीय वर्ष 2014-15 में प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय हेतु धनराशि की स्वीकृति।	57-58
29.	पत्रांक- अर्थ-2/18084-07/5क(02)/09/2014-15 दिनांक 19 दिसम्बर, 2014	किचन उपकरणों/बर्तनो को बदलने एवं मध्यान्ह भोजन योजना के नियमित कार्यों हेतु अवमुक्त केन्द्रांश के अनुक्रम में राज्यांश की धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।	59-60
30.	पत्रांक- अर्थ-2/17666-66/5क(02)/09/2014-15 दिनांक 12 दिसम्बर, 2014	वित्तीय वर्ष 2014-15 में महिला समाख्या योजना हेतु धनराशि अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।	61-62

31.	पत्रांक- अर्थ-2/17321-33/5क(02)/04/2014-15 दिनांक 05 दिसम्बर, 2014	शैक्षिक सत्र 2014-15 में अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूलों तथा सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के सम्बद्ध प्राइमरी प्रभाग में कार्यरत शिक्षकों/कर्मचारियों के वेतन भुगतान हेतु धनराशि की स्वीकृति।	63-64
32.	पत्रांक- अर्थ-2/17053-60/5क(02)/09/2014-15 दिनांक 01 दिसम्बर, 2014	सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014-15 के अन्तर्गत अवमुक्त प्रथम किस्त के साथ राज्यांश की धनराशि अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।	65
33.	पत्रांक सं0- 1221/XXIV/2014-11/2014 टी0सी0 शिक्षा अनुभाग- 1 (बेसिक) देहरादून दिनांक 29 नवम्बर, 2014	सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014-15 के अन्तर्गत अवमुक्त प्रथम किस्त के साथ राज्यांश की धनराशि अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।	66-70
34.	पत्रांक- अर्थ-2/13764-70/5क(02)/06/2014-15 दिनांक 12 नवम्बर, 2014	वित्तीय वर्ष 2014-15 में प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं में अतिरिक्त धनराशि की स्वीकृति।	71-72
35.	पत्रांक- अर्थ-2/13479-87/5क(02)/05/2014-15 दिनांक 14 नवम्बर, 2014	वित्तीय वर्ष 2014-15 में प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक (प्रा0शि0) कार्यलय एवं जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा0शि0) कार्यालय के संचालन हेतु धनराशि की स्वीकृति।	73-74
36.	पत्रांक- अर्थ-2/13177-82/5क(02)/09/2014-15 दिनांक 31 अक्टूबर, 2014	राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण उत्तराखण्ड के अन्तर्गत 06 जनपदों में साक्षर भारत कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु वर्ष 2014-15 में केन्द्रांश के सापेक्ष राज्यांश की धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।	75
37.	पत्रांक- अर्थ-2/2726-31/5क(02)/06/2014-15 दिनांक 16 अक्टूबर, 2014	वित्तीय वर्ष 2014-15 में प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं में अतिरिक्त धनराशि की स्वीकृति।	76-77
38.	पत्रांक- अर्थ-2/12716-22/5क(01)/12/2014-15 दिनांक 18 अक्टूबर, 2014	वित्तीय वर्ष 2014-15 में प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत होने वाली खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन हेतु धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में।	78
39.	पत्रांक- अर्थ-2/12569-75/5क(02)/05/2014-15 दिनांक 15 अक्टूबर, 2014	वित्तीय वर्ष 2014-15 में प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक (प्रा0शि0) कार्यालय एवं जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0) कार्यालय के संचालन हेतु धनराशि की स्वीकृति।	79-80

40.	पत्रांक- अर्थ-2/11551-58/5क(02)/09/2014-15 दिनांक 22 सितम्बर, 2014	वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए मध्यान्ह भोजन योजना के अन्तर्गत प्रथम किश्त की अवशेष धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।	81-82
41.	पत्रांक- अर्थ-2/11368-75/5क(02)/09/2014-15 दिनांक 19 सितम्बर, 2014	प्रदेश में संचालित मध्यान्ह भोजन योजना के अन्तर्गत कार्यरत भोजनमाताओं को प्रोत्साहन धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में।	83-84
42.	पत्रांक- अर्थ-2/11016-11047/5क(02)/05/2014-15 दिनांक 15 सितम्बर, 2014	वित्तीय वर्ष 2014-15 में प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक (प्रा0शि0) कार्यालय एवं जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0) कार्यालय के संचालन हेतु धनराशि की स्वीकृति।	85-86
43.	पत्रांक- अर्थ-2/11048-52/5क(02)/06/2014-15 दिनांक 15 सितम्बर, 2014	वित्तीय वर्ष 2014-15 में प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं में अतिरिक्त धनराशि की स्वीकृति।	87-88
44.	पत्रांक- अर्थ-2/10902-09/5क(02)/09/2014-15 दिनांक 11 सितम्बर, 2014	सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2013-14 मे अवमुक्त केन्द्रांश के सापेक्ष कम अवमुक्त अवशेष राज्यांश (Short Fall) की धनराशि रुपये 488.79 लाख अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।	89-90
45.	पत्रांक- अर्थ-2/ /5क(02)/05/2014-15 दिनांक 31 अगस्त 2014	वित्तीय वर्ष 2014-15 में प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक (प्रा0शि0) कार्यालय एवं जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0) कार्यालय के संचालन हेतु धनराशि की स्वीकृति।	91-92
46.	पत्रांक- अर्थ-2/ /5क(02)/06/2014-15 दिनांक अगस्त 2014	वित्तीय वर्ष 2014-15 में प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं में अतिरिक्त धनराशि की स्वीकृति।	93-95
47.	पत्रांक- अर्थ-2/7747-54/5क(02)/09/2014-15 दिनांक 24 जुलाई, 2014	वित्तीय वर्ष 2014-15 में महिला समाख्या योजना हेतु धनराशि अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।	96-97
48.	पत्रांक- अर्थ-2/7209-16/5क(02)/06/2014-15 दिनांक 17 जुलाई, 2014	वित्तीय वर्ष 2014-15 में प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं में अतिरिक्त धनराशि की स्वीकृति।	98-99
49.	पत्रांक- अर्थ-2/7272-77/5क(02)/06/2014-15 दिनांक 15 जुलाई, 2014	वित्तीय वर्ष 2014-15 में प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत शिक्षा मित्रों के मानदेय भुगतान हेतु धनराशि की स्वीकृति।	100-101
50.	पत्रांक- अर्थ-2/6451-56/5क(02)/09/2014-15 दिनांक 05 जुलाई, 2014	वित्तीय वर्ष 2014-15 में राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण हेतु प्रबन्धन मद में बजट स्वीकृति के सम्बन्ध में।	102

51.	पत्रांक- अर्थ-2/5933-39/5क(02)/09/2014-15 दिनांक 27 जून, 2014	वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए सर्व शिक्षा अभियान योजनान्तर्गत अवमुक्त केन्द्रांश के सापेक्ष राज्यांश की धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।	103-104
52.	पत्रांक- अर्थ-2/5157-66/5क(02)/09/2014-15 दिनांक 10 जून, 2014	वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए मध्यान्ह भोजन योजना के अन्तर्गत धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।	105-106
53.	पत्रांक- अर्थ-2/2081-86/5क(02)/06/2014-15 दिनांक 13 मई, 2014	वित्तीय वर्ष 2014-15 में प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं में धनराशि की स्वीकृति।	107-108
54.	पत्रांक- अर्थ-2/1291-96/5क(02)/03/2014-15 दिनांक 28 अप्रैल 2014	वित्तीय वर्ष 2014-15 में प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय हेतु धनराशि की स्वीकृति।	109-110
55.	पत्रांक- अर्थ-2/1277-87/5क(02)/04/2014-15 दिनांक 26 अप्रैल, 2014	वित्तीय वर्ष 2014-15 में अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूलों तथा सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के सम्बद्ध प्राइमरी प्रभाग में कार्यरत शिक्षकों/कर्मचारियों के वेतन भुगतान हेतु धनराशि की स्वीकृति।	111-112

प्रेषक,

बजट आवंटन

निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा तपोवन रोड देहरादून

सेवा में,

आहरण वितरण अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय,
ननूरखेड़ा तपोवन रोड देहरादून।

पत्रांक– अर्थ–2/ 29429-36/5क(01)/07/2014–15 दिनांक 31 मार्च, 2015

विषयः– सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014–15 के अन्तर्गत धनराशि अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 486/XXIV(1)/2015–11/2014 टी0सी0। दिनांक 30 मार्च 2015 द्वारा सर्व शिक्षा अभियान योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014–15 में अनुदान स0–30 (एस0सी0एस0पी0) में कुल धनराशि रू0 **18,68,34,000/** अवमुक्त की गयी है। अवमुक्त धनराशि में से संलग्नक में उल्लिखित विवरणानुसार कुल रू0 **18,68,34,000/ (रुपये अठारह करोड़ अढ़सठ लाख चौंतीस हजार मात्र)** शासनादेश में उल्लिखित शर्तों तथा प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखते हुए व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

1– वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 318/XXVII(1)/2014 दिनांक 18.03.2014 में वर्णित शर्तों का अनुपालन वित्तीय वर्ष 2014–15 के आय–व्यय की निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय में सुनिश्चित किया जायेगा।

2– वित्त विभाग उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्याः 183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च 2012 में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार धनराशि पृथक आलटमैंट आई0डी0 के अन्तर्गत साफ्टवेयर के माध्यम से आनलाइन अवमुक्त कर दी गयी है, जिसकी अलाटमैंट आई0डी0 संलग्न की जा रही हैं। धनराशि आहरण/व्यय किये जाने हेतु उक्त शासनादेश में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

3– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014–15 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–11, 30 एवं 31 के अधीन लेखाशीर्षक 2202–01–प्रारम्भिक शिक्षा के अधीन संलग्नक में उल्लिखित संबन्धित व्यौरेवार शीर्षक/सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

संलग्न– अलाटमैंट आई0डी0।

भवदीय,

(अमिता जोशी)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ0सं0– अर्थ–2/29429-36/5क(01)/07/2014–15 उक्त दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– महालेखाकार उत्तराखण्ड ओबराय भवन पटेलनगर देहरादून।
2– सचिव, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन, शिक्षा अनुभाग–1 देहरादून।
3– महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड।
4– राज्य परियोजना निदेशक, उत्तराखण्ड सभी के लिए शिक्षा परिषद, देहरादून, उत्तराखण्ड।
5– वरिष्ठ कोषाधिकारी/ कोषाधिकारी साइबर कोषागार देहरादून।
6– सूचना प्रकोष्ठ शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड।

(अमिता जोशी)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

1 OIC

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - 20142015

Director Elementary Education (4514)

आवंटन पत्र संख्या -

अलोटमेंट आई डी - H1503304837

अनुदान संख्या - 030

आवंटन पत्र दिनांक -31-Mar-2015

DDO Name - Director Elementry Education (4514) , Treasury - Cpao (1200)

लेखा शीर्षक	2202 - सामान्य शिक्षा	01 - प्रारम्भिक शिक्षा
	800 - अन्य व्यय	
	01 - सर्व शिक्षा अभियान	01 - केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र पुरोनिधानित योजनाएँ

Plan Voted

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	योग
20 - सहायक अनुदान/अंशदान/राज	750490000	186834000	937324000
	750490000	186834000	937324000

Total Current Allotment To DDO In Above Schemes - 186834000

वित्त नियंत्रक
विद्यालयी शिक्षा
उत्तराखण्ड

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - 20142015

Director Elementary Education (4514)

आवंटन पत्र संख्या -

अलोटमेंट आई डी - H1503304837

अनुदान संख्या - 030

आवंटन पत्र दिनांक -31-Mar-2015

DDO Name - Director Elementry Education (4514) , Treasury - Cpao (1200)

लेखा शीर्षक	2202 - सामान्य शिक्षा	01 - प्रारम्भिक शिक्षा
	800 - अन्य व्यय	01 - केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र पुरोनिधानित योजनाएँ
	01 - सर्व शिक्षा अभियान	

Plan Voted

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	योग
20 - सहायक अनुदान/अंशदान/राज	750490000	186834000	937324000
	750490000	186834000	937324000

Total Current Allotment To DDO In Above Schemes - 186834000

वित्त नियंत्रक
विद्यालयी शिक्षा
उत्तराखण्ड

प्रेषक,

बजट आवंटन

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा तपोवन रोड देहरादून।

सेवा में,

वित्त अधिकारी, शिक्षा
जनपद

पत्रांक– अर्थ–2/ 24445-52 /5क(02)/06/2014–15 दिनांक: 31 मार्च, 2015

विषयः– वित्तीय वर्ष 2014–15 में प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत योजनाओं में अतिरिक्त धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

शासनादेश संख्याः 475/XXIV(1)/2014–11/2014 दिनांक 10 अप्रैल 2014 एवं संख्या 129/XXIV(1)/2015–11/2014 दिनांक 24 फरवरी 2015 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए विभिन्न मदों में व्यय की स्वीकृति प्रदान की गयी है। स्वीकृत धनराशि में से बेसिक शिक्षा परिषद का राजकीयकरण के अन्तर्गत कार्यरत अध्यापकों के वेतनादि हेतु संलग्न विवरणानुसार धनराशि आपके निवर्तन पर रखने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

1– वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 318/XXVII(1)/2013, दिनांक 18.03.2014 एवं संख्या 1055/XXVII(1)/2014, दिनांक 30.12.2014 की शर्तों का अनुपालन वित्तीय वर्ष 2014–15 के आय–व्यय की निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय में सुनिश्चित किया जायेगा।

2– योजनाओं की विभिन्न मदों पर व्यय शासन के वर्तमान नियमों एवं आदेशों के अनुरूप ही किया जायेगा तथा जहां आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की पूर्व सहमति/स्वीकृति प्राप्त की जाय अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनधिकृत व्यय न किया जाय। मितव्ययता के सम्बन्ध में जारी किये गये शासनादेशों अथवा भविष्य में जारी होने वाले शासनादेशों का विशेष रूप से पालन किया जायेगा। कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले देयको पर लेखा शीर्षक के साथ–साथ अनुदान संख्या तथा आयोजनागत/आयोजनेत्तर का उल्लेख भी किया जाये।

3– वित्त विभाग उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्याः 183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च 2012 में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार धनराशि पृथक आलटमैंट आई0डी0 के अन्तर्गत सौफटवेयर के माध्यम से आनलाइन अवमुक्त कर दी गयी है। धनराशि आहरण/व्यय किये जाने हेतु उक्त शासनादेश में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जाय। आई0डी0 के अंकन से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि संलग्न आवंटन आपको ही हुआ है, यदि अन्य आहरण वितरण अधिकारी का आवंटन आपको प्राप्त होता है तो उसे अंकित न कराया जाय और तत्काल निदेशालय को वापस किया जाय।

4– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014–15 के आय व्ययक में अनुदान संख्या–11, आयोजनेत्तर के अधीन लेखाशीर्षक 2202–सामान्य शिक्षा, 01–प्रारम्भिक शिक्षा, के अन्तर्गत संलग्नक में उल्लिखित सुसंगत ब्यौरेवार शीर्षक/प्राथमिक इकाइयों के नामें डाला जायेगा।

संलग्न– आवंटन आई0डी0।

भवदीय,

(अमिता जोशी)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ0सं0– अर्थ–2/ 24445-52 /5क(02)/06 /2014–15/दिनांक उक्तवत् ।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– महालेखाकार उत्तराखण्ड ओबराय भवन पटेलनगर देहरादून।
2– संयुक्त सचिव, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन, शिक्षा अनुभाग–1 देहरादून।
3– उप निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।
4– मुख्य शिक्षा अधिकारी सम्बन्धित जनपद।
5– सम्बन्धित कोषाधिकारी ।
6– प्रभारी एम0आई0एस0 प्रकोष्ठ शिक्षा निदेशालय।
7– सूचना प्रकोष्ठ शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड।

(अमिता जोशी)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

O/C

1– बेसिक शिक्षा परिषद का राजकीयकरण

(रू0 हजार में)

क्र0	जनपद/का0 का नाम	03—मा00भा0	योग
1	उत्तरकाशी	300	300
	योग	300	300
	उपलब्ध राशि	753832	753832
	शेष	753532	753532

प्रेषक,

बजट आवंटन

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा तपोवन रोड देहरादून।

सेवा में,

वित्त अधिकारी, शिक्षा हरिद्वार
जनपद

पत्रांक– अर्थ–2/ 29361–67 /5क(02)/06/2014–15 दिनांक: 30 मार्च, 2015

विषयः– वित्तीय वर्ष 2014–15 में प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत योजनाओं में अतिरिक्त धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

शासनादेश संख्याः 475/XXIV(1)/2014–11/2014 दिनांक 10 अप्रैल 2014 एवं संख्या 129/XXIV(1)/2015–11/2014 दिनांक 24 फरवरी 2015 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए विभिन्न मदों में व्यय की स्वीकृति प्रदान की गयी है। स्वीकृत धनराशि में से बेसिक शिक्षा परिषद का राजकीयकरण के अन्तर्गत कार्यरत अध्यापकों के वेतनादि हेतु संलग्न विवरणानुसार धनराशि आपके निवर्तन पर रखने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

1– वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 318/XXVII(1)/2013, दिनांक 18.03.2014 एवं संख्या 1055/XXVII(1)/2014, दिनांक 30.12.2014 की शर्तों का अनुपालन वित्तीय वर्ष 2014–15 के आय–व्यय की निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय में सुनिश्चित किया जायेगा।

2– योजनाओं की विभिन्न मदों पर व्यय शासन के वर्तमान नियमों एवं आदेशों के अनुरूप ही किया जायेगा तथा जहां आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की पूर्व सहमति/स्वीकृति प्राप्त की जाय अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनधिकृत व्यय न किया जाय। मितव्ययता के सम्बन्ध में जारी किये गये शासनादेशों अथवा भविष्य में जारी होने वाले शासनादेशों का विशेष रूप से पालन किया जायेगा। कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले देयको पर लेखा शीर्षक के साथ–साथ अनुदान संख्या तथा आयोजनागत/आयोजनेत्तर का उल्लेख भी किया जाये।

3– वित्त विभाग उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्याः 183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च 2012 में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार धनराशि पृथक आलटमैंट आई0डी0 के अन्तर्गत सौफटवेयर के माध्यम से आनलाइन अवमुक्त कर दी गयी है। धनराशि आहरण/व्यय किये जाने हेतु उक्त शासनादेश में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जाय। आई0डी0 के अंकन से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि संलग्न आवंटन आपको ही हुआ है, यदि अन्य आहरण वितरण अधिकारी का आवंटन आपको प्राप्त होता है तो उसे अंकित न कराया जाय और तत्काल निदेशालय को वापस किया जाय।

4– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014–15 के आय व्ययक में अनुदान संख्या–11, आयोजनेत्तर के अधीन लेखाशीर्षक 2202–सामान्य शिक्षा, 01–प्रारम्भिक शिक्षा, के अन्तर्गत संलग्नक में उल्लिखित सुसंगत ब्यौरेवार शीर्षक/प्राथमिक इकाइयों के नामें डाला जायेगा।

संलग्न– आवंटन आई0डी0।

भवदीय,

(अमिता जोशी)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ0सं0– अर्थ–2/ /5क(02)/06 /2014–15/दिनांक उक्तवत् ।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– महालेखाकार उत्तराखण्ड ओबराय भवन पटेलनगर देहरादून।
2– संयुक्त सचिव, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन, शिक्षा अनुभाग–1 देहरादून।
3– उप निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।
4– मुख्य शिक्षा अधिकारी सम्बन्धित जनपद।
5– सम्बन्धित कोषाधिकारी ।
6– प्रभारी एम0आई0एस0 प्रकोष्ठ शिक्षा निदेशालय।
7– सूचना प्रकोष्ठ शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड।

(अमिता जोशी)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

O/C

1– बेसिक शिक्षा परिषद का राजकीयकरण

(रू0 हजार में)

क्र0	जनपद/का0 का नाम	01—वेतन	03—मा0भ0	06—अन्य भत्ते	योग
1	टिहरी	10000	11400	100	21500
	योग	10000	11400	100	21500
	उपलब्ध राशि	176429	765232	183	941844
	शेष	166429	753822	83	920334

प्रेषक,

बजट आवंटन

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा तपोवन रोड देहरादून।

सेवा में,

वित्त अधिकारी, शिक्षा देहरादून, पौड़ी
जनपद

पत्रांक– अर्थ–2/ 2932-27 /5क(02)/06/2014–15 / दिनांक: 30 मार्च, 2015

विषयः– वित्तीय वर्ष 2014–15 में प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत योजनाओं में अतिरिक्त धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

शासनादेश संख्याः 475/XXIV(1)/2014–11/2014 दिनांक 10 अप्रैल 2014 एवं संख्या 129/XXIV(1)/2015–11/2014 दिनांक 24 फरवरी 2015 एवं संख्या 432/XXIV(1)/2015–11/2014 दिनांक 26 मार्च 2015 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए विभिन्न मदों में व्यय की स्वीकृति प्रदान की गयी है। स्वीकृत धनराशि में से जनपदों द्वारा प्रेषित मांग पर **विकासखण्ड स्तर** पर उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय स्थापना हेतु संलग्न विवरणानुसार धनराशि शासनादेश में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। धनराशि उप शिक्षा अधिकारी को तत्काल आनलाइन अवमुक्त कर दी जाय। उप शिक्षा अधिकारियों को धनराशि का आबंटन इस प्रकार किया जाय कि बजट का सन्तुलन बना रहे।

1– वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 318/XXVII(1)/2013, दिनांक 18.03.2014 एवं संख्या 1055/XXVII(1)/2014, दिनांक 30.12.2014 की शर्तों का अनुपालन वित्तीय वर्ष 2014–15 के आय–व्यय की निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय में सुनिश्चित किया जायेगा।

2– योजनाओं की विभिन्न मदों पर व्यय शासन के वर्तमान नियमों एवं आदेशों के अनुरूप ही किया जायेगा तथा जहां आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की पूर्व सहमति/स्वीकृति प्राप्त की जाय अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनधिकृत व्यय न किया जाय। मितव्ययता के सम्बन्ध में जारी किये गये शासनादेशों अथवा भविष्य में जारी होने वाले शासनादेशों का विशेष रूप से पालन किया जायेगा। कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले देयको पर लेखा शीर्षक के साथ–साथ अनुदान संख्या तथा आयोजनागत/आयोजनेत्तर का उल्लेख भी किया जाये।

3– वित्त विभाग उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्याः 183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च 2012 में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार धनराशि पृथक आलटमैंट आई0डी0 के अन्तर्गत सौफटवेयर के माध्यम से आनलाइन अवमुक्त कर दी गयी है। धनराशि आहरण/व्यय किये जाने हेतु उक्त शासनादेश में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जाय। आई0डी0 के अंकन से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि संलग्न आवंटन आपको ही हुआ है, यदि अन्य आहरण वितरण अधिकारी का आवंटन आपको प्राप्त होता है तो उसे अंकित न कराया जाय और तत्काल निदेशालय को वापस किया जाय।

4– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014–15 के आय व्ययक में अनुदान संख्या–11, आयोजनेत्तर के अधीन लेखाशीर्षक 2202–सामान्य शिक्षा, 01–प्रारम्भिक शिक्षा, के अन्तर्गत संलग्नक में उल्लिखित सुसंगत ब्यौरेवार शीर्षक/प्राथमिक इकाइयों के नामें डाला जायेगा।

संलग्न– आवंटन आई0डी0।

भवदीय,

(अमिता जोशी)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ0सं0– अर्थ–2/ 2932-27 /5क(02)/06 /2014–15/दिनांक उक्तवत् ।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– महालेखाकार उत्तराखण्ड ओबराय भवन पटेलनगर देहरादून।
2– संयुक्त सचिव, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन, शिक्षा अनुभाग–1 देहरादून।
3– उप निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।
4– मुख्य शिक्षा अधिकारी सम्बन्धित जनपद।
5– सम्बन्धित कोषाधिकारी ।
6– प्रभारी एम0आई0एस0 प्रकोष्ठ शिक्षा निदेशालय।
7– सूचना प्रकोष्ठ शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड।

(अमिता जोशी)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

O/C

1– उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय की स्थापना

(रू0 हजार में)

क्र0	जनपद/का0 का नाम	01—वेतन	03—म0भ0	06—अन्य भत्ते	27—चिकित्सा प्रतिपूर्ति	योग
1	पौड़ी				14	14
1	देहरादून	32	35	35		102
	योग	32	35	35	14	116
	उपलब्ध राशि	806	1632	1071	46	
	शेष	774	1597	1036	32	

प्रेषक,

बजट आवंटन

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा तपोवन रोड देहरादून।

सेवा में,

वित्त अधिकारी, शिक्षा
जनपद

पत्रांक– अर्थ–2/ 2921016 /5क(02)/06/2014–15 / दिनांकः 28 मार्च, 2015

विषयः– वित्तीय वर्ष 2014–15 में प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत योजनाओं में अतिरिक्त धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

शासनादेश संख्याः 475/XXIV(1)/2014–11/2014 दिनांक 10 अप्रैल 2014 एव संख्या 129/XXIV(1)/2015–11/2014 दिनांक 24 फरवरी 2015 एवं संख्या 432/XXIV(1)/2015–11/2014 दिनांक 26 मार्च 2015 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए विभिन्न मदों में व्यय की स्वीकृति प्रदान की गयी है। स्वीकृत धनराशि में से जनपदों द्वारा प्रेषित मांग पर **बेसिक शिक्षा परिषद का राजकीयकरण तथा विकासखण्ड स्तर** पर उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय स्थापना हेतु संलग्न विवरणानुसार धनराशि शासनादेश में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। धनराशि उप शिक्षा अधिकारी को तत्काल आनलाइन अवमुक्त कर दी जाय। उप शिक्षा अधिकारियों को धनराशि का आबंटन इस प्रकार किया जाय कि बजट का सन्तुलन बना रहे। **आवंटन आई0डी0 के पृष्ठ भाग पर बेसिक शिक्षा परिषद का राजकीयकरण के अन्तर्गत मानक मद–27 चिकित्सा प्रतिपूर्ति हेतु अंकित विवरणानुसार बजट सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी को तत्काल अवमुक्त किया जाय। अन्य मदों में विकासखण्ड के वास्तविक मांग/व्यय के आधार पर ही आगंणित कर समान रूप से धनराशि अवमुक्त की जाय, आवश्यकता से अधिक धनराशि कदापि अवमुक्त न की जाय।**

1– वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 318/XXVII(1)/2013, दिनांक 18.03.2014 एवं संख्या 1055/XXVII(1)/2014, दिनांक 30.12.2014 की शर्तों का अनुपालन वित्तीय वर्ष 2014–15 के आय–व्यय की निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय में सुनिश्चित किया जायेगा।

2– योजनाओं की विभिन्न मदों पर व्यय शासन के वर्तमान नियमों एवं आदेशों के अनुरूप ही किया जायेगा तथा जहां आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की पूर्व सहमति/स्वीकृति प्राप्त की जाय अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनधिकृत व्यय न किया जाय। मितव्ययता के सम्बन्ध में जारी किये गये शासनादेशों अथवा भविष्य में जारी होने वाले शासनादेशों का विशेष रूप से पालन किया जायेगा। कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले देयको पर लेखा शीर्षक के साथ–साथ अनुदान संख्या तथा आयोजनागत/आयोजनेत्तर का उल्लेख भी किया जाये।

3– वित्त विभाग उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्याः 183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च 2012 में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार धनराशि पृथक आलटमैंट आई0डी0 के अन्तर्गत सौफटवेयर के माध्यम से आनलाइन अवमुक्त कर दी गयी है। धनराशि आहरण/व्यय किये जाने हेतु उक्त शासनादेश में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जाय। आई0डी0 के अंकन से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि संलग्न आवंटन आपको ही हुआ है, यदि अन्य आहरण वितरण अधिकारी का आवंटन आपको प्राप्त होता है तो उसे अंकित न कराया जाय और तत्काल निदेशालय को वापस किया जाय।

4– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014–15 के आय व्ययक में अनुदान संख्या–11, आयोजनेत्तर के अधीन लेखाशीर्षक 2202–सामान्य शिक्षा, 01–प्रारम्भिक शिक्षा, के अन्तर्गत संलग्नक में उल्लिखित सुसंगत ब्यौरेवार शीर्षक/प्राथमिक इकाइयों के नामें डाला जायेगा।

संलग्न– आवंटन आई0डी0।

भवदीय,

(अमिता जोशी)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ0सं0– अर्थ–2/ 2921016 /5क(02)/06 /2014–15/दिनांक उक्तवत् ।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– महालेखाकार उत्तराखण्ड ओबराय भवन पटेलनगर देहरादून।
2– संयुक्त सचिव, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन, शिक्षा अनुभाग–1 देहरादून।
3– उप निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।
4– मुख्य शिक्षा अधिकारी सम्बन्धित जनपद।
5– सम्बन्धित कोषाधिकारी ।
6– प्रभारी एम0आई0एस0 प्रकोष्ठ शिक्षा निदेशालय।
7– सूचना प्रकोष्ठ शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड।

(अमिता जोशी)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

10 o/c

1– बेसिक शिक्षा परिषद का राजकीयकरण

(रू0 हजार में)

क्र0	जनपद / का0 का नाम	01–वेतन	03–म0भ0	06–अ0भ0	09–विद्युत	10–जलकर	16–व्या0	17–किराया	27–विकि0	योग
1	अल्मोड़ा				100				62	162
2	चम्पावत				1000	10000		8	49	11057
3	नैनीताल								399	399
4	पिथौरागढ़					225			160	385
5	उधम सिंह								292	292
6	रूद्रप्रयाग								165	165
7	पौड़ी				51				688	739
8	टिहरी						250		574	824
9	उत्तरकाशी	4666	3013	1369					1206	10254
10	देहरादून				400			75	1008	1483
	योग	4666	3013	1369	1551	10225	250	83	4603	25760
	उपलब्ध राशि	181095	768245	1552	2570	11604	250	83	4604	970003
	शेष	176429	765232	183	1019	1379	0	0	1	944243

2– उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय की स्थापना

(रू0 हजार में)

क्र0	जनपद / का0 का नाम	01–वेतन	03–म0भ0	योग
1	उत्तरकाशी	129	60	189
	योग	129	60	189
	उपलब्ध राशि	935	1692	2627
	शेष	806	1632	2438

बजट आवंटन

प्रेषक,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा तपोवन मार्ग देहरादून।

सेवा में,

आहरण वितरण अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय,
ननूरखेड़ा, तपोवन रोड़, देहरादून।

पत्रांक–अर्थ–2/ 29217-22 /5क(02)14/2014–15 दिनांक: 28 मार्च, 2015

विषय वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा–12 (1)(सी0)के अन्तर्गत अध्ययनरत एवं नवीन प्रवेशित बच्चों के प्रतिपूर्ति व्यय हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

शासनादेश संख्याः 453/XXIV(1)/2015–05/2013 दिनांक 27 मार्च 2015 द्वारा वित्तीय वर्ष 2014–15 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा–12(1)(सी) के अन्तर्गत अध्ययनरत एवं नवीन प्रवेशित बच्चों के प्रतिपूर्ति व्यय हेतु जनपदों से प्राप्त प्रतिपूर्ति मांग के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष 2014–15 में उक्त योजनान्तर्गत संलग्नक–1 में उल्लिखित विवरणानुसार अनुदान स0 11 (सामान्य), अनुदान सं0 30 एस0सी0पी0) एवं अनुदान स0 31 (टी0एस0पी0) में सम्पूर्ण प्राविधानित धनराशि रू0 **11,16,89,000–00** की स्वीकृति प्राप्त हुई है। स्वीकृत धनराशि रू0 **11,16,89,000–00** (रूपये ग्यारह करोड़ सोलह लाख नवासी हजार मात्र) आपके निवर्तन पर रखते हुए शासनादेश में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

धनराशि का आहरण एवं व्यय यथा आवश्यकतानुसार निर्धारित दिशा निर्देशों/मानकों/नियमों के अनुरूप ही किया जायेगा। धनराशि का नगद आहरण किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा। धनराशि का समस्त आहरण का चैक/बैंक ड्राफ्ट राज्य परियोजना निदेशक उत्तराखण्ड सभी के लिए शिक्षा परिषद को उपलब्ध कराया जायेगा।

वित्त विभाग उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्याः 183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च 2012 में उल्लेखित प्राविधान के अनुसार धनराशि पृथक आलटमैंट आई0डी0 के अन्तर्गत सौफटवेयर के माध्यम से आनलाइन अवमुक्त कर दी गयी है जिसकी अलाटमैंट आई0डी0 संलग्न की जा रही है। धनराशि आहरण/व्यय किये जाने हेतु उक्त शासनादेश में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2014–15 के आय व्ययक में अनुदान संख्या–11, 30 एवं (आयोजनागत) के अधीन लेखा शीर्षक 2202–01 प्रारम्भिक शिक्षा के अधीन संलग्नक में उल्लिखित संबधित उपशीर्ष/सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

संलग्नः–आवंटन।

भवदीय

(अमिता जोशी)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

पत्रांक–अर्थ–2/ 29217-22 /5क(01)/14/2014–15 उक्त दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. महालेखाकार उत्तराखण्ड।
2. सचिव विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
3. राज्य परियोजना निदेशक, उत्तराखण्ड सभी के लिए शिक्षा परिषद, देहरादून, उत्तराखण्ड।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, साइबर कोषागार, देहरादून।
5. उप शिक्षा निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय।
6. सूचना प्रकोष्ठ शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड।

(अमिता जोशी)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

12 8 0/C

शिक्षा का अधिकार

धनराशि (रू0 हजार में)

क्रमांक	अनु0 सं0	लेखा शीर्षक	शासन से अवमुक्त	आवंटन हेतु प्रस्तावित
1	11	22020110224–42	77030	77030
2	30	22020180002–42	28700	28700
3	31	22020180002–42	5959	5959
		कुल योग	111689	111689

बजट आवंटन

प्रेषक,

निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून

सेवा में,

आहरण वितरण अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय, देहरादून

पत्रांक– अर्थ–2/ 29191-97/5क(01)/07/2014–15 दिनांक 27 मार्च, 2015

विषयः– के0जी0बी0वी0 छात्रावासों में कार्यरत् अल्पकालिक शिक्षिकाओं के मानदेय के भुगतान हेतु वॉछित अतिरिक्त राज्यांश की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 468/XXIV(1)/2015–11/2014 टी0सी0 दिनांक 25 मार्च 2015 द्वारा सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के अन्तर्गत संचालित के0जी0बी0वी0 छात्रावासों में कार्यरत अल्पकालिक शिक्षिकाओं को शासनादेश सं0 72/xxiv(1)/2015–35/204 दिनांक 09.03.2015 के निहित प्राविधानों के अनुसार भारत सरकार के मानकानुसार निर्धारित दर रू0 5000/ प्रतिमाह के स्थान पर रू0 7000/ प्रतिमाह का अर्थात रू0 2000/ प्रतिमाह का अतिरिक्त भुगतान किये जाने तथा इस भुगतान से रू0 18.48 लाख की अतिरिक्त सृजित होने वाली देयता का वहन राज्य सरकार स्तर से किये जाने की प्रतिबद्धता के दृष्टिगत राज्यांश के रूप में रू0 18.48 लाख (रूपये अठारह लाख अड़तालीस हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्त की गयी है। अवमुक्त धनराशि में से संलग्नक में उल्लिखित विवरणानुसार कुल रू0 **18.48/ लाख (रूपये अठारह लाख अड़तालीस हजार मात्र)** अवमुक्त की गयी है। अवमुक्त धनराशि में से संलग्नक में उल्लिखित विवरणानुसार कुल रू0 **18.48/ लाख (रुपये अठारह लाख अड़तालीस हजार मात्र)** शासनादेश में उल्लिखित शर्तों तथा प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखते हुए व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

1– उक्त धनराशि का उपयोग 31–03–2015 तक करते हुए उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप पर शासन को अवश्यमेव उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

2– वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 318/XXVII(1)/2014 दिनांक 18.03.2014 में वर्णित शर्तों का अनुपालन वित्तीय वर्ष 2014–15 के आय–व्यय की निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय में सुनिश्चित किया जायेगा।

3– वित्त विभाग उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्याः 183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च 2012 में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार धनराशि पृथक आलटमैंट आई0डी0 के अन्तर्गत साफ्टवेयर के माध्यम से आनलाइन अवमुक्त कर दी गयी है, जिसकी अलाटमैंट आई0डी0 संलग्न की जा रही हैं। धनराशि आहरण/व्यय किये जाने हेतु उक्त शासनादेश में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

4– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014–15 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–11 के अधीन लेखाशीर्षक 2202–01–प्रारम्भिक शिक्षा के अधीन संलग्नक में उल्लिखित संबन्धित व्यौरेवार शीर्षक/सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

संलग्न– अलाटमैंट आई0डी0।

भवदीय,

(अमिता जोशी)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ0सं0– अर्थ–2/29191-97/5क(01)/07/2014–15 उक्त दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– महालेखाकार उत्तराखण्ड ओबराय भवन पटेलनगर देहरादून।
2– सचिव, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन, शिक्षा अनुभाग–1 देहरादून।
3– महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड।
4– राज्य परियोजना निदेशक, उत्तराखण्ड सभी के लिए शिक्षा परिषद, देहरादून, उत्तराखण्ड।
5– वरिष्ठ कोषाधिकारी/ कोषाधिकारी साइबर कोषागार देहरादून।
6– सूचना प्रकोष्ठ शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड।

(अमिता जोशी)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

14

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - 20142015

Director Elementary Education (4514)

आवंटन पत्र संख्या -

अलोटमेंट आई डी - H1503113978

अनुदान संख्या - 011

आवंटन पत्र दिनांक -27-Mar-2015

DDO Name - Director Elementry Education (4514) , Treasury - Cpao (1200)

1: लेखा शीर्षक

2202 - सामान्य शिक्षा

800 - अन्य व्यय

04 - सर्वशिक्षा अभियान(35% राज्यांश)

01 - प्रारम्भिक शिक्षा

01 - केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना

Plan Voted

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	योग
20 - सहायक अनुदान/अंशदान/राज	2284424000	1848000	2286272000
	2284424000	**1848000**	**2286272000**

Total Current Allotment To DDO In Above Schemes - 1848000

वित्त नियंत्रक
विद्यालयी शिक्षा
उत्तराखण्ड

बजट आवंटन

प्रेषक,

निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा तपोवन रोड देहरादून।

सेवा में,

आहरण वितरण अधिकारी
प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय,
ननूरखेड़ा तपोवन रोड देहरादून।

पत्रांक–अर्थ–2/ 209926-31 /5क(02)/03/2014–15 दिनांकः 25 मार्च, 2015

विषयः– वित्तीय वर्ष 2014–15 में प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

शासनादेश संख्याः 329/XXIV(1)/2015–11/2014 दिनांक 12 मार्च 2015 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2014–15 में प्रारम्भिक शिक्षा के आय–व्ययक के कतिपय मदों में आवश्यकता से न्यून धनराशि प्राविधानित होने के दृष्टिगत उन मदों हेतु पुनर्विनियोग के माध्यम से रू0 14.90 लाख (रूपये चौदह लाख नब्बे हजार मात्र) की धनराशि को व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। स्वीकृत धनराशि में से प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय के संचालन हेतु रू0 **14.90/ लाख (रुपये चौदह लाख नब्बे हजार मात्र)** शासनादेश में उल्लिखित शर्तों तथा प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखते हुए व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

1– वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 318/XXVII(1)/2013, दिनांक 18.03.2014 की शर्तों का अनुपालन वित्तीय वर्ष 2014–15 के आय–व्यय की निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय में सुनिश्चित किया जायेगा।

2– वित्त विभाग उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्याः 183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च 2012 में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार धनराशि पृथक आलटमैंट आई0डी0 के अन्तर्गत सौफटवेयर के माध्यम से आनलाइन अवमुक्त कर दी गयी है जिसकी अलाटमैंट आई0डी0 संलग्न की जा रहीं हैं। धनराशि आहरण/व्यय किये जाने हेतु उक्त शासनादेश में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

3– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014–15 के आय व्ययक के अनुदान संख्या–11, आयोजनागत के अधीन लेखाशीर्षक 2202–सामान्य शिक्षा, 01–प्रारभिक शिक्षा, 001–निदेशक एवं प्रशासन, 03–निदेशालय का अधिष्ठान (02–001–03 से स्थानान्तरित) के अधीन मानक मद 42–अन्य व्यय के नामें डाला जायेगा।

संलग्न– आवंटन।

भवदीय,

(अमिता जोशी)
वित्त नियन्त्रक,
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ0सं0– अर्थ–2/ 209926-31 /5क(01)/03/2014–15 उक्त दिनांक।

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– महालेखाकार उत्तराखण्ड ओबराय भवन पटेलनगर देहरादून।
2– संयुक्त सचिव, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन, शिक्षा अनुभाग–1 देहरादून।
3– महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।
4– वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, साइबर कोषागार, देहरादून।
5– उप शिक्षा निदेशर्क, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय अधिष्ठान।
6– सूचना प्रकोष्ठ, शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड।

(अमिता जोशी)
वित्त नियन्त्रक,
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

16 o/c

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - 20142015

Director Elementary Education (4514)

आवंटन पत्र संख्या -

अलोटमेंट आई डी - H1503113050

अनुदान संख्या - 011

आवंटन पत्र दिनांक -24-Mar-2015

DDO Name - Director Elementry Education (4514) , Treasury - Cpao (1200)

लेखा शीर्षक 2202 - सामान्य शिक्षा

01 - प्रारम्भिक शिक्षा

001 - निदेशन तथा प्रशासन

03 - निदेशालय अधिष्ठान (02-001-03 से स्थानांतरित)

00 - निदेशालय अधिष्ठान (02-001-03 में स्थानान्तरित)

Plan Voted

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	योग
01 - वेतन	14000000	0	14000000
02 - मजदूरी	30000	0	30000
03 - महंगाई भत्ता	15400000	0	15400000
04 - यात्रा व्यय	200000	0	200000
05 - स्थानान्तरण यात्रा व्यय	200000	0	200000
06 - अन्य भत्ते	1540000	0	1540000
07 - मानदेय	30000	0	30000
08 - कार्यालय व्यय	230000	100000	330000
09 - विद्युत देय	200000	0	200000
11 - लेखन सामग्री और फार्मों की छ	200000	0	200000
12 - कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	50000	0	50000
13 - टेलीफोन पर व्यय	100000	0	100000
15 - गाड़ियों का अनरक्षण और पेट्रो	400000	0	400000
16 - व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओ	570000	1250000	1820000
18 - प्रकाशन	100000	0	100000
19 - विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन	200000	0	200000
22 - आतिथ्य व्यय विषयक भत्ता आ	40000	0	40000
26 - मशीनें और सज्जा /उपकरण औ	130000	0	130000
27 - चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति	150000	140000	290000
29 - अनरक्षण	100000	0	100000
42 - अन्य व्यय	400000	0	400000
44 - प्रशिक्षण व्यय	50000	0	50000
46 - कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर	150000	0	150000
47 - कम्प्यूटर अनरक्षण/तत्सम्बन्धी	160000	0	160000
	34630000	**1490000**	**36120000**

Total Current Allotment To DDO In Above Schemes - 1490000

वित्त नियंत्रक
विद्यालयी शिक्षा
रामनगरखण्ड

सेवा में,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा, तपोवन रोड, देहरादून।

बजट आवंटन

सेवा में,

मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक (प्रारम्भिक शिक्षा)
गढ़वाल मण्डल, पौड़ी

पत्रांक– अर्थ–2/ 28935-40 /5क(02)/05/2014–15 दिनांक: 25 मार्च, 2015

विषयः– वित्तीय वर्ष 2014–15 में प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक (प्रा0शि0) कार्यालय के संचालन हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

शासनादेश संख्याः 475/XXIV(1)/2014–11/2014 दिनांक 10 अप्रैल 2014 एवं संख्या 1339/XXIV(1)/2014–11/2014टी.सी. दिनांक 26 दिसम्बर 2014 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए विभिन्न मदों में व्यय की स्वीकृति प्रदान की गयी है। अवमुक्त धनराशि में से प्राप्त मांग के क्रम में **रू0 25000/ (रूपये पच्चीस हजार मात्र)** की धनराशि शासनादेश में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन संलग्न विवरणानुसार आपके निवर्तन पर रखने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

1– वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 318/XXVII(1)/2013, दिनांक 18.03.2014 की शर्तों का अनुपालन वित्तीय वर्ष 2014–15 के आय–व्यय की निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय में सुनिश्चित किया जायेगा।

2– योजनाओं की विभिन्न मदों पर व्यय शासन के वर्तमान नियमों एवं आदेशों के अनुरूप ही किया जायेगा तथा जहां आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की पूर्व सहमति/स्वीकृति प्राप्त की जाय अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनधिकृत व्यय न किया जाय। मितव्ययता के सम्बन्ध में जारी किये गये शासनादेशों अथवा भविष्य में जारी होने वाले शासनादेशों का विशेष रूप से पालन किया जायेगा। कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले देयको पर लेखा शीर्षक के साथ–साथ अनुदान संख्या तथा आयोजनागत/आयोजनेत्तर का उल्लेख भी किया जाये। व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर प्रत्येक माह की 08 तारीख तक अर्थ अनुभाग को उपलब्ध कराया जाये।

3– वित्त विभाग उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्याः 183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च 2012 में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार धनराशि पृथक आलटमैंट आई0डी0 के अन्तर्गत सौफ्टवेयर के माध्यम से आनलाइन अवमुक्त कर दी गयी है। धनराशि आहरण/व्यय किये जाने हेतु उक्त शासनादेश में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

4– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014–15 के आय व्ययक में अनुदान संख्या–11, आयोजनेत्तर के अधीन लेखाशीर्षक 2202–सामान्य शिक्षा, 01–प्रारभिक शिक्षा, 104–निरीक्षण, 03–क्षेत्रीय निरीक्षण (2202–02–101–03 से स्थानान्तरित) के अधीन संबंधित सुसंगत प्राथमिक इकाइयों के नामें डाला जायेगा।

संलग्न– आवंटन।

भवदीय,

(अमिता जोशी)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ0सं0– अर्थ–2/ 28935-40 /5क(02)/05/2014–15 उक्त दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– महालेखाकार उत्तराखण्ड ओबराय भवन पटेलनगर देहरादून।
2– अनु–सचिव, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन, शिक्षा अनुभाग–1 देहरादून।
3– महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड।
4– सम्बन्धित मुख्य/जिला शिक्षा अधिकारी ।
5– सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी
6– सूचना प्रकोष्ठ शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड।

(अमिता जोशी)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

~~13~~ 18

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - 20142015

Director Elementary Education (4514)

आवंटन पत्र संख्या -

अलोटमेंट आई डी - H1503113343

अनुदान संख्या - 011

आवंटन पत्र दिनांक -25-Mar-2015

DDO Name - Regional Addl Director,Elementary Education (4516) , Treasury - Garhwal (4200)

1: लेखा शीर्षक 2202 - सामान्य शिक्षा

104 - निरीक्षण

00 - क्षेत्रीय निरीक्षण (2202-02-101-03 से स्थानान्तरित)

01 - प्रारम्भिक शिक्षा

03 - क्षेत्रीय निरीक्षण (2202-02-101-03 से स्थानान्तरित

Non Plan Voted

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	योग
01 - वेतन	3500000	0	3500000
03 - महंगाई भत्ता	3400000	0	3400000
04 - यात्रा व्यय	40000	20000	60000
05 - स्थानान्तरण यात्रा व्यय	37000	0	37000
06 - अन्य भत्ते	531000	5000	536000
08 - कार्यालय व्यय	60000	0	60000
09 - विद्युत देय	25000	0	25000
10 - जलकर / जल प्रभार	30000	0	30000
11 - लेखन सामग्री और फार्मों की छ	40000	0	40000
12 - कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	100000	0	100000
13 - टेलीफोन पर व्यय	10000	0	10000
15 - गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रो	25000	0	25000
16 - व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओ	100000	0	100000
26 - मशीनें और सज्जा /उपकरण औ	50000	0	50000
27 - चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति	185000	0	185000
29 - अनुरक्षण	10000	0	10000
42 - अन्य व्यय	22000	0	22000
46 - कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर	95000	0	95000
47 - कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी	30000	0	30000
	8290000	**25000**	**8315000**

Total Current Allotment To DDO In Above Schemes - 25000

वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा
उत्तराखण्ड

प्रेषक,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा, तपोवन रोड़, देहरादून।

बजट आवंटन

सेवा में,

जिला शिक्षा अधिकारी ऊधमसिंहनगर, पौड़ी गढ़वाल
.....।

पत्रांक– अर्थ–2/ 28941-45 /5क(02)/04/2014–15 दिनांक: 25 मार्च, 2015

विषयः– वित्तीय वर्ष 2014–15 में अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूलों तथा सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के सम्बद्ध प्राइमरी प्रभाग में कार्यरत शिक्षकों/कर्मचारियों के वेतन भुगतान हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

शासनादेश स0 शासनादेश संख्याः 475/XXIV(1)/2014–11/2014 दिनांक 10 अप्रैल 2014 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए विभिन्न मदों में व्यय की स्वीकृति प्रदान की गयी है। स्वीकृत धनराशि में से जनपदों से प्राप्त मांग के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूलों में नियमानुसार सृजित पदों के सापेक्ष अनुमोदित एवं कार्यरत शिक्षकों/कर्मचारियों के नियमित मासिक वेतन भुगतान हेतु रू0 2326300=00 की अतिरिक्त धनराशि शासनादेश में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन संलग्न विवरणानुसार आपके निवर्तन पर रखने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। कृपया देयकों का भुगतान नियमानुसार समयान्तर्गत करने का कष्ट करें।

1– वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 318/XXVII(1)/2013, दिनांक 18.03.2014 की शर्तों का अनुपालन वित्तीय वर्ष 2014–15 के आय–व्यय की निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय में सुनिश्चित किया जायेगा।

2– योजनाओं की विभिन्न मदों पर व्यय शासन के वर्तमान नियमों एवं आदेशों के अनुरूप ही किया जायेगा तथा जहां आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की पूर्व सहमति/स्वीकृति प्राप्त की जाय अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनधिकृत व्यय न किया जाय। मितव्ययता के सम्बन्ध में जारी किये गये शासनादेशों अथवा भविष्य में जारी होने वाले शासनादेशों का विशेष रूप से पालन किया जायेगा। कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले देयको पर लेखा शीर्षक के साथ–साथ अनुदान संख्या तथा आयोजनागत/आयोजनेत्तर का उल्लेख भी किया जाये। व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर प्रत्येक माह की 08 तारीख तक अर्थ अनुभाग को उपलब्ध कराया जाये।

3– वित्त विभाग उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्याः 183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च 2012 में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार धनराशि पृथक आलटमैंट आई0डी0 के अन्तर्गत सौफटवेयर के माध्यम से आनलाइन अवमुक्त कर दी गयी है। धनराशि आहरण/व्यय किये जाने हेतु उक्त शासनादेश में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जाय। आई0डी0 के कोषागार में अंकन से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि संलग्न आवंटन आपको ही हुआ है, यदि अन्य आहरण वितरण अधिकारी का आवंटन आपको प्राप्त होता है तो उसे कोषागार में अंकित न कराया जाय और तत्काल निदेशालय को वापस किया जाय।

4– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014–15 के आय व्ययक में अनुदान संख्या–11, आयोजनेत्तर के अधीन लेखाशीर्षक 2202–सामान्य शिक्षा, 01–प्रारम्भिक शिक्षा, 102–अराजकीय प्राथमिक विद्यालयों को सहायता के अन्तर्गत संलग्नक में उल्लिखित सुसंगत ब्यौरेवार शीर्षक/प्राथमिक इकाइयों के नामें डाला जायेगा।

संलग्न– आवंटन।

भवदीय

(अमिता जोशी)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ0सं0–अर्थ–2/ 28941-45 /5क(02)/04/2014–15/दिनांक उक्त ।

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– महालेखाकार उत्तराखण्ड ओबराय भवन पटेलनगर देहरादून।
2– संयुक्त सचिव, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन, शिक्षा अनुभाग–1 देहरादून।
3– वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी सम्बन्धित जनपद।
4– प्रभारी एम0आई0एस0 प्रकोष्ठ शिक्षा निदेशालय।
5– सूचना प्रकोष्ठ शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड।

(अमिता जोशी)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

O/C

1– सहायता प्राप्त जूनियर हाई–स्कूलों एवं सहायता प्राप्त उ0मा0वि0 से सम्बद्ध प्राइमरी शिक्षकों/कार्मिकों के वेतन भुगतान हेतु **धनराशि (हजार में)**

क्र0	जनपद का नाम	सहायता प्राप्त	सम्बद्ध प्राइमरी	योग
		43– वेतन भत्ते	43– वेतन भत्ते	
1	अल्मोड़ा	12418	50	12468
2	ऊधमसिंहनगर	845	950	1795
3	पौड़ी गढ़वाल	9000	0	9000
	योग	**22263**	**1000**	**23263**
	उपलब्ध	69190	2408	
	शेष	46927	1408	

बजट आवंटन

प्रेषक,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा, तपोवन रोड, देहरादून।

सेवा में,

आहरण वितरण अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय,
ननूरखेड़ा, देहरादून

पत्रांक– अर्थ–2/ 2819-24 /5क(02)/09/2014–15 दिनांक: 25 मार्च, 2015

विषयः– वित्तीय वर्ष 2014–15 में महिला समाख्या योजना हेतु धनराशि अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 428/XXIV(1)/2015–14/2014टी0सी0 दिनांक 20 मार्च, 2015 के द्वारा भारत सरकार से महिला समाख्या योजना (100 प्रतिशत केन्द्र पोषित योजना) हेतु अनुदान संख्या–11, 30 एवं 31 में कुल रू0 126.00 लाख की धनराशि अवमुक्त होने के दृष्टिगत वित्तीय वर्ष 2014–15 के विभागीय आय–व्ययक में धनराशि उपलब्धता की सीमा में अनुदान संख्या–11 (सामान्य) एवं अनदुन संख्या–30 (एस0सी0एस0पी0) में क्रमशः रू0 89.00 लाख एवं रू0 33.00 लाख अर्थात कुल रू0 1,22,00,000/– (रूपये एक करोड़ बाईस लाख) की धनराशि अवमुक्त की गयी है। अवमुक्त धनराशि में से संलग्नक में उल्लिखित विवरणानुसार रू0 **1,22,00,000/– (रूपये एक करोड़ बाईस लाख मात्र)** शासनादेश में उल्लिखित शर्तों तथा प्रतिबन्धों के अधीन आहरण वितरण अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय के निवर्तन पर रखते हुए व्यय किये जाने शासनादेश में उल्लिखित शर्तों तथा प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखते हुए व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

1– प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय द्वारा कोषागार से धनराशि का एकमुस्त आहरण कर चैक राज्य परियोजना निदेशक, महिला समाख्या उत्तराखण्ड के नाम निर्गत करवाया जायेगा।

2– वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 318/XXVII(1)/2013, दिनांक 18.03.2014 की शर्तों का अनुपालन वित्तीय वर्ष 2014–15 के आय–व्यय की निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय में सुनिश्चित किया जायेगा।

3– वित्त विभाग उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्याः 183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च 2012 में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार धनराशि पृथक आलटमैंट आई0डी0 के अन्तर्गत सौफटवेयर के माध्यम से आनलाइन अवमुक्त कर दी गयी है जिसकी अलाटमैंट आई0डी0 संलग्न की जा रही हैं। धनराशि आहरण/व्यय किये जाने हेतु उक्त शासनादेश में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

4– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014–15 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–11, 30 व 31 के अधीन लेखाशीर्षक 2202–01–प्रारम्भिक शिक्षा, के अधीन संलग्नक में उल्लिखित संबधित ब्यौरेवार शीर्षक/सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

भवदीय

संलग्न– अलाटमैंट आई0डी0।

(अमिता जोशी)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड

पृ0सं0– अर्थ–2/ 2819-24 /5क(02)/09/2014–15 उक्त दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– महालेखाकार उत्तराखण्ड ओबराय भवन पटेलनगर देहरादून।
2– अनु सचिव विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड शासन, शिक्षा अनुभाग–1 देहरादून।
3– महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।
4– राज्य परियोजना निदेशक, महिला समाख्या, उत्तराखण्ड देहरादून।
5– वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी साइबर कोषागार देहरादून।
6– उप शिक्षा निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय अधिष्ठान।
7– सूचना प्रकोष्ठ शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड।

(अमिता जोशी)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - 20142015

Director Elementary Education (4514)

आवंटन पत्र संख्या -

अलोटमेंट आई डी - H1503113046

अनुदान संख्या - 011

आवंटन पत्र दिनांक -24-Mar-2015

DDO Name - Director Elementry Education (4514) , Treasury - Cpao (1200)

1: लेखा शीर्षक

2202 - सामान्य शिक्षा

800 - अन्य व्यय

06 - महिला समाख्या योजना

01 - प्रारम्भिक शिक्षा

01 - केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना

Plan Voted

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	योग
20 - सहायक अनुदान/अंशदान/राज	19600000	8900000	28500000
	19600000	**8900000**	**28500000**

Total Current Allotment To DDO In Above Schemes - 8900000

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - 20142015

Director Elementary Education (4514)

आवंटन पत्र संख्या -

अलोटमेंट आई डी - H1503303047

अनुदान संख्या - 030

आवंटन पत्र दिनांक -24-Mar-2015

DDO Name - Director Elementry Education (4514) , Treasury - Cpao (1200)

1: लेखा शीर्षक	2202 - सामान्य शिक्षा	01 - प्रारम्भिक शिक्षा	
	800 - अन्य व्यय	01 - केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र पुरोनिधानित योजनाएँ	
	02 - महिला समाख्या योजना		

Plan Voted

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	योग
20 - सहायक अनुदान/अंशदान/राज	7600000	3300000	10900000
	7600000	**3300000**	**10900000**

Total Current Allotment To DDO In Above Schemes - 3300000

वित्त नियंत्रक
विद्यालयी शिक्षा
उत्तराखण्ड

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - 20142015

Director Elementary Education (4514)

आवंटन पत्र संख्या -

अलोटमेंट आई डी - H1503303047

अनुदान संख्या - 030

आवंटन पत्र दिनांक 24-Mar-2015

DDO Name - Director Elementry Education (4514) , Treasury - Cpao (1200)

लेखा शीर्षक	2202 - सामान्य शिक्षा	01 - प्रारम्भिक शिक्षा
	800 - अन्य व्यय	01 - केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र पुरोनिधानित योजनाएँ
	02 - महिला समाख्या योजना	

Plan Voted

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	योग
20 - सहायक अनुदान/अंशदान/राज	7600000	3300000	10900000
	7600000	**3300000**	**10900000**

Total Current Allotment To DDO In Above Schemes - 3300000

वित्त नियंत्रक
विद्यालयी शिक्षा
उत्तराखण्ड

प्रेषक,

बजट आवंटन

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा तपोवन रोड देहरादून।

सेवा में,

वित्त अधिकारी, शिक्षा
जनपद

पत्रांक– अर्थ–2/ 28932-36 /5क(02)/06/2014–15 दिनांक: 25 मार्च, 2015

विषयः– वित्तीय वर्ष 2014–15 में प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं में अतिरिक्त धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

शासनादेश संख्याः 475/XXIV(1)/2014–11/2014 दिनांक 10 अप्रैल 2014 एवं संख्या 129/XXIV(1)/2015–11/2014 दिनांक 24 फरवरी 2015 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए विभिन्न मदों में व्यय की स्वीकृति प्रदान की गयी है। स्वीकृत धनराशि में से जनपदों द्वारा प्रेषित मांग पर **उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय के संचालनार्थ एवं शिक्षा मित्रों के मानदेय** हेतु संलग्न विवरणानुसार धनराशि शासनादेश में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। धनराशि उप शिक्षा अधिकारी को तत्काल आनलाइन अवमुक्त कर दी जाय। उप शिक्षा अधिकारियों को धनराशि का आबंटन इस प्रकार किया जाय कि बजट का संतुलन बना रहे। वेतनादि मदों में विकासखण्ड के वास्तविक मासिक व्यय एवं वांछित मांग के आधार पर ही आगंणित कर समान रूप से धनराशि अवमुक्त की जाय, आवश्यकता से अधिक धनराशि कदापि अवमुक्त न की जाय।

1– वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 318/XXVII(1)/2013, दिनांक 18.03.2014 एवं संख्या 1055/XXVII(1)/2014, दिनांक 30.12.2014 की शर्तों का अनुपालन वित्तीय वर्ष 2014–15 के आय–व्यय की निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय में सुनिश्चित किया जायेगा।

2– योजनाओं की विभिन्न मदों पर व्यय शासन के वर्तमान नियमों एवं आदेशों के अनुरूप ही किया जायेगा तथा जहां आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की पूर्व सहमति/स्वीकृति प्राप्त की जाय अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनधिकृत व्यय न किया जाय। मितव्ययता के सम्बन्ध में जारी किये गये शासनादेशों अथवा भविष्य में जारी होने वाले शासनादेशों का विशेष रूप से पालन किया जायेगा। कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले देयको पर लेखा शीर्षक के साथ–साथ अनुदान संख्या तथा आयोजनागत/आयोजनेत्तर का उल्लेख भी किया जाये। व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर प्रत्येक माह की 08 तारीख तक अर्थ अनुभाग को उपलब्ध कराया जाय।

3– वित्त विभाग उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्याः 183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च 2012 में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार धनराशि पृथक आलटमैंट आई0डी0 के अन्तर्गत सौफटवेयर के माध्यम से आनलाइन अवमुक्त कर दी गयी है। धनराशि आहरण/व्यय किये जाने हेतु उक्त शासनादेश में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जाय। आई0डी0 के अंकन से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि संलग्न आवंटन आपको ही हुआ है, यदि अन्य आहरण वितरण अधिकारी का आवंटन आपको प्राप्त होता है तो उसे अंकित न कराया जाय और तत्काल निदेशालय को वापस किया जाय।

4– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014–15 के आय व्ययक में अनुदान संख्या–11, आयोजनेत्तर के अधीन लेखाशीर्षक 2202–सामान्य शिक्षा, 01–प्रारम्भिक शिक्षा, के अन्तर्गत संलग्नक में उल्लिखित सुसंगत ब्यौरेवार शीर्षक/प्राथमिक इकाइयों के नामें डाला जायेगा।

संलग्न– आवंटन आई0डी0।

भवदीय

(अमिता जोशी)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ0सं0– अर्थ–2/ 28932-36 /5क(02)/06 /2014–15/दिनांक उक्तवत् ।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– महालेखाकार उत्तराखण्ड ओबराय भवन पटेलनगर देहरादून।
2– संयुक्त सचिव, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन, शिक्षा अनुभाग–1 देहरादून।
3– मुख्य शिक्षा अधिकारी सम्बन्धित जनपद।
4– प्रभारी एम0आई0एस0 प्रकोष्ठ शिक्षा निदेशालय।
5– सूचना प्रकोष्ठ शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड।

(अमिता जोशी)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

1– उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय की स्थापना

(रू0 हजार में)

क्र0	जनपद / का0 का नाम	01–वेतन	03–म0भ0	04–यात्रा	05–स्था0या0	06–अ0भ0	09–विद्युत	11–लेखन	योग
1	रूद्रप्रयाग	49	42	25	2	5	30	30	183
	योग	49	42	25	2	5	30	30	183
	उपलब्ध राशि	984	1734	145	37	1076	108	40	4124
	शेष	935	1692	120	35	1071	78	10	3941

2– शिक्षा मित्रों का मानदेय

(रू0 हजार में)

क्र0	जनपद का नाम	शिक्षा मित्र मानदेय
		20–सहायक अनु0
1	उधम सिंह नगर	532
	योग	**532**
	उपलब्ध	24336
	शेष	23804

प्रेषक,

बजट आवंटन

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा तपोवन रोड देहरादून।

सेवा में,

वित्त अधिकारी, शिक्षा
जनपद

पत्रांक– अर्थ–2/ 20524-26 /5क(02)/06/2014–15 दिनांक: 20 मार्च, 2015

विषयः– वित्तीय वर्ष 2014–15 में प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत योजनाओं में अतिरिक्त धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

शासनादेश संख्याः 475/XXIV(1)/2014–11/2014 दिनांक 10 अप्रैल 2014 एवं संख्या 129/XXIV(1)/2015–11/2014 दिनांक 24 फरवरी 2015 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए विभिन्न मदों में व्यय की स्वीकृति प्रदान की गयी है। स्वीकृत धनराशि में से बेसिक शिक्षा परिषद का राजकीयकरण योजनान्तर्गत संलग्न विवरणानुसार धनराशि आपके निवर्तन पर रखने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

1– वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 318/XXVII(1)/2013, दिनांक 18.03.2014 एवं संख्या 1055/XXVII(1)/2014, दिनांक 30.12.2014 की शर्तों का अनुपालन वित्तीय वर्ष 2014–15 के आय–व्यय की निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय में सुनिश्चित किया जायेगा।

2– योजनाओं की विभिन्न मदों पर व्यय शासन के वर्तमान नियमों एवं आदेशों के अनुरूप ही किया जायेगा तथा जहां आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की पूर्व सहमति/स्वीकृति प्राप्त की जाय अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनधिकृत व्यय न किया जाय। मितव्ययता के सम्बन्ध में जारी किये गये शासनादेशों अथवा भविष्य में जारी होने वाले शासनादेशों का विशेष रूप से पालन किया जायेगा। कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले देयको पर लेखा शीर्षक के साथ–साथ अनुदान संख्या तथा आयोजनागत/आयोजनेत्तर का उल्लेख भी किया जाये।

3– वित्त विभाग उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्याः 183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च 2012 में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार धनराशि पृथक आलटमैंट आई0डी0 के अन्तर्गत सौफटवेयर के माध्यम से आनलाइन अवमुक्त कर दी गयी है। धनराशि आहरण/व्यय किये जाने हेतु उक्त शासनादेश में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जाय। आई0डी0 के अंकन से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि संलग्न आवंटन आपको ही हुआ है, यदि अन्य आहरण वितरण अधिकारी का आवंटन आपको प्राप्त होता है तो उसे अंकित न कराया जाय और तत्काल निदेशालय को वापस किया जाय।

4– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014–15 के आय व्ययक में अनुदान संख्या–11, आयोजनेत्तर के अधीन लेखाशीर्षक 2202–सामान्य शिक्षा, 01–प्रारम्भिक शिक्षा, के अन्तर्गत संलग्नक में उल्लिखित सुसंगत ब्यौरेवार शीर्षक/प्राथमिक इकाइयों के नामें डाला जायेगा।

संलग्न– आवंटन आई0डी0।

भवदीय,

(अमिता जोशी)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ0सं0– अर्थ–2/ 20524-26 /5क(02)/06 /2014–15/दिनांक उक्तवत् ।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– महालेखाकार उत्तराखण्ड ओबराय भवन पटेलनगर देहरादून।
2– संयुक्त सचिव, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन, शिक्षा अनुभाग–1 देहरादून।
3– उप निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।
4– मुख्य शिक्षा अधिकारी सम्बन्धित जनपद।
5– सम्बन्धित कोषाधिकारी ।
6– प्रभारी एम0आई0एस0 प्रकोष्ठ शिक्षा निदेशालय।
7– सूचना प्रकोष्ठ शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड।

(अमिता जोशी)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

बेसिक शिक्षा परिषद का राजकीयकरण 22020110104

क. स.	जनपद	छात्र संख्या	रू0 5.00 प्रति छात्र	योग 3X4	योग पूर्णांक
1	2	3	4	5	6
1	उत्तरकाशी	4353	5	21765	22000
2	चमोली	4497	5	22485	23000
3	रूद्रप्रयाग	2852	5	14260	15000
4	टिहरी	7556	5	37780	38000
5	देहरादून	9299	5	46495	47000
6	पौड़ी	6483	5	32415	33000
7	हरिद्वार	17405	5	87025	88000
8	पिथौरागढ़	4608	5	23040	24000
9	बागेश्वर	2943	5	14715	15000
10	अल्मोड़ा	6044	5	30220	31000
11	चम्पावत	3246	5	16230	17000
12	नैनीताल	8111	5	40555	41000
13	ऊधमसिंहनगर	15993	5	79965	80000
		93390		466950	474000

रू0 474/ लाख (रूपये चार लाख चौहत्तर हजार मात्र)

प्रेषक,

बजट आवंटन

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा, तपोवन रोड़, देहरादून।

सेवा में,

जिला शिक्षा अधिकारी

पत्रांक— अर्थ–2/28463-68/28469-74/5क(02)/04/2014–15 दिनांक: 19 मार्च, 2015

विषयः— वित्तीय वर्ष 2014–15 में अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूलों में कार्यरत शिक्षकों/कर्मचारियों के वेतन भुगतान हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपयुक्त विषयक शासनादेश संख्याः 475/XXIV(1)/2014–11/2014 दिनांक 10 अप्रैल 2014 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए विभिन्न मदों में व्यय की स्वीकृति निदेशालय के पत्रांक अर्थ–2/28000–06/5क(02)/04/2014–15 दिनांक 12.03.2014 के द्वारा प्रदान की गयी है। उक्त पत्रांक के द्वारा जनपद चम्पावत एवं देहरादून को क्रमशः आई0डी0 संख्या H1503110029 दिनांक 10.03.2015 एवं आई0डी0 संख्या H1503110031 दिनांक 10.03.2015 त्रुटिवश वित्त अधिकारी को बजट आवंटन किया गया है। उक्त पत्र संख्या 28000–06 दिनांक 12.03.2014 एवं आई0डी0 को तत्काल निरस्त कर पुनः जिला शिक्षा अधिकारी चम्पावत एवं देहरादून को क्रमशः आई0डी0 संख्या H1503111878 दिनांक 16.03.2015 एवं आई0डी0 संख्या H1503111879 दिनांक 16.03.2015 के द्वारा स्वीकृत धनराशि में से जनपदों से प्राप्त मांग के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूलों में नियमानुसार सृजित पदों के सापेक्ष अनुमोदित एवं कार्यरत शिक्षकों/कर्मचारियों के नियमित मासिक वेतन भुगतान हेतु रू0 10959000=00 की अतिरिक्त धनराशि शासनादेश में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन संलग्न विवरणानुसार आपके निवर्तन पर रखने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। कृपया देयकों का भुगतान नियमानुसार समयान्तर्गत करने का कष्ट करें।

1— वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 318/XXVII(1)/2013, दिनांक 18.03.2014 की शर्तों का अनुपालन वित्तीय वर्ष 2014–15 के आय–व्यय की निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय में सुनिश्चित किया जायेगा।

2— योजनाओं की विभिन्न मदों पर व्यय शासन के वर्तमान नियमों एवं आदेशों के अनुरूप ही किया जायेगा तथा जहां आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की पूर्व सहमति/स्वीकृति प्राप्त की जाय अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनधिकृत व्यय न किया जाय। मितव्ययता के सम्बन्ध में जारी किये गये शासनादेशों अथवा भविष्य में जारी होने वाले शासनादेशों का विशेष रूप से पालन किया जायेगा। कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले देयको पर लेखा शीर्षक के साथ–साथ अनुदान संख्या तथा आयोजनागत/आयोजनेत्तर का उल्लेख भी किया जाये। व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर प्रत्येक माह की 08 तारीख तक अर्थ अनुभाग को उपलब्ध कराया जाये।

3— वित्त विभाग उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्याः 183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च 2012 में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार धनराशि पृथक आलटमैंट आई0डी0 के अन्तर्गत सौफटवेयर के माध्यम से आनलाइन अवमुक्त कर दी गयी है। धनराशि आहरण/व्यय किये जाने हेतु उक्त शासनादेश में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जाय। आई0डी0 के कोषागार में अंकन से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि संलग्न आवंटन आपको ही हुआ है, यदि अन्य आहरण वितरण अधिकारी का आवंटन आपको प्राप्त होता है तो उसे कोषागार में अंकित न कराया जाय और तत्काल निदेशालय को वापस किया जाय।

4— इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014–15 के आय व्ययक में अनुदान संख्या–11, आयोजनेत्तर के अधीन लेखाशीर्षक 2202–सामान्य शिक्षा, 01–प्रारम्भिक शिक्षा, 102–अराजकीय प्राथमिक विद्यालयों को सहायता के अन्तर्गत संलग्नक में उल्लिखित सुसंगत ब्यौरेवार शीर्षक/प्राथमिक इकाइयों के नामें डाला जायेगा।

संलग्न–आवंटन।

भवदीय

(अमिता जोशी)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

28463-68

पृ0सं0–अर्थ–2/28469-74/5क(02)/04/2014–15/दिनांक उक्त।

प्रतिलिपिः— निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1— महालेखाकार उत्तराखण्ड ओबराय भवन पटेलनगर देहरादून।
2— संयुक्त सचिव, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन, शिक्षा अनुभाग–1 देहरादून।
3— वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी सम्बन्धित जनपद।
4— प्रभारी एम0आई0एस0 प्रकोष्ठ शिक्षा निदेशालय।
5— सूचना प्रकोष्ठ शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड।

(अमिता जोशी)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

O/C

1– सहायता प्राप्त जूनियर हाई–स्कूलों के प्राइमरी शिक्षकों/कार्मिकों के वेतन भुगतान हेतु **धनराशि (हजार में)**

क्र0	जनपद का नाम	सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल के वेतन	योग
		43– वेतन भत्ते	
1	चम्पावत	959	959
2	देहरादून	10000	10000
	योग	**10959**	**10959**
	उपलब्ध	80149	
	शेष	69190	

बजट आवंटन

प्रेषक,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा तपोवन रोड देहरादून।

सेवा में,

वित्त अधिकारी, शिक्षा
जनपद

पत्रांक– अर्थ–2/ 28475-80 /5क(02)/06/2014–15 दिनांक: 19 मार्च, 2015

विषयः– वित्तीय वर्ष 2014–15 में प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं में अतिरिक्त धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

शासनादेश संख्याः 475/XXIV(1)/2014–11/2014 दिनांक 10 अप्रैल 2014 एवं संख्या 129/XXIV(1)/2015–11/2014 दिनांक 24 फरवरी 2015 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए विभिन्न मदों में व्यय की स्वीकृति प्रदान की गयी है। स्वीकृत धनराशि में से जनपदों द्वारा प्रेषित मांग पर बेसिक शिक्षा परिषद का राजकीयकरण के अध्यापकों के वेतनादि हेतु संलग्न विवरणानुसार धनराशि शासनादेश में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। धनराशि उप शिक्षा अधिकारी को तत्काल आनलाइन अवमुक्त कर दी जाय। उप शिक्षा अधिकारियों को धनराशि का आबंटन इस प्रकार किया जाय कि बजट का संतुलन बना रहे। वेतनादि मदों में विकासखण्ड के वास्तविक मासिक व्यय एवं वांछित मांग के आधार पर ही आगंणित कर समान रूप से धनराशि अवमुक्त की जाय, आवश्यकता से अधिक धनराशि कदापि अवमुक्त न की जाय।

1– वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 318/XXVII(1)/2013, दिनांक 18.03.2014 एवं संख्या 1055/XXVII(1)/2014, दिनांक 30.12.2014 की शर्तों का अनुपालन वित्तीय वर्ष 2014–15 के आय–व्यय की निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय में सुनिश्चित किया जायेगा।

2– योजनाओं की विभिन्न मदों पर व्यय शासन के वर्तमान नियमों एवं आदेशों के अनुरूप ही किया जायेगा तथा जहां आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की पूर्व सहमति/स्वीकृति प्राप्त की जाय अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनधिकृत व्यय न किया जाय। मितव्ययता के सम्बन्ध में जारी किये गये शासनादेशों अथवा भविष्य में जारी होने वाले शासनादेशों का विशेष रूप से पालन किया जायेगा। कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले देयको पर लेखा शीर्षक के साथ–साथ अनुदान संख्या तथा आयोजनागत/आयोजनेत्तर का उल्लेख भी किया जाये। व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर प्रत्येक माह की 08 तारीख तक अर्थ अनुभाग को उपलब्ध कराया जाय।

3– वित्त विभाग उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्याः 183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च 2012 में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार धनराशि पृथक आलटमैंट आई0डी0 के अन्तर्गत सौफटवेयर के माध्यम से आनलाइन अवमुक्त कर दी गयी है। धनराशि आहरण/व्यय किये जाने हेतु उक्त शासनादेश में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जाय। आई0डी0 के अंकन से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि संलग्न आवंटन आपको ही हुआ है, यदि अन्य आहरण वितरण अधिकारी का आवंटन आपको प्राप्त होता है तो उसे अंकित न कराया जाय और तत्काल निदेशालय को वापस किया जाय।

4– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014–15 के आय व्ययक में अनुदान संख्या–11, आयोजनेत्तर के अधीन लेखाशीर्षक 2202–सामान्य शिक्षा, 01–प्रारम्भिक शिक्षा, के अन्तर्गत संलग्नक में उल्लिखित सुसंगत ब्यौरेवार शीर्षक/प्राथमिक इकाइयों के नामें डाला जायेगा।

संलग्न– आवंटन आई0डी0।

भवदीय

(अमिता जोशी)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ0सं0– अर्थ–2/ 28475-80 /5क(02)/06 /2014–15/दिनांक उक्तवत् ।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– महालेखाकार उत्तराखण्ड ओबराय भवन पटेलनगर देहरादून।
2– संयुक्त सचिव, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन, शिक्षा अनुभाग–1 देहरादून।
3– मुख्य शिक्षा अधिकारी सम्बन्धित जनपद।
4– प्रभारी एम0आई0एस0 प्रकोष्ठ शिक्षा निदेशालय।
5– सूचना प्रकोष्ठ शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड।

(अमिता जोशी)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

1– बेसिक शिक्षा परिषद का राजकीयकरण

(रू0 हजार में)

क्र0	जनपद/का0 का नाम	01—वेतन	03—म0भ0	06—अ0भ0	योग
1	उत्तरकाशी	32700	37560	500	70760
	योग	32700	37560	500	70760
	उपलब्ध राशि	208795	318795	2052	529642
	शेष	176095	281235	1552	458882

प्रेषक,

बजट आवंटन

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा तपोवन रोड देहरादून।

सेवा में,

वित्त अधिकारी, शिक्षा
जनपद

पत्रांक– अर्थ–2/ 28158-62 /5क(02)/06/2014–15 दिनांक: 16 मार्च, 2015
विषयः– वित्तीय वर्ष 2014–15 में प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं में अतिरिक्त धनराशि की स्वीकृति।
महोदय,

शासनादेश संख्याः 475/XXIV(1)/2014–11/2014 दिनांक 10 अप्रैल 2014 एवं संख्या 129/XXIV(1)/2015–11/2014 दिनांक 24 फरवरी 2015 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए विभिन्न मदों में व्यय की स्वीकृति प्रदान की गयी है। स्वीकृत धनराशि में से जनपदों द्वारा प्रेषित मांग पर बेसिक शिक्षा परिषद का राजकीयकरण एवं उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय के संचालन हेतु संलग्न विवरणानुसार धनराशि शासनादेश में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। धनराशि उप शिक्षा अधिकारी को तत्काल आनलाइन अवमुक्त कर दी जाय। उप शिक्षा अधिकारियों को धनराशि का आबंटन इस प्रकार किया जाय कि बजट का संतुलन बना रहे। वेतनादि मदों में विकासखण्ड के वास्तविक मासिक व्यय एवं वांछित मांग के आधार पर ही आगंणित कर समान रूप से धनराशि अवमुक्त की जाय, आवश्यकता से अधिक धनराशि कदापि अवमुक्त न की जाय।

1– वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 318/XXVII(1)/2013, दिनांक 18.03.2014 एवं संख्या 1055/XXVII(1)/2014, दिनांक 30.12.2014 की शर्तों का अनुपालन वित्तीय वर्ष 2014–15 के आय–व्यय की निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय में सुनिश्चित किया जायेगा।

2– योजनाओं की विभिन्न मदों पर व्यय शासन के वर्तमान नियमों एवं आदेशों के अनुरूप ही किया जायेगा तथा जहां आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की पूर्व सहमति/स्वीकृति प्राप्त की जाय अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनधिकृत व्यय न किया जाय। मितव्ययता के सम्बन्ध में जारी किये गये शासनादेशों अथवा भविष्य में जारी होने वाले शासनादेशों का विशेष रूप से पालन किया जायेगा। कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले देयको पर लेखा शीर्षक के साथ–साथ अनुदान संख्या तथा आयोजनागत/आयोजनेत्तर का उल्लेख भी किया जाये। व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर प्रत्येक माह की 08 तारीख तक अर्थ अनुभाग को उपलब्ध कराया जाय।

3– वित्त विभाग उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्याः 183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च 2012 में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार धनराशि पृथक आलटमैंट आई0डी0 के अन्तर्गत सौफटवेयर के माध्यमें से आनलाइन अवमुक्त कर दी गयी है। धनराशि आहरण/व्यय किये जाने हेतु उक्त शासनादेश में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जाय। आई0डी0 के अंकन से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि संलग्न आवंटन आपको ही हुआ है, यदि अन्य आहरण वितरण अधिकारी का आवंटन आपको प्राप्त होता है तो उसे अंकित न कराया जाय और तत्काल निदेशालय को वापस किया जाय।

4– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014–15 के आय व्ययक में अनुदान संख्या–11, आयोजनेत्तर के अधीन लेखाशीर्षक 2202–सामान्य शिक्षा, 01–प्रारम्भिक शिक्षा, के अन्तर्गत संलग्नक में उल्लिखित सुसंगत ब्यौरेवार शीर्षक/प्राथमिक इकाइयों के नामें डाला जायेगा।

संलग्न– आवंटन आई0डी0।

भवदीय

(अमिता जोशी)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ0सं0– अर्थ–2/ 28158-62 /5क(02)/06 /2014–15/दिनांक उक्तवत् ।
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– महालेखाकार उत्तराखण्ड ओबराय भवन पटेलनगर देहरादून।
2– संयुक्त सचिव, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन, शिक्षा अनुभाग–1 देहरादून।
3– मुख्य शिक्षा अधिकारी सम्बन्धित जनपद।
4– प्रभारी एम0आई0एस0 प्रकोष्ठ शिक्षा निदेशालय।
5– सूचना प्रकोष्ठ शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड।

(अमिता जोशी)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

1– बेसिक शिक्षा परिषद का राजकीयकरण

(रू0 हजार में)

क्र0	जनपद / का0 का नाम	01—वेतन	03—म0भ0	06—अ0भ0	योग
1	अल्मोड़ा	30000	45056	2000	77056
	योग	30000	45056	2000	77056
	उपलब्ध राशि	208795	706792	4052	919639
	शेष	178795	661736	2052	842583

2– विकास खण्ड स्तर पर उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय की स्थापना

(रू0 हजार में)

क्र0	जनपद / का0 का नाम	01—वेतन	03—म0भ0	06—अ0भ0	योग
1	उत्तरकाशी	509	681	194	1384
	योग	509	681	194	1384
	उपलब्ध राशि	1493	2415	1270	5178
	शेष	984	1734	1076	3794

प्रेषक,

बजट आवंटन

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा तपोवन रोड देहरादून

सेवा में,

आहरण वितरण अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय,
ननूरखेड़ा तपोवन रोड देहरादून।

पत्रांक– अर्थ–2/28084-89/5क(01)/07/2014–15 दिनांक 14 मार्च, 2015

विषयः– सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014–15 के अन्तर्गत केन्द्रांश की प्राप्त द्वितीय किस्त के साथ राज्यांश जोड़कर कुल धनराशि (राज्यांश + केन्द्रांश) अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 368/XXIV(1)/2015–11/2014 टी0सी0 दिनांक 12 मार्च 2015 द्वारा सर्व शिक्षा अभियान योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014–15 में अवमुक्त केन्द्रांश के रूप में रू0 7000.00 लाख की धनराशि प्राप्त हो जाने के द्वष्टिगत विभागीय आय–व्ययक में धनराशि उपलब्धता की सीमा में संलग्नक–1 में उल्लिखित विवरणानुसार राज्यांश सहित अनुदान स0–11 (सामान्य), अनुदान स0–30 (एस0सी0एस0पी0) एवं अनुदान स0–31 (टी0एस0पी0) में कुल धनराशि रू0 **84,32,54000/** अवमुक्त की गयी है। अवमुक्त धनराशि में से संलग्नक में उल्लिखित विवरणानुसार कुल रू0 **84,32,54000/(रुपये चौरासी करोड़ बत्तीस लाख चौवन हजार मात्र)** शासनादेश में उल्लिखित शर्तों तथा प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखते हुए व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

1– वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 318/XXVII(1)/2014 दिनांक 18.03.2014 में वर्णित शर्तों का अनुपालन वित्तीय वर्ष 2014–15 के आय–व्यय की निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय में सुनिश्चित किया जायेगा।

2– वित्त विभाग उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्याः 183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च 2012 में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार धनराशि पृथक आलटमैंट आई0डी0 के अन्तर्गत साफ्टवेयर के माध्यम से आनलाइन अवमुक्त कर दी गयी है, जिसकी अलाटमैंट आई0डी0 संलग्न की जा रही हैं। धनराशि आहरण/व्यय किये जाने हेतु उक्त शासनादेश में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

3– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014–15 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–11, 30 एवं 31 के अधीन लेखाशीर्षक 2202–01–प्रारम्भिक शिक्षा के अधीन संलग्नक में उल्लिखित संबन्धित व्यौरेवार शीर्षक/सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

संलग्न– अलाटमैंट आई0डी0।

भवदीय,

(अमिता जोशी)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ0सं0– अर्थ–2/28084-89/5क(01)/07/2014–15 उक्त दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– महालेखाकार उत्तराखण्ड ओबराय भवन पटेलनगर देहरादून।
2– सचिव, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन, शिक्षा अनुभाग–1 देहरादून।
3– महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड।
4– राज्य परियोजना निदेशक, उत्तराखण्ड सभी के लिए शिक्षा परिषद, देहरादून, उत्तराखण्ड।
5– वरिष्ठ कोषाधिकारी/ कोषाधिकारी साइबर कोषागार देहरादून।
6– सूचना प्रकोष्ठ शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड।

(अमिता जोशी)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

सर्व शिक्षा अभियान

(रू0 हजार में)

अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	शासन से आबंटित बजट	प्रस्तावित आबंटन	शेष
11	2202	622342	622342	0
30	2202	169738	169738	0
31	2202	51174	51174	0
	योग	843254	843254	0

प्रेषक,

निदेशक,,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा, तपोवन रोड़, देहरादून।

बजट आवंटन

सेवा में,

जिला शिक्षा अधिकारी
नैनीताल, पिथौरागढ़, उ0नगर, चमोली, हरिद्वार

पत्रांक– अर्थ–2/ 27332-40 /5क(02)/04/2014–15 दिनांकः 28 फरवरी, 2015

विषयः– वित्तीय वर्ष 2014–15 में अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूलों तथा सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के सम्बद्ध प्राइमरी प्रभाग में कार्यरत शिक्षकों/कर्मचारियों के वेतन भुगतान हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

शासनादेश स0 शासनादेश संख्याः 475/XXIV(1)/2014–11/2014 दिनांक 10 अप्रैल 2014 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए विभिन्न मदों में व्यय की स्वीकृति प्रदान की गयी है। स्वीकृत धनराशि में से जनपदों से प्राप्त मांग के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूलों विद्यालयों तथा सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के सम्बद्ध प्राइमरी प्रभाग में नियमानुसार सृजित पदों के सापेक्ष अनुमोदित एवं कार्यरत शिक्षकों/कर्मचारियों के नियमित मासिक वेतन भुगतान हेतु रू0 26476000=00 की अतिरिक्त धनराशि शासनादेश में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन संलग्न विवरणानुसार आपके निवर्तन पर रखने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। कृपया देयकों का भुगतान नियमानुसार समयान्तर्गत करने का कष्ट करें।

1– वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 318/XXVII(1)/2013, दिनांक 18.03.2014 की शर्तों का अनुपालन वित्तीय वर्ष 2014–15 के आय–व्यय की निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय में सुनिश्चित किया जायेगा।

2– योजनाओं की विभिन्न मदों पर व्यय शासन के वर्तमान नियमों एवं आदेशों के अनुरूप ही किया जायेगा तथा जहां आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की पूर्व सहमति/स्वीकृति प्राप्त की जाय अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनधिकृत व्यय न किया जाय। मितव्ययता के सम्बन्ध में जारी किये गये शासनादेशों अथवा भविष्य में जारी होने वाले शासनादेशों का विशेष रूप से पालन किया जायेगा। कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले देयको पर लेखा शीर्षक के साथ–साथ अनुदान संख्या तथा आयोजनागत/आयोजनेत्तर का उल्लेख भी किया जाये। व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर प्रत्येक माह की 08 तारीख तक अर्थ अनुभाग को उपलब्ध कराया जाये।

3– वित्त विभाग उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्याः 183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च 2012 में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार धनराशि पृथक आलटमैंट आई0डी0 के अन्तर्गत सौफटवेयर के माध्यम से आनलाइन अवमुक्त कर दी गयी है। धनराशि आहरण/व्यय किये जाने हेतु उक्त शासनादेश में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जाय। आई0डी0 के कोषागार में अंकन से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि संलग्न आवंटन आपको ही हुआ है, यदि अन्य आहरण वितरण अधिकारी का आवंटन आपको प्राप्त होता है तो उसे कोषागार में अंकित न कराया जाय और तत्काल निदेशालय को वापस किया जाय।

4– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014–15 के आय व्ययक में अनुदान संख्या–11, आयोजनेत्तर के अधीन लेखाशीर्षक 2202–सामान्य शिक्षा, 01–प्रारम्भिक शिक्षा, 102–अराजकीय प्राथमिक विद्यालयों को सहायता के अन्तर्गत संलग्नक में उल्लिखित सुसंगत ब्यौरेवार शीर्षक/प्राथमिक इकाइयों के नामें डाला जायेगा।

संलग्न– आवंटन।

भवदीय

(अमिता जोशी)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ0सं0–अर्थ–2/ 27332-40 /5क(02)/ 04 /2014–15/दिनांक उक्त।

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– महालेखाकार उत्तराखण्ड ओबराय भवन पटेलनगर देहरादून।
2– संयुक्त सचिव, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन, शिक्षा अनुभाग–1 देहरादून।
3– वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी सम्बन्धित जनपद।
4– प्रभारी एम0आई0एस0 प्रकोष्ठ शिक्षा निदेशालय।
5– सूचना प्रकोष्ठ शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड।

(अमिता जोशी)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

1– सहायता प्राप्त जूनियर हाई–स्कूलों एवं सहायता प्राप्त उ0मा0वि0 से सम्बद्ध प्राइमरी शिक्षकों/कार्मिकों के वेतन भुगतान हेतु **धनराशि (हजार में)**

क्र0	जनपद का नाम	सहायता प्राप्त	सम्बद्ध प्राइमरी	योग
		43– वेतन भत्ते	43– वेतन भत्ते	
1	नैनीताल	2200	230	2430
2	पिथौरागढ़	725	269	994
3	ऊधमसिंहनगर	9002	550	9552
4	चमोली	3000	0	3000
5	हरिद्वार	7500	3000	10500
	योग	**22427**	**4049**	**26476**
	उपलब्ध	102576	6457	
	शेष	80149	2408	

प्रेषक,

बजट आवंटन

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा तपोवन रोड देहरादून।

सेवा में,

वित्त अधिकारी, शिक्षा
जनपद

पत्रांक– अर्थ–2/27260-65/5क(02)/06/2014–15 दिनांकः 27 फरवरी, 2015

विषयः– वित्तीय वर्ष 2014–15 में प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं में अतिरिक्त धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

शासनादेश संख्याः 475/XXIV(1)/2014–11/2014 दिनांक 10 अप्रैल 2014 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए विभिन्न मदों में व्यय की स्वीकृति प्रदान की गयी है। स्वीकृत धनराशि में से जनपदों द्वारा प्रेषित मांग पर बेसिक शिक्षा परिषद का राजकीयकरण एवं उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय के संचालन हेतु संलग्न विवरणानुसार धनराशि शासनादेश में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। धनराशि उप शिक्षा अधिकारी को तत्काल आनलाइन अवमुक्त कर दी जाय। उप शिक्षा अधिकारियों को धनराशि का आबंटन इस प्रकार किया जाय कि बजट का संतुलन बना रहे। **वेतनादि मदों में विकासखण्ड के वास्तविक मासिक व्यय एवं वांछित मांग के आधार पर ही आगंणित कर समान रूप से धनराशि अवमुक्त की जाय, आवश्यकता से अधिक धनराशि कदापि अवमुक्त न की जाय।**

1– वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 318/XXVII(1)/2013, दिनांक 18.03.2014 की शर्तों का अनुपालन वित्तीय वर्ष 2014–15 के आय–व्यय की निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय में सुनिश्चित किया जायेगा।

2– योजनाओं की विभिन्न मदों पर व्यय शासन के वर्तमान नियमों एवं आदेशों के अनुरूप ही किया जायेगा तथा जहां आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की पूर्व सहमति/स्वीकृति प्राप्त की जाय अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनधिकृत व्यय न किया जाय। मितव्ययता के सम्बन्ध में जारी किये गये शासनादेशों अथवा भविष्य में जारी होने वाले शासनादेशों का विशेष रूप से पालन किया जायेगा। कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले देयको पर लेखा शीर्षक के साथ–साथ अनुदान संख्या तथा आयोजनागत/आयोजनेत्तर का उल्लेख भी किया जाये। व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर प्रत्येक माह की 08 तारीख तक अर्थ अनुभाग को उपलब्ध कराया जाय।

3– वित्त विभाग उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्याः 183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च 2012 में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार धनराशि पृथक आलटमैंट आई0डी0 के अन्तर्गत सौफटवेयर के माध्यम से आनलाइन अवमुक्त कर दी गयी है। धनराशि आहरण/व्यय किये जाने हेतु उक्त शासनादेश में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जाय। आई0डी0 के अंकन से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि संलग्न आवंटन आपको ही हुआ है, यदि अन्य आहरण वितरण अधिकारी का आवंटन आपको प्राप्त होता है तो उसे अंकित न कराया जाय और तत्काल निदेशालय को वापस किया जाय।

4– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014–15 के आय व्ययक में अनुदान संख्या–11, आयोजनेत्तर के अधीन लेखाशीर्षक 2202–सामान्य शिक्षा, 01–प्रारम्भिक शिक्षा, के अन्तर्गत संलग्नक में उल्लिखित सुसंगत ब्यौरेवार शीर्षक/प्राथमिक इकाइयों के नामें डाला जायेगा।

संलग्न– आवंटन आई0डी0।

भवदीय

(अमिता जोशी)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ0सं0– अर्थ–2/27260-65/5क(02)/06/2014–15/दिनांक उक्तवत्।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– महालेखाकार उत्तराखण्ड ओबराय भवन पटेलनगर देहरादून।
2– संयुक्त सचिव, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन, शिक्षा अनुभाग–1 देहरादून।
3– मुख्य शिक्षा अधिकारी सम्बन्धित जनपद।
4– प्रभारी एम0आई0एस0 प्रकोष्ठ शिक्षा निदेशालय।
5– सूचना प्रकोष्ठ शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड।

(अमिता जोशी)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।
O/C

1– बेसिक शिक्षा परिषद का राजकीयकरण

(रू0 हजार में)

क्र0	जनपद/का0 का नाम	01–वेतन	03–म0भ0	05–स्था0या0	06–अ0भ0	09–विद्युत	10–जलकर	16–व्या0	योग
1	अल्मोड़ा					2150	1200		3350
2	बागेश्वर	30000	20000		1000				51000
3	चम्पावत	15000	18500		7000				40500
4	नैनीताल	8000	11000	26	0				19026
5	पिथौरागढ़	35000	41600		7500				84100
6	रूद्रप्रयाग	40703	38306		4843	160	95		84107
7	पौड़ी	80000	73000		7000	699	50		160749
8	टिहरी	50000	63000		7000	300		50	120350
9	उत्तरकाशी			31					31
10	हरिद्वार	14000	4500			450		50	19000
	योग	272703	269906	57	34343	3759	1345	100	582213
	उपलब्ध राशि	481498	976698	1976	38395	3759	3442	100	1505868
	शेष	208795	706792	1919	4052	0	2097	0	923655

2– विकासखण्ड स्तर पर उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय की स्थापना।

(रू0 हजार में)

क्र0	जनपद/का0 का नाम	वि0ख0की स0	04–यात्रा	05–स्था0या0	08–कार्या0	16–व्या0	42–अन्य	46–क0हा0	47–क0अनु0	योग
1	अल्मोड़ा	11			22			50		72
2	बागेश्वर	3	20		6	96				122
3	चम्पावत	4			8					8
4	नैनीताल	8	10		16					26
5	पिथौरागढ़	8			16			50		66
6	उधम सिंह	7			14					14
7	चमोली	9	50	53	18					121
8	रूद्रप्रयाग	3	30		6				0	36
9	पौड़ी	15			30			50		80
10	टिहरी	9	20		18			50		88
11	उत्तरकाशी	6			12					12
12	देहरादून	6			12					12
13	हरिद्वार	6	50	10	12	10	20		30	132
	योग	95	180	63	190	106	20	200	30	789
	उपलब्ध राशि		325	100	230	1440	250	205	35	2585
	शेष		145	37	40	1334	230	5	5	1796

बजट आवंटन

सेवा में,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा, तपोवन रोड, देहरादून।

सेवा में,

1—मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक (प्रारम्भिक शिक्षा)
(2) सभी

2—वित्त अधिकारी शिक्षा
जनपद (13) सभी

पत्रांक— अर्थ—2/27266-73 /5क(02)/05/2014—15 दिनांक: 27 फरवरी, 2015

विषयः— वित्तीय वर्ष 2014—15 में प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक (प्रा0शि0 कार्यालय एवं जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0) कार्यालय के संचालन हेतु धनराशि व स्वीकृति।

महोदय,

शासनादेश संख्याः 475/XXIV(1)/2014—11/2014 दिनांक 10 अप्रैल 2014 एवं संख 1339/XXIV(1)/2014—11/2014टी.सी. दिनांक 26 दिसम्बर 2014 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2014—15 के लि विभिन्न मदों में व्यय की स्वीकृति प्रदान की गयी है। अवमुक्त धनराशि में से प्राप्त मांग के क्रम में मण्डलीय अपर शि निदेशक (प्रा0शि0) कार्यालय/जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0) कार्यालय के संचालन हेतु रू0 49040000=00 धनराशि शासनादेश में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन संलग्न विवरणानुसार आपके निवर्तन पर रखने व स्वीकृति प्रदान की जाती है।

1— वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 318/XXVII(1)/2013, दिनांक 18.03.2014 की शर्तों का अनुपालन वित्त वर्ष 2014—15 के आय—व्यय की निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय में सुनिश्चित किया जायेगा।

2— योजनाओं की विभिन्न मदों पर व्यय शासन के वर्तमान नियमों एवं आदेशों के अनुरूप ही किया जाये तथा जहां आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की पूर्व सहमति/स्वीकृति प्राप्त की जाय अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा अनधिकृत व्यय न किया जाय। मितव्ययता के सम्बन्ध में जारी किये गये शासनादेशों अथवा भविष्य में जारी हो वाले शासनादेशों का विशेष रूप से पालन किया जायेगा। कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले देयको पर ले शीर्षक के साथ—साथ अनुदान संख्या तथा आयोजनागत/आयोजनेत्तर का उल्लेख भी किया जाये। व्यय विव निर्धारित प्रारूप पर प्रत्येक माह की 08 तारीख तक अर्थ अनुभाग को उपलब्ध कराया जाये।

3— वित्त विभाग उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्याः 183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च 2012 उल्लिखित प्राविधान के अनुसार धनराशि पृथक आलटमैंट आई0डी0 के अन्तर्गत सौफ्टवेयर के माध्यम से आनला अवमुक्त कर दी गयी है। धनराशि आहरण/व्यय किये जाने हेतु उक्त शासनादेश में उल्लिखित प्राविधानों अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

4— इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014—15 के आय व्ययक में अनुदान संख्या—11, आयोजने के अधीन लेखाशीर्षक 2202—सामान्य शिक्षा, 01—प्रारभिक शिक्षा, 104—निरीक्षण, 03—क्षेत्रीय निरीक्षण (2202—02—101—03 स्थानान्तरित) के अधीन संबंधित सुसंगत प्राथमिक इकाइयों के नामें डाला जायेंगा।

भवदीय

संलग्न— आवंटन।

(अमिता जोशी)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ0सं0— अर्थ—2/27266-73 /5क(02)/05/2014—15 उक्त दिनांक।
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1— महालेखाकार उत्तराखण्ड ओबराय भवन पटेलनगर देहरादून।
2— अनु—सचिव, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन, शिक्षा अनुभाग—1 देहरादून।
3— महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड।
4— सम्बन्धित मुख्य/जिला शिक्षा अधिकारी ।
5— सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी
6— सूचना प्रकोष्ठ शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड।

(अमिता जोशी)
वित्त नियन्त्रक
O/C विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

प्रेषक,

निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा तपोवन रोड देहरादून।

बजट आवंटन

सेवा में,

आहरण वितरण अधिकारी
प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय,
ननूरखेड़ा तपोवन रोड देहरादून।

पत्रांक–अर्थ–2/ 26867-72 /5क(02)/12/2014–15, दिनांक: 23 फरवरी, 2015

विषयः– शैक्षिक सत्र 2014–15 के में प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत द्वितीय अनुपूरक मांग में खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन हेतु धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्याः 117/XXIV(1)/2015–11/2014 दिनांक 05 फरवरी, 2015 द्वारा वित्तीय वर्ष 2014–15 के आय व्यय में अनुदान स0 11 के आयोजनागत पक्ष में शैक्षिक सत्र 2014–15 में प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत होने वाली खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन हेतु कुल धनराशि रू0 13,00,000/– स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि में से **रू0 13,00,000/– (रुपये तेरह लाख मात्र)** आपकी मांग के अनुसार एवं शासनादेश में उल्लिखित शर्तों तथा प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखते हुए व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2– वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 318/XXVII(1)/2013, दिनांक 18.03.2014 एवं शासनादेश संख्या 1055/XXVII(1)/2014, दिनांक 30.12.2014 में वर्णित शर्तों का अनुपालन वित्तीय वर्ष 2014–15 के आय–व्ययक की निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय में सुनिश्चित किया जायेगा।

3– वित्त विभाग उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्याः 183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च 2012 में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार धनराशि पृथक आलटमैंट आई0डी0 के अन्तर्गत सौफ्टवेयर के माध्यम से आनलाइन अवमुक्त कर दी गयी है जिसकी अलाटमैंट आई0डी0 संलग्न की जा रही है। धनराशि आहरण/व्यय किये जाने हेतु उक्त शासनादेश में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

4– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014–15 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–11 के अधीन लेखाशीर्षक 2202–सामान्य शिक्षा, 01–प्रारम्भिक शिक्षा, 800–अन्य व्यय, 05–खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन, 42– अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

संलग्न–आवंटन।

भवदीय,

(अमिता जोशी)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ0सं0 अर्थ–2/ 26867-72 /5क(02)/12/2014–15 दिनांक उक्तवत्।

प्रतिलिपिः निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– महालेखाकार उत्तरांखण्ड।
2– सचिव, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3– वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, साइबर कोषागार, देहरादून।
4– उप निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय, ननूरखेड़ा, देहरादून।
5– सूचना प्रकोष्ठ शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड।

(अमिता जोशी)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

D/C

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - 20142015

Director Elementary Education (4514)

आवंटन पत्र संख्या -

अनुदान संख्या - 011

अलोटमेंट आई डी - H1502110856

आवंटन पत्र दिनांक -10-Feb-2015 -

DDO Name - Director Elementry Education (4514) , Treasury - Cpao (1200)

: लेखा शीर्षक 2202 - सामान्य शिक्षा

800 - अन्य व्यय

00 - खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन

01 - प्रारम्भिक शिक्षा

05 - खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन

Plan Voted

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	योग
42 - अन्य व्यय	2000000	1300000	3300000
	2000000	**1300000**	**3300000**

Total Current Allotment To DDO In Above Schemes - 1300000

वित्त नियंत्रक
विद्यालयी शिक्षा
उत्तराखण्ड

प्रेषक,

बजट आवंटन

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा तपोवन मार्ग देहरादून।

सेवा में,

आहरण वितरण अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय,
ननूरखेड़ा, तपोवन रोड़, देहरादून।

पत्रांक– अर्थ–2/20665-70/5क(01)/07/2014–15 दिनांकः 05 फरवरी, 2015

विषय सर्व शिक्षा अभियान के कार्यकम संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2014–15 में 13 वें वित आयोग द्वारा संस्तुत धनराशि को अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 115/XXIV(1)/2015–34/2007 दिनांक 02 फरवरी, 2015 द्वारा वित्तीय वर्ष 2014–15 में सर्व शिक्षा अभियान कार्यकम संचालन हेतु 13 वें वित आयोग द्वारा संस्तुत सम्पूर्ण धनराशि रू0 46,00,00,000/(छियालीस करोड़ मात्र) अवमुक्त की गई है। अवमुक्त धनराशि में से **रू0 46,00,00,000/(छियालीस करोड़ मात्र)** शासनादेश में उल्लिखित शर्तों तथा प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखते हुए व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

1– धनराशि का आहरण एवं व्यय यथा आवश्यकतानुसार निर्धारित दिशा निर्देशों/मानकों/नियमों के अनुरूप ही किया जायेगा। धनराशि का नगद आहरण किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा। धनराशि का एकमुश्त आहरण का चैक/बैंक ड्राफ्ट राज्य परियोजना निदेशक उत्तराखण्ड सभी के लिए शिक्षा परिषद को उपलब्ध कराया जायेगा।

2– उक्त धनराशि का उपयोग 31–03–2015 तक करते हुए उपयोगिता प्रमाण–पत्र निर्धारित प्रारूप पर शासन को अवश्यमेव उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

3– वित्त विभाग उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्याः 183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च 2012 में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार धनराशि पृथक आलटमैंट आई0डी0 के अन्तर्गत सौफटवेयर के माध्यम से आनलाइन अवमुक्त कर दी गयी है जिसकी अलाटमैंट आई0डी0 संलग्न की जा रही है। धनराशि आहरण/व्यय किये जाने हेतु उक्त शासनादेश में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

4– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014–15 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–11 के अधीन लेखाशीर्षक 2202–सामान्य शिक्षा, 01–प्रारम्भिक शिक्षा, 800–अन्य व्यय, 0105–तेरहवें वित आयोग की संस्तुतियों का कियान्वयन, 20–सहायक अनुदान/अंशदान/राजसहायता के अधीन सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

भवदीय,

संलग्न–आवंटन।

(अमिता जोशी)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ0सं0 अर्थ–2/20665-70/5क(01)/07/2014–15 दिनांक उक्तवत्।

प्रतिलिपिः निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– महालेखाकार उत्तराखण्ड।
2– सचिव विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
3– राज्य परियोजना निदेशक, उत्तराखण्ड सभी के लिए शिक्षा परिषद, देहरादून, उत्तराखण्ड।
4– वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, साइबर कोषागार, देहरादून।
5– उप शिक्षा निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय।
6– सूचना प्रकोष्ठ शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड।

(अमिता जोशी)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - 20142015

Director Elementary Education (4514)

वंटन पत्र संख्या -

अलोटमेंट आई डी - H1502110268

उदान संख्या - 011

आवंटन पत्र दिनांक 04-Feb-2015

DDO Name - Director Elementry Education (4514) , Treasury - Cpao (1200)

खा शीर्षक

2202 - सामान्य शिक्षा

800 - अन्य व्यय

05 - तेरहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों का क्रियान्वयन

01 - प्रारम्भिक शिक्षा

01 - केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना

Plan Voted

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	योग
20 - सहायक अनुदान/अंशदान/राज	0	460000000	460000000
	0	460000000	460000000

Total Current Allotment To DDO In Above Schemes - 460000000

वित्त नियंत्रक
विद्यालयी शिक्षा
उत्तराखण्ड

बजट आवंटन

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा, तपोवन रोड़, देहरादून

सेवा में,

आहरण वितरण अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय,
ननूरखेड़ा, तपोवन रोड़, देहरादून।

पत्रांक– अर्थ–2/19467-72/5क(02)/21/2014–15 दिनांक 17 जनवरी, 2015
विषयः– वित्तीय वर्ष 2014–15 में ई–पोर्टल (एजूकेशन पोर्टल) हेतु धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 1355/XXIV(1)/2014–22/2012 दिनांक 12 जनवरी 2015 एवं संख्या 46/ XXIV(1)/2015–22/2012 दिनांक 12 जनवरी 2015 द्वारा वित्तीय वर्ष 2014–15 के आय व्ययक में अनुदान स0–11 के आयोजनागत पक्ष में एजूकेशन पोर्टल के संचालन हेतु क्रमशः रू0 2,00,000/– एवं रू0 17,00,000/– कुल रू0 19,00,000/(रूपये उन्नीस लाख मात्र) अवमुक्त की गई है। अवमुक्त धनराशि में से **रू0 19,00,000/(रूपये उन्नीस लाख मात्र)** शासनादेश में उल्लिखित शर्तों तथा प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखते हुए व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

1– वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 318/XXVII(1)/2013, दिनांक 18.03.2014 की शर्तों का अनुपालन वित्तीय वर्ष 2014–15 के आय–व्यय की निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय में सुनिश्चित किया जायेगा।

2– वित्त विभाग उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्याः 183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च 2012 में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार धनराशि पृथक अलाटमैंट आई0डी0 के अन्तर्गत साफ्टवेयर के माध्यम से आनलाइन अवमुक्त कर दी गयी है जिसकी अलाटमैंट आई0डी0 संलग्न की जा रही हैं। धनराशि आहरण/व्यय किये जाने हेतु उक्त शासनादेश में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

3– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014–15 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–11 के अधीन लेखाशीर्षक 2202–सामान्य शिक्षा, 01–प्रारम्भिक शिक्षा, 800–अन्य व्यय, 07–एजूकेशन पोर्टल की विभिन्न मानक मदों के नामें डाला जायेगा।

संलग्न– अलाटमैंट आई0डी0।

भवदीय,

(अमिता जोशी)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड

पृ0सं0– अर्थ–2/ /5क(02)/21/2014–15 उक्त दिनांक।
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– महालेखाकार उत्तराखण्ड, ओबराय भवन, पटेलनगर, देहरादून।
2– सचिव, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन, शिक्षा अनुभाग–1 देहरादून।
3– महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।
4– वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी साइबर कोषागार देहरादून।
5– उप निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड।
6– सूचना प्रकोष्ठ शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड।

(अमिता जोशी)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - 20142015

Director Elementary Education (4514)

आवंटन पत्र संख्या -

अनुदान संख्या - 011

अलोटमेंट आई डी - H1501110808

आवंटन पत्र दिनांक -15-Jan-2015

DDO Name - Director Elementry Education (4514) , Treasury - Cpao (1200)

लेखा शीर्षक	2202 - सामान्य शिक्षा	01 - प्रारम्भिक शिक्षा
	800 - अन्य व्यय	07 - एजूकेशन पोर्टल
	00 - एजूकेशन पोर्टल	

Plan Voted

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	योग
16 - व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओ	0	1000000	1000000
26 - मशीनें और सज्जा /उपकरण औ	0	600000	600000
42 - अन्य व्यय	0	200000	200000
46 - कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर	0	100000	100000
	0	**1900000**	**1900000**

Total Current Allotment To DDO In Above Schemes - 1900000

वित्त नियंत्रक
विद्यालयी शिक्षा
उत्तराखण्ड

प्रेषक,

बजट आवंटन

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा तपोवन मार्ग देहरादून।

सेवा में,

आहरण वितरण अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय,
ननूरखेड़ा, तपोवन रोड़, देहरादून।

पत्रांक–अर्थ–2/ 19421-26 /5क(02)14/2014–15 दिनांकः 15 जनवरी, 2015

विषय वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम,2009 की धारा–12 (1)(सी0)के अन्तर्गत अध्ययनरत एवं नवीन प्रवेशित बच्चों के प्रतिपूर्ति व्यय हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

शासनादेश संख्याः 1130/XXIV(1)/2014–05/2013 दिनांक 07 जनवरी 2015 द्वारा वित्तीय वर्ष 2014–15 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा–12(1)(सी) के अन्तर्गत अध्ययनरत एवं नवीन प्रवेशित बच्चों के प्रतिपूर्ति व्यय हेतु जनपदों से प्राप्त प्रतिपूर्ति मांग के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष 2014–15 में उक्त योजनान्तर्गत संलग्नक–1 में उल्लिखित विवरणानुसार अनुदान स0 11 (सामान्य), अनुदान सं0 30 (एस0सी0पी0) एवं अनुदान स0 31 (टी0एस0पी0) में सम्पूर्ण प्राविधानित धनराशि रू0 **33,45,36,000–00** की स्वीकृति प्राप्त हुई है। स्वीकृत धनराशि रू0 **33,45,36,000–00** (रूपये तेतीस करोड़ पैंतालिस लाख छत्तीस हजार मात्र) आपके निवर्तन पर रखते हुए शासनादेश में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

1– धनराशि का आहरण एवं व्यय यथा आवश्यकतानुसार निर्धारित दिशा निर्देशों/मानकों/नियमों के अनुरूप ही किया जायेगा। धनराशि का नगद आहरण किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा। धनराशि का एकमुश्त आहरण का चैक/बैंक ड्राफ्ट राज्य परियोजना निदेशक उत्तराखण्ड सभी के लिए शिक्षा परिषद को उपलब्ध कराया जायेगा।

2– वित्त विभाग उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्याः 183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च 2012 में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार धनराशि पृथक आलटमैंट आई0डी0 के अन्तर्गत सौफटवेयर के माध्यम से आनलाइन अवमुक्त कर दी गयी है जिसकी अलाटमैंट आई0डी0 संलग्न की जा रही है। धनराशि आहरण/व्यय किये जाने हेतु उक्त शासनादेश में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

3– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2014–15 के आय व्ययक में अनुदान संख्या–11, 30 एवं 31 (आयोजनागत) के अधीन लेखा शीर्षक 2202–01 प्रारम्भिक शिक्षा के अधीन संलग्नक में उल्लिखित संबधित ब्यौरेवार शीर्षक/सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

भवदीय

संलग्न–आवंटन।

(अमिता जोशी)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ0सं0– अर्थ–2/19421-26 /5क(02)/14/2014–15 उक्त दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– महालेखाकार उत्तराखण्ड।
2– सचिव विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
3– राज्य परियोजना निदेशक, उत्तराखण्ड सभी के लिए शिक्षा परिषद, देहरादून, उत्तराखण्ड।
4– वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, साइबर कोषागार, देहरादून।
5– उप शिक्षा निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय।
6– सूचना प्रकोष्ठ शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड।

(अमिता जोशी)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

क्रमांक	अनु0 सं0	लेखा शीर्षक	शासन से अवमुक्त	आवंटन हेतु प्रस्तावित
1	11	22020110224–42	252480	252480
2	30	22020180002–42	70694	70694
3	31	22020180002–42	11362	11362
		कुल योग	334536	334536

प्रेषक,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा, तपोवन रोड देहरादून।

सेवा में,

वित्त अधिकारी, शिक्षा
जनपद

पत्रांक– अर्थ–2/ 19314-19 /5क(02)/06/2014–15 दिनांक: 14 जनवरी, 2015

विषयः– वित्तीय वर्ष 2014–15 में प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं में अतिरिक्त धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

शासनादेश संख्याः 475/XXIV(1)/2014–11/2014 दिनांक 10 अप्रैल 2014 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए विभिन्न मदों में व्यय की स्वीकृति प्रदान की गयी है। स्वीकृत धनराशि में से जनपदों द्वारा प्रेषित मांग पर बेसिक शिक्षा परिषद का राजकीयकरण तथा विकासखण्ड स्तर पर उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय स्थापना हेतु संलग्न विवरणानुसार धनराशि शासनादेश में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। धनराशि उप शिक्षा अधिकारी को तत्काल आनलाइन अवमुक्त कर दी जाय। उप शिक्षा अधिकारियों को धनराशि का आबंटन इस प्रकार किया जाय कि बजट का सन्तुलन बना रहे। **वेतनादि मदों में विकासखण्ड के वास्तविक मासिक व्यय के आधार पर ही आगंणित कर समान रूप से धनराशि अवमुक्त की जाय, आवश्यकता से अधिक धनराशि कदापि अवमुक्त न की जाय।**

1– वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 318/XXVII(1)/2013, दिनांक 18.03.2014 की शर्तों का अनुपालन वित्तीय वर्ष 2014–15 के आय–व्यय की निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय में सुनिश्चित किया जायेगा।

2– योजनाओं की विभिन्न मदों पर व्यय शासन के वर्तमान नियमों एवं आदेशों के अनुरूप ही किया जायेगा तथा जहां आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की पूर्व सहमति/स्वीकृति प्राप्त की जाय अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनधिकृत व्यय न किया जाय। मितव्ययता के सम्बन्ध में जारी किये गये शासनादेशों अथवा भविष्य में जारी होने वाले शासनादेशों का विशेष रूप से पालन किया जायेगा। कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले देयको पर लेखा शीर्षक के साथ–साथ अनुदान संख्या तथा आयोजनागत/आयोजनेत्तर का उल्लेख भी किया जाये। व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर प्रत्येक माह की 08 तारीख तक अर्थ अनुभाग को उपलब्ध कराया जाये।

3– वित्त विभाग उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्याः 183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च 2012 में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार धनराशि पृथक आलटमैंट आई0डी0 के अन्तर्गत सौफटवेयर के माध्यम से आनलाइन अवमुक्त कर दी गयी है। धनराशि आहरण/व्यय किये जाने हेतु उक्त शासनादेश में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जाय। आई0डी0 के अंकन से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि संलग्न आवंटन आपको ही हुआ है, यदि अन्य आहरण वितरण अधिकारी का आवंटन आपको प्राप्त होता है तो उसे अंकित न कराया जाय और तत्काल निदेशालय को वापस किया जाय।

4– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014–15 के आय व्ययक में अनुदान संख्या–11, आयोजनेत्तर के अधीन लेखाशीर्षक 2202–सामान्य शिक्षा, 01–प्रारम्भिक शिक्षा, के अन्तर्गत संलग्नक में उल्लिखित सुसंगत ब्यौरेवार शीर्षक/प्राथमिक इकाइयों के नामें डाला जायेगा।

संलग्न– आवंटन।

भवदीय

Amita

(अमिता जोशी)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ0सं0– अर्थ–2/ /5क(02)/ 06 /2014–15/दिनांक उक्त ।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– महालेखाकार उत्तराखण्ड ओबराय भवन पटेलनगर देहरादून।
2– संयुक्त सचिव, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन, शिक्षा अनुभाग–1 देहरादून।
3– मुख्य शिक्षा अधिकारी सम्बन्धित जनपद।
4– प्रभारी एम0आई0एस0 प्रकोष्ठ शिक्षा निदेशालय।
5– सूचना प्रकोष्ठ शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड।

(अमिता जोशी)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

1– बेसिक शिक्षा परिषद का राजकीयकरण (रू0 हजार में)

क्र0	जनपद / का0 का नाम	01–वेतन	03–म0भ0	06–अ0भ0	27–चिकि0	योग
1	अल्मोड़ा				63	63
2	चम्पावत				172	172
3	नैनीताल	12000	14000	3500	26	29526
4	उधम सिंह				32	32
5	चमोली	28900	20000	2000	105	51005
6	पौड़ी				225	225
7	टिहरी				115	115
8	उत्तरकाशी				328	328
9	देहरादून	121200	127900	10000	525	259625
10	हरिद्वार	40000	25000	9000	137	74137
	योग	202100	186900	24500	1728	415228
	उपलब्ध राशि	683598	1163598	62895	1934	1912025
	शेष	481498	976698	38395	206	1496797

2– विकासखण्ड स्तर पर उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय की स्थापना। (रू0 हजार में)

क्र0	जनपद / का0 का नाम	01–वेतन	03–म0भ0	योग
1	अल्मोड़ा	150	200	350
2	नैनीताल	150	600	750
3	चमोली	150	400	550
4	रूद्रप्रयाग	200	400	600
5	पौड़ी	150	400	550
6	उत्तरकाशी	300	400	700
7	देहरादून	300	500	800
8	हरिद्वार	300	400	700
	योग	1700	3300	5000
	उपलब्ध राशि	1700	3350	5050
	शेष	0	50	50

3– शिक्षा मित्रों का मानदेय– (रू0 हजार में)

क्र0	जनपद का नाम	शिक्षा मित्र का मानदेय
		20– सहायक अनुदान
1	उत्तरकाशी	5000
2	देहरादून	3090
	योग	**8090**
	उपलब्ध	32426
	शेष	24336

बजट आवंटन

प्रेषक,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा, तपोवन रोड़, देहरादून।

सेवा में,

जिला शिक्षा अधिकारी बागेश्वर, पौड़ी, देहरादून
समस्त ।

पत्रांक– अर्थ–2/ 31774-80 /5क(02)/04/2014–15 दिनांक: 13 जनवरी, 2015

विषयः– वित्तीय वर्ष 2014–15 में अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूलों तथा सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के सम्बद्ध प्राइमरी प्रभाग में कार्यरत शिक्षकों/कर्मचारियों के वेतन भुगतान हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

शासनादेश स0 शासनादेश संख्याः 475/XXIV(1)/2014–11/2014 दिनांक 10 अप्रैल 2014 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए विभिन्न मदों में व्यय की स्वीकृति प्रदान की गयी है। स्वीकृत धनराशि में से जनपदों से प्राप्त मांग के कम में अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूलों विद्यालयों तथा सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के सम्बद्ध प्राइमरी प्रभाग में नियमानुसार सृजित पदों के सापेक्ष अनुमोदित एवं कार्यरत शिक्षकों/कर्मचारियों के नियमित मासिक वेतन भुगतान हेतु रू0 20827000=00 की अतिरिक्त धनराशि शासनादेश में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन संलग्न विवरणानुसार आपके निवर्तन पर रखने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। कृपया देयकों का भुगतान नियमानुसार समयान्तर्गत करने का कष्ट करें।

1– वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 318/XXVII(1)/2013, दिनांक 18.03.2014 की शर्तों का अनुपालन वित्तीय वर्ष 2014–15 के आय–व्यय की निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय में सुनिश्चित किया जायेगा।

2– योजनाओं की विभिन्न मदों पर व्यय शासन के वर्तमान नियमों एवं आदेशों के अनुरूप ही किया जायेगा तथा जहां आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की पूर्व सहमति/स्वीकृति प्राप्त की जाय अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनधिकृत व्यय न किया जाय। मितव्ययता के सम्बन्ध में जारी किये गये शासनादेशों अथवा भविष्य में जारी होने वाले शासनादेशों का विशेष रूप से पालन किया जायेगा। कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले देयको पर लेखा शीर्षक के साथ–साथ अनुदान संख्या तथा आयोजनागत/आयोजनेत्तर का उल्लेख भी किया जाये। व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर प्रत्येक माह की 08 तारीख तक अर्थ अनुभाग को उपलब्ध कराया जाये।

3– वित्त विभाग उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्याः 183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च 2012 में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार धनराशि पृथक आलटमैंट आई0डी0 के अन्तर्गत सौफटवेयर के माध्यम से आनलाइन अवमुक्त कर दी गयी है। धनराशि आहरण/व्यय किये जाने हेतु उक्त शासनादेश में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जाय। आई0डी0 के कोषागार में अंकन से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि संलग्न आवंटन आपको ही हुआ है, यदि अन्य आहरण वितरण अधिकारी का आवंटन आपको प्राप्त होता है तो उसे कोषागार में अंकित न कराया जाय और तत्काल निदेशालय को वापस किया जाय।

4– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014–15 के आय व्ययक में अनुदान संख्या–11, आयोजनेत्तर के अधीन लेखाशीर्षक 2202–सामान्य शिक्षा, 01–प्रारम्भिक शिक्षा, 102–अराजकीय प्राथमिक विद्यालयों को सहायता के अन्तर्गत संलग्नक में उल्लिखित सुसंगत ब्यौरेवार शीर्षक/प्राथमिक इकाइयों के नामें डाला जायेगा।

संलग्न– आवंटन।

भवदीय

(अमिता जोशी)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ0सं0–अर्थ–2/ 31774-80 /5क(02)/ 04 /2014–15/दिनांक उक्त ।

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– महालेखाकार उत्तराखण्ड ओबराय भवन पटेलनगर देहरादून।
2– संयुक्त सचिव, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन, शिक्षा अनुभाग–1 देहरादून।
3– वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी सम्बन्धित जनपद।
4– प्रभारी एम0आई0एस0 प्रकोष्ठ शिक्षा निदेशालय।
5– सूचना प्रकोष्ठ शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड।

(अमिता जोशी)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

क्र0	जनपद का नाम	सहायता प्राप्त	सम्बद्ध प्राइमरी	योग
		43– वेतन भत्ते	43– वेतन भत्ते	
1	बागेश्वर	827		827
2	पौड़ी	15000		15000
3	देहरादून	0	5000	5000
	योग	**15827**	**5000**	**20827**
	उपलब्ध	118403	11457	
	शेष	102576	6457	

सेवा में,

बजट आवंटन

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा, तपोवन रोड, देहरादून।

सेवा में,

1—मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक (प्रारम्भिक शिक्षा),
नैनीताल

2—वित्त अधिकारी शिक्षा
जनपद 2 जनपद नैनीताल, पिथौरागढ़

पत्रांक— अर्थ—2/ 31766-73 /5क(02)/05/2014—15 दिनांकः 13 जनवरी, 2015

विषयः— वित्तीय वर्ष 2014—15 में प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक (प्रा0शि0) कार्यालय एवं जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0) कार्यालय के संचालन हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

शासनादेश संख्याः 475/XXIV(1)/2014—11/2014 दिनांक 10 अप्रैल 2014 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2014—15 के लिए विभिन्न मदों में व्यय की स्वीकृति प्रदान की गयी है। अवमुक्त धनराशि में से प्राप्त मांग के क्रम में मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक (प्रा0शि0) कार्यालय/जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0) कार्यालय के संचालन हेतु रू0 1080000=00 की धनराशि शासनादेश में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन संलग्न विवरणानुसार आपके निवर्तन पर रखने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

1— वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 318/XXVII(1)/2013, दिनांक 18.03.2014 की शर्तों का अनुपालन वित्तीय वर्ष 2014—15 के आय—व्यय की निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय में सुनिश्चित किया जायेगा।

2— योजनाओं की विभिन्न मदों पर व्यय शासन के वर्तमान नियमों एवं आदेशों के अनुरूप ही किया जायेगा तथा जहां आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की पूर्व सहमति/स्वीकृति प्राप्त की जाय अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनधिकृत व्यय न किया जाय। मितव्ययता के सम्बन्ध में जारी किये गये शासनादेशों अथवा भविष्य में जारी होने वाले शासनादेशों का विशेष रूप से पालन किया जायेगा। कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले देयको पर लेखा शीर्षक के साथ—साथ अनुदान संख्या तथा आयोजनागत/आयोजनेत्तर का उल्लेख भी किया जाये। व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर प्रत्येक माह की 08 तारीख तक अर्थ अनुभाग को उपलब्ध कराया जाये।

3— वित्त विभाग उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्याः 183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च 2012 में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार धनराशि पृथक आलटमैंट आई0डी0 के अन्तर्गत सौफ्टवेयर के माध्यम से आनलाइन अवमुक्त कर दी गयी है। धनराशि आहरण/व्यय किये जाने हेतु उक्त शासनादेश में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

4— इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014—15 के आय व्ययक में अनुदान संख्या—11, आयोजनेत्तर के अधीन लेखाशीर्षक 2202—सामान्य शिक्षा, 01—प्रारभिक शिक्षा, 104—निरीक्षण, 03—क्षेत्रीय निरीक्षण (2202—02—101—03 से स्थानान्तरित) के अधीन संबंधित सुसंगत प्राथमिक इकाइयों के नामें डाला जायेगा।

भवदीय

संलग्न— आवंटन।

(अमिता जोशी)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ0सं0— अर्थ—2/ 31766-73 /5क(02)/05/2014—15 उक्त दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1— महालेखाकार उत्तराखण्ड ओबराय भवन पटेलनगर देहरादून।
2— अनु—सचिव, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन, शिक्षा अनुभाग—1 देहरादून।
3— महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।
4— सम्बन्धित मुख्य/जिला शिक्षा अधिकारी ।
5— सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी
6— सूचना प्रकोष्ठ शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड।

(अमिता जोशी)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

क्र0	जनपद / का0 का नाम	01—वेतन	03—म0भ0	06—अ0भ0	27—चिकि0	योग
1	अ0नि0,बे0, नैनी0	350	375	50	5	780
2	नैनीताल	60	100	10	0	170
3	पिथौरागढ़	120	0	10	0	130
	योग	530	475	70	5	1080
	उपलब्ध	6795	12182	241	15	3455
	शेष	6265	11707	171	10	3380

प्रेषक,

निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा तपोवन रोड देहरादून।

बजट आवंटन

सेवा में,

आहरण वितरण अधिकारी
प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय,
ननूरखेड़ा तपोवन रोड देहरादून।

पत्रांक–अर्थ–2/ 19219-25 /5क(02)/03/2014–15 दिनांक: 12 जनवरी, 2015

विषयः– वित्तीय वर्ष 2014–15 में प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

शासनादेश संख्याः 1339/XXIV(1)/2014–11टी.सी. दिनांक 26 दिसम्बर 2014 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2014–15 के आय–व्ययक के अनुदान सं0–11 के अन्तर्गत आयोजनागत/आयोजनेत्तर पक्ष में व्यय की स्वीकृति प्रदान की गयी है। स्वीकृत धनराशि में से प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय के संचालन हेतु रू0 **4,00,000/– (रुपये चार लाख मात्र)** शासनादेश में उल्लिखित शर्तों तथा प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखते हुए व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

1– वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 318/XXVII(1)/2013, दिनांक 18.03.2014 की शर्तों का अनुपालन वित्तीय वर्ष 2014–15 के आय–व्यय की निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय में सुनिश्चित किया जायेगा।

2– वित्त विभाग उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्याः 183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च 2012 में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार धनराशि पृथक आलटमैंट आई0डी0 के अन्तर्गत सौफटवेयर के माध्यम से आनलाइन अवमुक्त कर दी गयी है जिसकी अलाटमैंट आई0डी0 संलग्न की जा रहीं हैं। धनराशि आहरण/व्यय किये जाने हेतु उक्त शासनादेश में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

3– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014–15 के आय व्ययक के अनुदान संख्या–11, आयोजनागत के अधीन लेखाशीर्षक 2202–सामान्य शिक्षा, 01–प्रारभिक शिक्षा, 001–निदेशक एवं प्रशासन, 03–निदेशालय का अधिष्ठान (02–001–03 से स्थानान्तरित) के अधीन मानक मद 42–अन्य व्यय के नामें डाला जायेगा।

संलग्न– आवंटन।

भवदीय,

(अमिता जोशी)
वित्त नियन्त्रक,
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ0सं0– अर्थ–2/ 19219-25 /5क(01)/03/2014–15 उक्त दिनांक।

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– महालेखाकार उत्तराखण्ड ओबराय भवन पटेलनगर देहरादून।
2– संयुक्त सचिव, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन, शिक्षा अनुभाग–1 देहरादून।
3– महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।
4– वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, साइबर कोषागार, देहरादून।
5– उप शिक्षा निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय अधिष्ठान।
6– सूचना प्रकोष्ठ, शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड।

(अमिता जोशी)
वित्त नियन्त्रक,
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - 20142015

Director Elementary Education (4514)

आवंटन पत्र संख्या -

अलोटमेंट आई डी - H1501110065

अनुदान संख्या - 011

आवंटन पत्र दिनांक -03-Jan-2015

DDO Name - Director Elementry Education (4514) , Treasury - Cpao (1200)

1: लेखा शीर्षक 2202 - सामान्य शिक्षा

01 - प्रारम्भिक शिक्षा

001 - निदेशन तथा प्रशासन

03 - निदेशालय अधिष्ठान (02-001-03 से स्थानांतरित)

00 - निदेशालय अधिष्ठान (02-001-03 में स्थानान्तरित)

Plan Voted

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	योग
01 - वेतन	14000000	0	14000000
02 - मजदूरी	30000	0	30000
03 - महंगाई भत्ता	15400000	0	15400000
04 - यात्रा व्यय	200000	0	200000
05 - स्थानान्तरण यात्रा व्यय	200000	0	200000
06 - अन्य भत्ते	1540000	0	1540000
07 - मानदेय	30000	0	30000
08 - कार्यालय व्यय	230000	0	230000
09 - विद्युत देय	200000	0	200000
10 - जलकर / जल प्रभार	20000	0	20000
11 - लेखन सामग्री और फार्मों की छ	200000	0	200000
12 - कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	200000	0	200000
13 - टेलीफोन पर व्यय	100000	0	100000
15 - गाड़ियों का अनरक्षण और पेट्रो	400000	0	400000
16 - व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओ	570000	0	570000
17 - किराया, उपशल्क और कर-स्वा	100000	0	100000
18 - प्रकाशन	100000	0	100000
19 - विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन	200000	0	200000
22 - आतिथ्य व्यय विषयक भत्ता आ	40000	0	40000
26 - मशीनें और सज्जा /उपकरण औ	200000	0	200000
27 - चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति	150000	0	150000
29 - अनरक्षण	100000	0	100000
42 - अन्य व्यय	0	400000	400000
44 - प्रशिक्षण व्यय	150000	0	150000
45 - अवकाश यात्रा व्यय	50000	0	50000
46 - कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर	150000	0	150000
47 - कम्प्यूटर अनरक्षण/तत्सम्बन्धी	160000	0	160000
	34720000	400000	35120000

Total Current Allotment To DDO In Above Schemes - 400000

वित्त नियंत्रक
विद्यालयी शिक्षा
उत्तराखण्ड

बजट आवंटन

प्रेषक,

निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा तपोवन रोड देहरादून।

सेवा में,

आहरण वितरण अधिकारी
प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय
ननूरखेड़ा, देहरादून

पत्रांक– अर्थ–2/ 10084-07 /5क(02)/09 /2014–15 दिनांक: 17 दिसम्बर 2014

विषय– किचन उपकरणों/बर्तनो को बदलने एवं मध्याह्न भोजन योजना के नियमित कार्यो हेतु अवमुक्त केन्द्रांश के अनुक्रम में राज्यांश की धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 1329/XXIV(1)/2014–11/2014 दिनांक 09 दिसम्बर 2014 द्वारा मध्याह्न भोजन योजना के नियमित कार्यो हेतु अनुदान स0–11 (सामान्य), अनुदान स0–30 (एस0सी0एस0पी0) व अनुदान स0–31 (टी0ए0एस0पी0) में क्रमशः रू0 4634.23 लाख, रू0 1163.58 लाख व रू0 239.21 लाख इस प्रकार कुल रू0 **6037.02 लाख (साठ करोड़ सैंतीस लाख दो हजार मात्र)** की धनराशि अवमुक्त की गयी है। अवमुक्त धनराशि में से संलग्नक में उल्लिखित विवरणानुसार **रू0 6037.02 लाख (रूपये साठ करोड़ सैंतीस लाख दो हजार मात्र)** शासनादेश में उल्लिखित शर्तों तथा प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखते हुए व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

1– राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा स्वीकृत धनराशि से सम्बन्धित लेखा शीर्षकों के अन्तर्गत कोषागार से धनराशि आहरण का प्रस्ताव, आहरण आदेश सहित निदेशालय को उपलब्ध कराया जायेगा। निदेशालय द्वारा कोषागार से धनराशि आहरण कर चैक राज्य परियोजना निदेशक के नाम निर्गत करवाया जायेगा।

2– वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 318/XXVII(1)/2013, दिनांक 18.03.2014 की शर्तों का अनुपालन वित्तीय वर्ष 2014–15 के आय–व्यय की निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय में सुनिश्चित किया जायेगा।

3– वित्त विभाग उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्याः 183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च 2012 में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार धनराशि पृथक आलटमैंट आई0डी0 के अन्तर्गत सौफटवेयर के माध्यम से आनलाइन अवमुक्त कर दी गयी है जिसकी अलाटमैंट आई0डी0 संलग्न की जा रही हैं। धनराशि आहरण/व्यय किये जाने हेतु उक्त शासनादेश में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

4– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014–15 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–11, 30 व 31 के अधीन लेखाशीर्षक 2202–01–प्रारम्भिक शिक्षा के अधीन संलग्नक में उल्लिखित संबधित ब्यौरेवार शीर्षक/सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

भवदीय

संलग्न– अलाटमैंट आई0डी0।

(अमिता जोशी)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड

पृ0सं0– अर्थ–2/ 10084-07 /5क(02)/09 /2014–15 उक्त दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– महालेखाकार उत्तराखण्ड ओबराय भवन पटेलनगर देहरादून।
2– सचिव विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड शासन, शिक्षा अनुभाग–1 देहरादून।
3– महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।
4– राज्य परियोजना निदेशक, उत्तराखण्ड सभी के लिए शिक्षा परिषद को इस आशय के साथ कि स्वीकृत धनराशि के कोषागार से आहरण का प्रस्ताव, आहरण आदेश सहित निदेशालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
5– वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी साइबर कोषागार देहरादून।
6– उप शिक्षा निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय अधिष्ठान।
7– सूचना प्रकोष्ठ शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड।

(अमिता जोशी)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

मध्याह्न भोजन योजना (रू0 हजार में)

अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	शासन से आबंटित बजट	प्रस्तावित आबंटन	शेष
11	2202	463423	463423	**0**
30	2202	116358	116358	**0**
31	2202	23921	23921	**0**
	योग	**603702**	**603702**	**0**

बजट आवंटन

प्रेषक,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा, तपोवन रोड, देहरादून।

सेवा में,

आहरण वितरण अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय,
ननूरखेड़ा, देहरादून

पत्रांक– अर्थ–2/ 17660-66 /5क(02)/09/2014–15 दिनांक: 12–दिसम्बर 2014

विषय– वित्तीय वर्ष 2014–15 में महिला समाख्या योजना हेतु धनराशि अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 1223/XXIV(1)/2014–14/2014 दिनांक 08 दिसम्बर 2014 के द्वारा भारत सरकार से महिला समाख्या योजना (100 प्रतिशत केन्द्र पोषित योजना) हेतु सामान्य हैड में रू0 96.00 लाख, एस0सी0एस0सी0पी0 में रू0 40.00 लाख, टी0एस0पी0 में रू0 20.00 लाख, कुल रू0 156.00 लाख अवमुक्त होने के दृष्टिगत संलग्नक–1 में उल्लिखित विवरणानुसार अनुदान स0–11 (सामान्य), अनुदान स0–30 (एस0सी0एस0पी0) व अनुदान स0–31 (टी0एस0पी0) में कुल धनराशि रू0 1,50,**48,000**/– (रूपये एक करोड़ पच्चास लाख अड़तालीस हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्त की गयी है। अवमुक्त धनराशि में से संलग्नक में उल्लिखित विवरणानुसार रू0 1,50,**48,000**/– (रूपये एक करोड़ पच्चास लाख अड़तालीस हजार मात्र) शासनादेश में उल्लिखित शर्तों तथा प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखते हुए व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

1– प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय द्वारा कोषागार से धनराशि का एकमुस्त आहरण कर चैक राज्य परियोजना निदेशक, महिला समाख्या उत्तराखण्ड के नाम निर्गत करवाया जायेगा।

2– वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 318/XXVII(1)/2013, दिनांक 18.03.2014 की शर्तों का अनुपालन वित्तीय वर्ष 2014–15 के आय–व्यय की निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय में सुनिश्चित किया जायेगा।

3– वित्त विभाग उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्याः 183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च 2012 में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार धनराशि पृथक आलटमैंट आई0डी0 के अन्तर्गत सौफटवेयर के माध्यम से आनलाइन अवमुक्त कर दी गयी है जिसकी अलाटमैंट आई0डी0 संलग्न की जा रही हैं। धनराशि आहरण/व्यय किये जाने हेतु उक्त शासनादेश में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

4– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014–15 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–11, 30 व 31 के अधीन लेखाशीर्षक 2202–01–प्रारम्भिक शिक्षा, के अधीन संलग्नक में उल्लिखित संबधित ब्यौरेवार शीर्षक/सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

भवदीय

संलग्न– अलाटमैंट आई0डी0।

(अमिता **जोशी**)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड

पृ0सं0– अर्थ–2/17660-66 /5क(02)/09 /2014–15 उक्त दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– महालेखाकार उत्तराखण्ड ओबराय भवन पटेलनगर देहरादून।
2– अनु सचिव विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड शासन, शिक्षा अनुभाग–1 देहरादून।
3– महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।
4– राज्य परियोजना निदेशक, महिला समाख्या, उत्तराखण्ड देहरादून।
5– वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी साइबर कोषागार देहरादून।
6– उप शिक्षा निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय अधिष्ठान।
7– सूचना प्रकोष्ठ शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड।

(अमिता **जोशी**)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

महिला समाख्या योजना (रू0 हजार में)

अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	शासन से आबंटित बजट	प्रस्तावित आबंटन	शेष
11	2202	9600	9600	**0**
30	2202	4000	4000	**0**
31	2202	1448	1448	**0**
	योग	**15048**	**15048**	**0**

प्रेषक,

निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा तपोवन रोड देहरादून।

बजट आवंटन

सेवा में,

जिला शिक्षा अधिकारी
समस्त ।

पत्रांक– अर्थ–2/ 17321-33 /5क(02)/04/2014–15 दिनांक 05 दिसम्बर 2014

विषयः– वित्तीय वर्ष 2014–15 में अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूलों तथा सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के सम्बद्ध प्राइमरी प्रभाग में कार्यरत शिक्षकों/कर्मचारियों के वेतन भुगतान हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

शासनादेश स0 शासनादेश संख्याः 475/XXIV(1)/2014–11/2014 दिनांक 10 अप्रैल 2014 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए विभिन्न मदों में व्यय की स्वीकृति प्रदान की गयी है। स्वीकृत धनराशि में से जनपदों से प्राप्त मांग के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूलों विद्यालयों तथा सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के सम्बद्ध प्राइमरी प्रभाग में नियमानुसार सृजित पदों के सापेक्ष अनुमोदित एवं कार्यरत शिक्षकों/कर्मचारियों के नियमित मासिक वेतन भुगतान हेतु रू0 13,14,00,000/- की अतिरिक्त धनराशि शासनादेश में उल्लिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन संलग्न विवरणानुसार आपके निवर्तन पर रखने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। कृपया देयकों का भुगतान नियमानुसार समयान्तर्गत करने का कष्ट करें।

1– वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 318/XXVII(1)/2013, दिनांक 18.03.2014 की शर्तों का अनुपालन वित्तीय वर्ष 2014–15 के आय–व्यय की निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय में सुनिश्चित किया जायेगा।

2– योजनाओं की विभिन्न मदों पर व्यय शासन के वर्तमान नियमों एवं आदेशों के अनुरूप ही किया जायेगा तथा जहां आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की पूर्व सहमति/स्वीकृति प्राप्त की जाय अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनधिकृत व्यय न किया जाय। मितव्ययता के सम्बन्ध में जारी किये गये शासनादेशों अथवा भविष्य में जारी होने वाले शासनादेशों का विशेष रूप से पालन किया जायेगा। कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले देयको पर लेखा शीर्षक के साथ–साथ अनुदान संख्या तथा आयोजनागत/आयोजनेत्तर का उल्लेख भी किया जाये। व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर प्रत्येक माह की 08 तारीख तक अर्थ अनुभाग को उपलब्ध कराया जाये।

3– वित्त विभाग उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्याः 183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च 2012 में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार धनराशि पृथक आलटमैंट आई0डी0 के अन्तर्गत सौफटवेयर के माध्यम से आनलाइन अवमुक्त कर दी गयी है। धनराशि आहरण/व्यय किये जाने हेतु उक्त शासनादेश में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जाय। आई0डी0 के कोषागार में अंकन से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि संलग्न आवंटन आपको ही हुआ है, यदि अन्य आहरण वितरण अधिकारी का आवंटन आपको प्राप्त होता है तो उसे कोषागार में अंकित न कराया जाय और तत्काल निदेशालय को वापस किया जाय।

4– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014–15 के आय व्ययक में अनुदान संख्या–11, आयोजनेत्तर के अधीन लेखाशीर्षक 2202–सामान्य शिक्षा, 01–प्रारम्भिक शिक्षा, 102–अराजकीय प्राथमिक विद्यालयों को सहायता के अन्तर्गत संलग्नक में उल्लिखित सुसंगत ब्यौरेवार शीर्षक/प्राथमिक इकाइयों के नामें डाला जायेगा।

संलग्न– आवंटन।

भवदीय

(अमिता जोशी)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ0सं0– अर्थ–2/ 17321-33 /5क(02)/ 04 /2014–15/दिनांक उक्त ।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– महालेखाकार उत्तराखण्ड ओबराय भवन पटेलनगर देहरादून।
2– संयुक्त सचिव, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन, शिक्षा अनुभाग–1 देहरादून।
3– वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी सम्बन्धित जनपद।
4– प्रभारी एम0आई0एस0 प्रकोष्ठ शिक्षा निदेशालय।
5– सूचना प्रकोष्ठ शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड।

(अमिता जोशी)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

क्रमांक	जनपद का नाम	43–वेतन भत्ते के लिए सहायक अनुदान		
		सहा0प्रा0 जू0हाईस्कूल	सम्बद्ध प्राइमरी विद्या0	योग
1	2	3	4	5
1	अल्मोड़ा	15000	1000	16000
2	बागेश्वर	0		0
3	चम्पावत	0		0
4	नैनीताल	15000	500	15500
5	पिथौरागढ़	400	500	900
6	उधम सिंह	25000	1400	26400
7	चमोली	7000	0	7000
8	रूद्रप्रयाग	2000	0	2000
9	पौड़ी	0	0	0
10	टिहरी	0	0	0
11	उत्तरकाशी	0	0	0
12	देहरादून	35000	0	35000
13	हरीद्वार	35000	0	35000
	योग	**134400**	**3400**	**137800**
	उपलब्ध	252803	14857	
	अवशेष	118403	11457	

प्रेषक,

बजट आवंटन

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा, तपोवन रोड, देहरादून।

सेवा में,

आहरण वितरण अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय,
ननूरखेड़ा, देहरादून।

पत्रांक– अर्थ–2/ /5क(02)/09/2014–15 दिनांक: 8/ दिसम्बर, 2014

विषयः– सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014–15 के अन्तर्गत अवमुक्त प्रथम किश्त के साथ राज्यांश की धनराशि अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 1221/XXIV(1)/2014–11/2014 टी0सी0दिनांक 29 नवम्बर 2014 द्वारा सर्व शिक्षा अभियान योजनान्तर्गत अवमुक्त केन्द्रांश के दृष्टिगत राज्यांश की धनराशि को शामिल कर संलग्नक–1 में उल्लिखित विवरणानुसार अनुदान स0–11 (सामान्य), अनुदान स0–30 (एस0सी0एस0पी0) व अनुदान स0–31 (टी0एस0पी0) में कुल धनराशि **रू0 90,48,47,000/–**(रूपये नब्बे करोड़ अड़तालीस लाख सैंतालीस हजार मात्र) की धनराशि (रू0 588150.00 हजार केन्द्रांश + 316697.00 हजार राज्यांश) अवमुक्त की गयी है। अवमुक्त धनराशि में से संलग्नक में उल्लिखित विवरणानुसार **रू0 90,48,47,000/–**(रूपये नब्बे करोड़ अड़तालीस लाख सैंतालीस हजार मात्र) शासनादेश में उल्लिखित शर्तों तथा प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखते हुए व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

1– राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा स्वीकृत धनराशि से सम्बन्धित लेखा शीर्षकों के अन्तर्गत कोषागार से धनराशि आहरण का प्रस्ताव, आहरण आदेश सहित निदेशालय को उपलब्ध कराया जायेगा। प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय द्वारा कोषागार से धनराशि आहरण कर चैक राज्य परियोजना निदेशक के नाम निर्गत करवाया जायेगा।

2– वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 318/XXVII(1)/2013, दिनांक 18.03.2014 की शर्तों का अनुपालन वित्तीय वर्ष 2014–15 के आय–व्यय की निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय में सुनिश्चित किया जायेगा।

3– वित्त विभाग उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्याः 183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च 2012 में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार धनराशि पृथक आलटमैंट आई0डी0 के अन्तर्गत सौफटवेयर के माध्यम से आनलाइन अवमुक्त कर दी गयी है जिसकी अलाटमैंट आई0डी0 संलग्न की जा रही हैं। धनराशि आहरण/व्यय किये जाने हेतु उक्त शासनादेश में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

4– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014–15 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–11, 30 व 31 के अधीन लेखाशीर्षक 2202–01–प्रारम्भिक शिक्षा, 4202–शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय–01–सामान्य शिक्षा के अधीन संलग्नक में उल्लिखित संबधित ब्यौरेवार शीर्षक/सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

भवदीय,

संलग्न– अलाटमैंट आई0डी0।

(अमिता जोशी)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड

पृ0सं0– अर्थ–2/ 17053-60 /5क(02)/09/2014–15 दिनांक उक्तवत्।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबराय भवन पटेलनगर, देहरादून।
2– संयुक्त सचिव, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन, शिक्षा अनुभाग–1 देहरादून।
3– महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।
4– राज्य परियोजना निदेशक, उत्तराखण्ड सभी के लिए शिक्षा परिषद को इस आशय के साथ कि स्वीकृत धनराशि के कोषागार से आहरण का प्रस्ताव, आहरण आदेश सहित निदेशालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
5– वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, साइबर कोषागार, देहरादून।
6– उप शिक्षा निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय अधिष्ठान।
7– सूचना प्रकोष्ठ शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड।

(अमिता जोशी)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

सं0 122 / XXIV(1) / 2014–11 / 2014 टी0सी0

प्रेषक,

डॉ0 एम0सी0 जोशी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड,
ननूरखेडा, देहरादून।

शिक्षा अनुभाग–1(बेसिक) देहरादून : दिनाँक: 29 नवम्बर, 2014

विषयः **सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014–15 के अन्तर्गत अवमुक्त प्रथम किस्त के साथ राज्यांश की धनराशि अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया राज्य परियोजना निदेशक, सर्व शिक्षा अभियान, उत्तराखण्ड, के पत्र संख्या–रा0प0का0 / 1598 / लेखा–2 / केन्द्रांश–राज्यांश / 2014–15 दिनांक 03.11..2014 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसमें भारत सरकार के पत्र सं0 F.No. 10-3/2014-EE.14 दिनांक 7.10.2014 द्वारा अनुदान सँ0 11, 30 एवं 31 में (सामान्य, एस0सी0पी0 व टी0एस0पी0) की प्रथम किस्त के अंश के रूप कुल रू0 265.47 लाख पूँजीगत मद में एवं भारत सरकार के पत्र सं0 F.No. 10-3/2014-EE.14 दिनांक 7.10.2014 द्वारा अनुदान सँ0 11, 30 एवं 31 (सामान्य, एस0सी0पी0 व टी0एस0पी0) की प्रथम किस्त के अंश के रूप कुल रू0 5616.03 लाख सामान्य मद में अवमुक्त कुल केन्द्रांश रू0 5881.50 लाख तथा राज्यांश की धनराशि को अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है। भारत सरकार द्वारा सर्व शिक्षा अभियान योजना के अन्तर्गत केन्द्रांश के रूप में रू0 5881.50 लाख (अनुदान सँ0 11, 30 एवं 31 में) की धनराशि अवमुक्त होने के दृष्टिगत संलग्नक–01 में उल्लिखित विवरणानुसार राज्यांश सहित अनुदान–11 (सामान्य), अनुदान सँ0 30(एस0सी0 एस0पी0) एवं अनुदान सँ0 31(टी0एस0पी0) में कुल **रू0 90,48,47,000.00(रूपये नब्बे करोड़ अड़तालीस लाख सैंतालीस हजार मात्र)** की धनराशि (केन्द्रांश रू0 588150.00 हजार + राज्यांश रू0 316697.00 हजार) आपके निवर्तन पर रखते हुए निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं–

(1) अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कार्यो तथा भारत सरकार के दिशा–निर्देशों तथा स्वीकृति में दी गयी शर्तो / प्राविधानों के अधीन किया जायेगा।

(2) वित्त विभाग के शासनादेश सँ0 318 / XXVII(1)/2014 दिनांक 18.3.2014 में वर्णित शर्तो का अनुपालन वित्तीय वर्ष 2014–15 के आय–व्ययक की निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय में सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) व्यय करने से पूर्व यथास्थिति अधिप्राप्ति नियमावली के सुसंगत प्राविधानों सहित सुसंगत वित्तीय नियमों तथा प्रचलित प्रक्रियाओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। पूँजीगत परिसम्पत्तियों के निर्माण हेतु पूँजीगत पक्ष के अन्तर्गत अवमुक्त धनराशि का उपभोग करने से पूर्व नियमानुसार आगणन की स्वीकृति सहित वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त करना सुनिश्चित किया जाएगा।

(4) योजनाओं के विभिन्न मदों पर व्यय शासन के वर्तमान नियमों/आदेशों के अनुरूप ही किया जायेगा तथा जहां आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति/सहमति प्राप्त की जायेगी। स्वीकृति धनराशि के सापेक्ष, आहरण/व्यय यथा आवश्यकता मासिक व्यय की सारिणी बनाकर किया जाय।

(5) यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि उक्त स्वीकृत धनराशि को किसी ऐसे मद पर व्यय न किया जाय जिसके लिए वित्तीय हस्त पुस्तिका तथा बजट मैनुअल के नियमों के अन्तर्गत अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता हो।

(6) अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनाधिकृत व्यय न किया जाय और इस प्रकार चालू वित्तीय वर्ष की देनदारी अगले वित्तीय वर्ष के लिए कदापि न छोड़ी जाय।

(7) आवंटनों के अनुसार आहरित व्यय के विवरण निर्धारित तिथि तक शासन को अवश्य उपलब्ध करा दिये जाय। इसी प्रकार व्यय के सम्बन्ध में व्ययाधिक्य एवं बचतों के विवरण शासन की निर्धारित अवधि के अन्दर उपलब्ध करा दिये जांय।

(8) मितव्ययता के सम्बन्ध में जारी किये गये शासनादेशों अथवा भविष्य में जारी होने वाले शासनादेशों का विशेष रूप से अनुपालन किया जायेगा।

(9) व्यय सम्बन्धी जो भी बिल कोषाधिकारी को भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जाये उसमें लेखाशीर्षक के साथ–साथ अनुदान संख्या का भी उल्लेख किया जाय।

(10) भारत सरकार द्वारा स्वीकृत योजना, मानकों तथा शर्तो की अनुपालना भी सुनिश्चित की जाएगी।

02– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014–15 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–11, 30 एवं 31 के अधीन लेखाशीर्षक 2202–01–प्रारम्भिक शिक्षा, 4202–शिक्षा, खेलकूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय–01–सामान्य शिक्षा के अधीन संलग्नक में उल्लिखित सम्बन्धित व्यौरेवार शीर्षक/सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

03– यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश सँ0 318/XXVII(1)/2013 दिनांक 18–03–2014 में दिये गये दिशा–निर्देशों के कम में प्रशासकीय विभाग के स्तर से ही जारी किया जा रहा है**संलग्नकः–यथोक्त।**

भवदीय,

(डॉ0 एम0सी0जोशी)
सचिव

सं0 **(i)/XXIV(1)/2014–11/2014 टी0सी0 तद्दिनाँक।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

01. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, सहारनपुर रोड, ओबरॉय बिल्डिंग, देहरादून।

02. महालेखाकार (ऑडिट), महालेखाकार कार्यालय, वैभव पैलेस, सी–1/105 इन्द्रानगर, देहरादून।
03. मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी देहरादून।
04. राज्य परियोजना निदेशक, सर्व शिक्षा अभियान, ननूरखेड़ा देहरादून।
05. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
06. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड (निदेशक के माध्यम से)
07. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, देहरादून।
08. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–3/नियोजन अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
09. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर देहरादून।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(प्रदीप मोहन नौटियाल)
अनुसचिव।

शासनादेश सं0–1221 / XXIV(1)/2014-11/2014 TC दिनाँक29-11-14 संलग्नक

(धनराशि हजार रूपये में)

लेखाशीर्षक		आय–व्ययक 2014–15 में कुल प्राविधानित धनराशि	स्वीकृत की जा रही धनराशि 2014–15
अनुदान संख्या–11 (सामान्य)–आयोजनागत			
2202	सामान्य शिक्षा		
01	प्रारम्भिक शिक्षा		
800	अन्य व्यय		
01	केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएँ		
0104	सर्व शिक्षा अभियान(35 प्रतिशत राज्यांश)		
	20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता	3015144	621825
अनुदान संख्या–30 (एस0सी0एस0पी0)–आयोजनागत			
2202	सामान्य शिक्षा		
01	प्रारम्भिक शिक्षा		
800	अन्य व्यय		
01	केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएँ		
0101	सर्व शिक्षा अभियान		
	20–सहायक अनुदान /अंशदान/राज सहायता	750490	214532
अनुदान संख्या–31 आयोजनागत			
2202	सामान्य शिक्षा		
01	प्रारम्भिक शिक्षा		
800	अन्य व्यय		
01	केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएँ		
0101	सर्व शिक्षा अभियान		
	20–सहायक अनुदान /अंशदान/राज सहायता	256300	27648
	योग	**4021934**	**864005**
अनुदान संख्या–11 आयोजनागत			
4202	शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय		
01	सामान्य शिक्षा		
201	प्रारम्भिक शिक्षा		
01	केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएँ		
04	सर्व शिक्षा अभियान		
35	पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान	350000	29394
अनुदान संख्या–30 (एस0सी0एस0पी0) आयोजनागत			
4202	शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय		

01	सामान्य शिक्षा		
201	प्रारम्भिक शिक्षा		
01	केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएँ		
0101	सर्व शिक्षा अभियान		
35	पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान	140000	10142
अनुदान संख्या–31 (टी0एस0पी0) आयोजनागत			
4202	शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय		
01	सामान्य शिक्षा		
201	प्रारम्भिक शिक्षा		
01	केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएँ		
0101	सर्व शिक्षा अभियान(35 प्रतिशत राज्यांश)		
35	पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान	8000	1306
	योग	**498000**	**40842**
	महायोग	**4519934**	**904847**

(रूपये नब्बे करोड़ अड़तालीस लाख सैतालीस हजार मात्र)

(प्रदीप मोहन नौटियाल)
अनु सचिव

प्रेषक,

बजट आवंटन

निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा तपोवन रोड देहरादून।

सेवा में,

वित्त अधिकारी, शिक्षा
जनपद

पत्रांक– अर्थ–2/ 13764-D /5क(02)/06/2014–15 दिनांक 12 नवम्बर, 2014

विषयः– वित्तीय वर्ष 2014–15 में प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं में अतिरिक्त धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

शासनादेश संख्याः 475/XXIV(1)/2014–11/2014 दिनांक 10 अप्रैल 2014 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए विभिन्न मदों में व्यय की स्वीकृति प्रदान की गयी है। स्वीकृत धनराशि में से जनपदों द्वारा प्रेषित मांग पर बेसिक शिक्षा परिषद का राजकीयकरण, विकासखण्ड स्तर पर उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय स्थापना तथाशिक्षा मित्रों का मानदेय भुगतान हेतु संलग्न विवरणानुसार धनराशि शासनादेश में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। धनराशि उप शिक्षा अधिकारी को तत्काल आनलाइन अवमुक्त कर दी जाय। उप शिक्षा अधिकारियों को धनराशि का आबंटन इस प्रकार किया जाय कि बजट का सन्तुलन बना रहे। **वेतनादि मदों में विकासखण्ड के वास्तविक मासिक व्यय के आधार पर ही आगंणित कर समान रूप से धनराशि अवमुक्त की जाय, आवश्यकता से अधिक धनराशि कदापि अवमुक्त न की जाय।**

1– वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 318/XXVII(1)/2013, दिनांक 18.03.2014 की शर्तों का अनुपालन वित्तीय वर्ष 2014–15 के आय–व्यय की निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय में सुनिश्चित किया जायेगा।

2– योजनाओं की विभिन्न मदों पर व्यय शासन के वर्तमान नियमों एवं आदेशों के अनुरूप ही किया जायेगा तथा जहां आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की पूर्व सहमति/स्वीकृति प्राप्त की जाय अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनधिकृत व्यय न किया जाय। मितव्ययता के सम्बन्ध में जारी किये गये शासनादेशों अथवा भविष्य में जारी होने वाले शासनादेशों का विशेष रूप से पालन किया जायेगा। कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले देयको पर लेखा शीर्षक के साथ–साथ अनुदान संख्या तथा आयोजनागत/आयोजनेत्तर का उल्लेख भी किया जाये। व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर प्रत्येक माह की 08 तारीख तक अर्थ अनुभाग को उपलब्ध कराया जाये।

3– वित्त विभाग उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्याः 183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च 2012 में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार धनराशि पृथक आलटमैंट आई0डी0 के अन्तर्गत सौफटवेयर के माध्यम से आनलाइन अवमुक्त कर दी गयी है। धनराशि आहरण/व्यय किये जाने हेतु उक्त शासनादेश में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जाय। आई0डी0 के अंकन से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि संलग्न आवंटन आपको ही हुआ है, यदि अन्य आहरण वितरण अधिकारी का आवंटन आपको प्राप्त होता है तो उसे अंकित न कराया जाय और तत्काल निदेशालय को वापस किया जाय।

4– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014–15 के आय व्ययक में अनुदान संख्या–11, आयोजनेत्तर के अधीन लेखाशीर्षक 2202–सामान्य शिक्षा, 01–प्रारम्भिक शिक्षा, के अन्तर्गत संलग्नक में उल्लिखित सुसंगत ब्यौरेवार शीर्षक/प्राथमिक इकाइयों के नामें डाला जायेगा।

संलग्न– आवंटन।

भवदीय

(अमिता जोशी)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ0सं0– अर्थ–2/ 13764-D/5क(02)/ 06 /2014–15/दिनांक उक्त ।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– महालेखाकार उत्तराखण्ड ओबराय भवन पटेलनगर देहरादून।
2– अनु सचिव, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन, शिक्षा अनुभाग–1 देहरादून।
3– मुख्य शिक्षा अधिकारी सम्बन्धित जनपद।
4– प्रभारी एम0आई0एस0 प्रकोष्ठ शिक्षा निदेशालय।
5– सूचना प्रकोष्ठ शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड।

(अमिता जोशी)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

1– बेसिक शिक्षा परिषद का राजकीयकरण

(रू0 हजार में)

क्र0	जनपद / का0 का नाम	01–वेतन	03–म0भ0	04–यात्रा	05–स्था0या0	06–अन्य0	08–कार्या0व्यय	09–विद्युत	10–जलकर	11–लेखन	16–व्या0	17–किराया	27–चिकि0	योग
1	अल्मोड़ा	50000	64000		3	2000							453	116456
2	बागेश्वर	60000	66000			10000		500	300				59	136859
3	चम्पावत	50000	55000			6000							299	111299
4	नैनीताल	150000	170000	40	18	20000	40	1000	2000		100	110	1036	344344
5	पिथौरागढ़	180000	198000		3	20000		950	700				176	399829
6	उधम सिंह	180000	198000			20000							139	398139
7	चमोली	120000	135000			20000	45	230	220	45			193	275733
8	रूद्रप्रयाग	70000	77000			10000	15			15			96	157126
9	पौड़ी	290000	320000			40000							298	650298
10	टिहरी	170000	187000			15000		1000	1000	45	300		597	374942
11	उत्तरकाशी	90000	100000	70		15000							935	206005
12	देहरादून	140000	250000			16000	30	561	338					406929
13	हरिद्वार	70000	80000			1200		500		20	100		160	151980
	योग	1620000	1900000	110	24	195200	130	4741	4558	125	500	110	4441	3729939
	उपलब्ध	2303598	3063598	650	2000	258095	150	8500	8000	150	600	400	6375	
	शेष	683598	1163598	540	1976	62895	20	3759	3442	25	100	290	1934	

2– विकासखण्ड स्तर पर उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय की स्थापना।

(रू0 हजार में)

क्र0	जनपद	01–वेतन	03–महंगाई भत्ता	05–स्था0 यात्रा व्यय	06–अन्य भत्ते	8–कार्या0 व्यय	13–टेलीफोन	27–चिकि0प्र ति0	योग
1	अल्मोड़ा			9					**9**
2	उत्तरकाशी			5					**5**
3	देहरादून	200	400					184	**784**
4	हरिद्वार	400	600			20	5		**1025**
	योग	**600**	**1000**	**14**		**20**	**5**	**184**	**1823**
	उपलब्ध	2300	4350	114	30	250	75	194	
	अवशेष	1700	3350	100	30	230	70	10	

3– शिक्षा मित्रों का मानदेय–

(रू0 हजार में)

क्रमांक	जनपद का नाम	20–सहायक अनुदान / अ0 / रा0 स0
1	2	3
1	अल्मोड़ा	3700
2	बागेश्वर	2200
3	चम्पावत	7500
4	नैनीताल	18000
5	पिथौरागढ़	17000
6	उधम सिंह	2500
7	चमोली	5000
8	रूद्रप्रयाग	—
9	पौड़ी	5000
10	टिहरी	12000
11	उत्तरकाशी	10000
12	देहरादून	6000
13	हरिद्वार	6000
	योग	**94900**
	प्राविधान	127326
	अवशेष	32426

सेवा में,

बजट आवंटन

निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा तपोवन रोड देहरादून।

सेवा में,

1—मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक (प्रारम्भिक शिक्षा)
.....

2—वित्त अधिकारी शिक्षा
जनपद .....

पत्रांक— अर्थ—2/ 1347-87 /5क(02)/05/2014—15 दिनांक नवम्बर, 2014

विषयः— वित्तीय वर्ष 2014—15 में प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक (प्रा0शि0) कार्यालय एवं जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0) कार्यालय के संचालन हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

शासनादेश संख्याः 475/XXIV(1)/2014—11/2014 दिनांक 10 अप्रैल 2014 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2014—15 के लिए विभिन्न मदों में व्यय की स्वीकृति प्रदान की गयी है। अवमुक्त धनराशि में से प्राप्त मांग के क्रम में मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक (प्रा0शि0) कार्यालय/जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0) कार्यालय के संचालन हेतु रू0 ..... की धनराशि शासनादेश में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन संलग्न विवरणानुसार आपके निवर्तन पर रखने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

1— वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 318/XXVII(1)/2013, दिनांक 18.03.2014 की शर्तों का अनुपालन वित्तीय वर्ष 2014—15 के आय—व्यय की निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय में सुनिश्चित किया जायेगा।

2— योजनाओं की विभिन्न मदों पर व्यय शासन के वर्तमान नियमों एवं आदेशों के अनुरूप ही किया जायेगा तथा जहां आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की पूर्व सहमति/स्वीकृति प्राप्त की जाय अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनधिकृत व्यय न किया जाय। मितव्ययता के सम्बन्ध में जारी किये गये शासनादेशों अथवा भविष्य में जारी होने वाले शासनादेशों का विशेष रूप से पालन किया जायेगा। कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले देयको पर लेखा शीर्षक के साथ—साथ अनुदान संख्या तथा आयोजनागत/आयोजनेत्तर का उल्लेख भी किया जाये। व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर प्रत्येक माह की 08 तारीख तक अर्थ अनुभाग को उपलब्ध कराया जाये।

3— वित्त विभाग उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्याः 183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च 2012 में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार धनराशि पृथक आलटमैंट आई0डी0 के अन्तर्गत सौफ्टवेयर के माध्यम से आनलाइन अवमुक्त कर दी गयी है। धनराशि आहरण/व्यय किये जाने हेतु उक्त शासनादेश में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

4— इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014—15 के आय व्ययक में अनुदान संख्या—11, आयोजनेत्तर के अधीन लेखाशीर्षक 2202—सामान्य शिक्षा, 01—प्रारम्भिक शिक्षा, 104—निरीक्षण, 03—क्षेत्रीय निरीक्षण (2202—02—101—03 से स्थानान्तरित) के अधीन संबंधित सुसंगत प्राथमिक इकाइयों के नामें डाला जायेगा।

भवदीय

संलग्न— आवंटन।

(अमिता जोशी)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ0सं0— अर्थ—2/ 1347-87 /5क(02)/05/2014—15 उक्त दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1— महालेखाकार उत्तराखण्ड ओबराय भवन पटेलनगर देहरादून।
2— अनु सचिव, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन, शिक्षा अनुभाग—1 देहरादून।
3— महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।
4— सम्बन्धित मुख्य/जिला शिक्षा अधिकारी ।
5— सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी
6— सूचना प्रकोष्ठ शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड।

(अमिता जोशी)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

क्षेत्रिय निरीक्षण–

क्र0	जनपद / का0 का नाम	01–वेतन	03–म0भ0	04–यात्रा	05–स्था0या0	06–अ0भ0	08–कार्या0व्यय	09–विद्युत	11–लेखन	13–टेलीफोन	16–व्या0	17–किराया	19–विज्ञा0	27–चिकि0	योग
1	अल्मोड़ा	500	600			100	20					2		10	1232
2	चम्पावत				30		10			10					50
3	उधम सिंह नगर						10				50				60
4	टिहरी	400	400	10		60	15	30	10	5			20	18	968
5	उत्तरकाशी										50				50
6	देहरादून	900	900	10		150	15		10		25		20		2030
	योग	1800	1900	20	30	310	70	30	20	15	128	2	20	28	4390
	उपलब्ध	10015	14772	185	262	609	300	83	205	110	815	100	240	48	
	शेष	8215	12872	165	232	299	230	53	185	95	690	98	200	20	

प्रेषक,

निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा तपोवन रोड देहरादून

बजट आवंटन

सेवा में,

आहरण वितरण अधिकारी
प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय
ननूरखेड़ा तपोवन रोड देहरादून।

पत्रांक– अर्थ–2/ /5क(02)/09/2014–15 दिनांक 31 अक्टूबर 2014

विषयः– राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण उत्तराखण्ड के अन्तर्गत 06 जनपदों में साक्षर भारत कार्यक्रम के कियान्वयन हेतु वर्ष 2014–15 में केन्द्रांश के सापेक्ष राज्यांश की धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 1129/XXIV(1)/2014–05/2013 दिनांक 22 अक्टूबर 2014 द्वारा भारत सरकार द्वारा राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण के अन्तर्गत केन्द्रांश के रूप में रू0 7,81,57000/अवमुक्त होने के दृष्टिगत पूर्व में शासनादेश स0 565/XXIV(1)/2014–05/2013, दिनांक 30.06.14 द्वारा निर्गत राज्यांश की धनराशि को समायोजित करते हुए कुल धनराशि रू0 10,27,50,000/ की धनराशि (केन्द्रांश रू0 7,81,87,500 + राज्यांश रू0 2,45,62,500) स्वीकृत की गई है। अवमुक्त धनराशि में से **रू0 10,27,50,000/(दस करोड़,सत्ताईस लाख पचास हजार मात्र),** शासनादेश में उल्लिखित शर्तों तथा प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखते हुए व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

1– राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण कार्यालय द्वारा कोषागार से धनराशि आहरण का प्रस्ताव, आहरण आदेश सहित निदेशालय को उपलब्ध कराया जायेगा। प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय द्वारा कोषागार से धनराशि आहरण कर चैक राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण के नाम निर्गत करवाया जायेगा।

2– वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 318/XXVII(1)/2013, दिनांक 18.03.2014 की शर्तों का अनुपालन वित्तीय वर्ष 2014–15 के आय–व्यय की निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय में सुनिश्चित किया जायेगा।

3– वित्त विभाग उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्याः 183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च 2012 में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार धनराशि पृथक अलाटमैंट आई0डी0 के अन्तर्गत सौफ्टवेयर के माध्यम से आनलाइन अवमुक्त कर दी गयी है जिसकी अलाटमैंट आई0डी0 संलग्न की जा रही हैं। धनराशि आहरण/व्यय किये जाने हेतु उक्त शासनादेश में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

4– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014–15 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–11 के अधीन लेखाशीर्षक 2202–सामान्य शिक्षा, 01–प्रारम्भिक शिक्षा, 102–अराजकीय प्राथमिक विद्यालयों को सहायता, 01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र पुरोनिधानित योजनाऐं, 0101–राष्ट्रीय साक्षरता कार्यक्रम, 20–सहायक अनुदान/अंशदान/राजसहायता के नामें डाला जायेगा।

भवदीय

संलग्न– अलाटमैंट आई0डी0।

(अमिता जोशी)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड

पृ0सं0– अर्थ–2/13177-82/5क(02)/09/2014–15 दिनांक उक्त दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– महालेखाकार उत्तराखण्ड ओबराय भवन पटेलनगर देहरादून।
2– अनु सचिव, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड शासन, शिक्षा अनुभाग–1 देहरादून।
3– महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।
4– वरिष्ठ कोषाधिकारी/ कोषाधिकारी साइबर कोषागार देहरादून।
5– राज्य परियोजना प्रबन्धक,राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण, देहरादून।
6– सूचना प्रकोष्ठ शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड।

(अमिता जोशी)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

प्रेषक,

निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा तपोवन रोड देहरादून।

बजट आवंटन

सेवा में,

वित्त अधिकारी, शिक्षा
जनपद

पत्रांक– अर्थ–2/ 12726-31 /5क(02)/06/2014–15 दिनांक 3 अक्टूबर, 2014

विषयः– वित्तीय वर्ष 2014–15 में प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं में अतिरिक्त धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

शासनादेश संख्याः 475/XXIV(1)/2014–11/2014 दिनांक 10 अप्रैल 2014 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए विभिन्न मदों में व्यय की स्वीकृति प्रदान की गयी है। स्वीकृत धनराशि में से जनपदों द्वारा प्रेषित मांग पर बेसिक शिक्षा परिषद का राजकीयकरण तथा विकासखण्ड स्तर पर उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय स्थापना हेतु संलग्न विवरणानुसार धनराशि शासनादेश में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। धनराशि उप शिक्षा अधिकारी को तत्काल आनलाइन अवमुक्त कर दी जाय। उप शिक्षा अधिकारियों को धनराशि का आबंटन इस प्रकार किया जाय कि बजट का सन्तुलन बना रहे। **वेतनादि मदों में विकासखण्ड के वास्तविक मासिक व्यय के आधार पर ही आगंणित कर समान रूप से धनराशि अवमुक्त की जाय, आवश्यकता से अधिक धनराशि कदापि अवमुक्त न की जाय।**

1– वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 318/XXVII(1)/2013, दिनांक 18.03.2014 की शर्तों का अनुपालन वित्तीय वर्ष 2014–15 के आय–व्यय की निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय में सुनिश्चित किया जायेगा।

2– योजनाओं की विभिन्न मदों पर व्यय शासन के वर्तमान नियमों एवं आदेशों के अनुरूप ही किया जायेगा तथा जहां आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की पूर्व सहमति/स्वीकृति प्राप्त की जाय अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनधिकृत व्यय न किया जाय। मितव्ययता के सम्बन्ध में जारी किये गये शासनादेशों अथवा भविष्य में जारी होने वाले शासनादेशों का विशेष रूप से पालन किया जायेगा। कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले देयको पर लेखा शीर्षक के साथ–साथ अनुदान संख्या तथा आयोजनागत/आयोजनेत्तर का उल्लेख भी किया जाये। व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर प्रत्येक माह की 08 तारीख तक अर्थ अनुभाग को उपलब्ध कराया जाये।

3– वित्त विभाग उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्याः 183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च 2012 में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार धनराशि पृथक आलटमैंट आई0डी0 के अन्तर्गत सौफटवेयर के माध्यम से आनलाइन अवमुक्त कर दी गयी है। धनराशि आहरण/व्यय किये जाने हेतु उक्त शासनादेश में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जाय। आई0डी0 के अंकन से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि संलग्न आवंटन आपको ही हुआ है, यदि अन्य आहरण वितरण अधिकारी का आवंटन आपको प्राप्त होता है तो उसे अंकित न कराया जाय, और तत्काल निदेशालय को वापस किया जाय।

4– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014–15 के आय व्ययक में अनुदान संख्या–11, आयोजनेत्तर के अधीन लेखाशीर्षक 2202–सामान्य शिक्षा, 01–प्रारम्भिक शिक्षा, के अन्तर्गत संलग्नक में उल्लिखित सुसंगत ब्यौरेवार शीर्षक/प्राथमिक इकाइयों के नामें डाला जायेगा।

संलग्न– आवंटन।

भवदीय

(अमिता जोशी)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ0सं0– अर्थ–2/ 12726-31 /5क(02)/06/2014–15/दिनांक उक्त ।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– महालेखाकार उत्तराखण्ड ओबराय भवन पटेलनगर देहरादून।
2– संयुक्त सचिव, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन, शिक्षा अनुभाग–1 देहरादून।
3– मुख्य शिक्षा अधिकारी सम्बन्धित जनपद।
4– प्रभारी एम0आई0एस0 प्रकोष्ठ शिक्षा निदेशालय।
5– सूचना प्रकोष्ठ शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड।

(अमिता जोशी)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

1– बेसिक शिक्षा परिषद का राजकीयकरण (रू0 हजार में)

क्र0	जनपद	01–वेतन	03–महं0 भत्ता	06– अन्य भत्ते	योग
1	हरिद्वार	70000	60000	3000	133000
	उपलब्ध	2373598	3123598	261095	
.	अवशेष	2303598	3063598	258095	

2– विकासखण्ड स्तर पर उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय की स्थापना। (रू0 हजार में)

क्र0	जनपद	01–वेतन	03–महं0 भत्ता	05– स्था0 यात्रा भत्ता	06– अन्य भत्ते	09–विद्युत	10–जलकर	13–टेलीफोन	योग
1	अल्मोड़ा	1200	1500		130				2830
2	नैनीताल	1200	1500	2	145	20	40	40	2947
3	पिथौरागढ़	400	600	7	30			20	1057
4	उत्तरकाशी	700	900		70				1670
5	हरिद्वार	100	100		10				210
	योग	**3600**	**4600**	**9**	**385**	**20**	**40**	**60**	**8714**
	उपलब्ध	5900	8950	123	415	128	80	135	
	अवशेष	2300	4350	114	30	108	40	75	

प्रेषक,

बजट आवंटन

निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा तपोवन रोड देहरादून।

सेवा में,

आहरण वितरण अधिकारी
प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय,
ननूरखेड़ा तपोवन रोड देहरादून।

पत्रांक–अर्थ–2/ /5क(01)/12/2014–15 दिनांक 18 अक्टूबर 2014

विषयः– वित्तीय वर्ष 2014–15 में प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत होने वाली खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन हेतु धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्याः 1082/XXIV(1)/2014–11/2014 दिनांक 13 अक्टूबर 2014 द्वारा वित्तीय वर्ष 2014–15 में प्रारम्भिक शिक्षा के आय व्यय में खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन के लिए अनुदान स0 11, आयोजनागत के अन्तर्गत कुल प्राविधानित धनराशि रू0 20,00,000/– स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि में से **रू0 20,00,000/– (रुपये बीस लाख मात्र)** शासनादेश में उल्लिखित शर्तों तथा प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखते हुए व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2– वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 318/XXVII(1)/2013, दिनांक 18.03.2014 की शर्तों का अनुपालन वित्तीय वर्ष 2014–15 के आय–व्यय की निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय में सुनिश्चित किया जायेगा।

3– वित्त विभाग उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्याः 183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च 2012 में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार धनराशि पृथक आलटमैंट आई0डी0 के अन्तर्गत सौफ्टवेयर के माध्यम से आनलाइन अवमुक्त कर दी गयी है जिसकी अलाटमैंट आई0डी0 संलग्न की जा रही है। धनराशि आहरण/व्यय किये जाने हेतु उक्त शासनादेश में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

4– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014–15 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–11 के अधीन लेखाशीर्षक 2202–सामान्य शिक्षा, 01–प्रारम्भिक शिक्षा, 800–अन्य व्यय, 05–खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन, 42– अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

भवदीय

संलग्न– अलाटमैंट आई0डी0।

(अमिता जोशी)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड

पृ0सं0– अर्थ–2/12716-22/5क(01)/12/2014–15 उक्त दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– महालेखाकार उत्तराखण्ड ओबराय भवन पटेलनगर देहरादून।
2– अनु सचिव विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड शासन, शिक्षा अनुभाग–1 देहरादून।
3– महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।
4– वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी,साइबर कोषागार देहरादून।
5– उप शिक्षा निदेशक (क्रीडा), प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय ।
6– सूचना प्रकोष्ठ शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड।

Amita

(अमिता जोशी)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

बजट आवंटन

सेवा में,

निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा तपोवन रोड देहरादून।

सेवा में,

1—मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक (प्रारम्भिक शिक्षा)
.....

2—वित्त अधिकारी शिक्षा
जनपद .....

पत्रांक— अर्थ—2/ 12569-75 /5क(02)/05/2014—15 दिनांक 15 अक्टूबर, 2014

विषयः— वित्तीय वर्ष 2014—15 में प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक (प्रा0शि0) कार्यालय एवं जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0) कार्यालय के संचालन हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

शासनादेश संख्याः 475/XXIV(1)/2014—11/2014 दिनांक 10 अप्रैल 2014 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2014—15 के लिए विभिन्न मदों में व्यय की स्वीकृति प्रदान की गयी है। अवमुक्त धनराशि में से प्राप्त मांग के क्रम में मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक (प्रा0शि0) कार्यालय/जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0) कार्यालय के संचालन हेतु रू0 ..... की धनराशि शासनादेश में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन संलग्न विवरणानुसार आपके निवर्तन पर रखने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

1— वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 318/XXVII(1)/2013, दिनांक 18.03.2014 की शर्तों का अनुपालन वित्तीय वर्ष 2014—15 के आय—व्यय की निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय में सुनिश्चित किया जायेगा।

2— योजनाओं की विभिन्न मदों पर व्यय शासन के वर्तमान नियमों एवं आदेशों के अनुरूप ही किया जायेगा तथा जहां आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की पूर्व सहमति/स्वीकृति प्राप्त की जाय अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनधिकृत व्यय न किया जाय। मितव्ययता के सम्बन्ध में जारी किये गये शासनादेशों अथवा भविष्य में जारी होने वाले शासनादेशों का विशेष रूप से पालन किया जायेगा। कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले देयको पर लेखा शीर्षक के साथ—साथ अनुदान संख्या तथा आयोजनागत/आयोजनेत्तर का उल्लेख भी किया जाये। व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर प्रत्येक माह की 08 तारीख तक अर्थ अनुभाग को उपलब्ध कराया जाये।

3— वित्त विभाग उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्याः 183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च 2012 में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार धनराशि पृथक आलटमैंट आई0डी0 के अन्तर्गत सौफ्टवेयर के माध्यम से आनलाइन अवमुक्त कर दी गयी है। धनराशि आहरण/व्यय किये जाने हेतु उक्त शासनादेश में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

4— इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014—15 के आय व्ययक में अनुदान संख्या—11, आयोजनेत्तर के अधीन लेखाशीर्षक 2202—सामान्य शिक्षा, 01—प्रारभिक शिक्षा, 104—निरीक्षण, 03—क्षेत्रीय निरीक्षण (2202—02—101—03 से स्थानान्तरित) के अधीन संबंधित सुसंगत प्राथमिक इकाइयों के नामें डाला जायेगा।

भवदीय

संलग्न— आवंटन।

(अमिता जोशी)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ0सं0— अर्थ—2/ 12569-75 /5क(02)/05/2014—15 उक्त दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1— महालेखाकार उत्तराखण्ड ओबराय भवन पटेलनगर देहरादून।
2— संयुक्त सचिव, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन, शिक्षा अनुभाग—1 देहरादून।
3— महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।
4— सम्बन्धित मुख्य/जिला शिक्षा अधिकारी ।
5— सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी
6— सूचना प्रकोष्ठ शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड।

(अमिता जोशी)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

क्षेत्रिय निरीक्षण–

क्र0	जनपद / का0 का नाम	01—वेतन	03—म0भ0	04—यात्रा	05—स्था0या0	06—अ0भ0	08—कार्यालय व्यय	09—विद्युत	10—जलकर	11—लेखन	12—कार्या0फ0	13—टेलीफोन	15—गाड़ियों का	16—व्या0	19—विज्ञा0	26—मशीन	27—चिकि0	45—अव0या0सु0	योग
1	अ0नि0,बे0, पौड़ी	700	700			150													1550
2	अ0नि0,बे0, नैनी0	1100	1200			300	10			5			100						2715
3	नैनीताल	1000	1000	10		125													2135
4	पिथौरागढ़	600	600	10			15			5							30		1260
5	चमोली	1100	1100	15	5	120	20			10	25	10			20	50	25	50	2550
6	पौड़ी	800	900			200											40		1940
7	हरिद्वार													25					25
8	उत्तरकाशी	900	900			150													1950
9	बागेश्वर						20										5		25
	योग	6200	6400	35	5	1045	65			20	25	10	100	25	20	50	100	50	14150
	उपलब्ध	16215	21172	220	267	1654	365	83	70	225	200	120	745	840	260	300	148	100	
	शेष	10015	14772	185	262	609	300	83	70	205	175	110	375	815	240	250	48	50	

प्रेषक,

बजट आवंटन

निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा तपोवन रोड देहरादून।

सेवा में,

आहरण वितरण अधिकारी
प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय
ननूरखेड़ा, देहरादून

पत्रांक— अर्थ—2/ /5क(02)/ 09 /2014—15 दिनांक 22 सितम्बर 2014

विषयः— वित्तीय वर्ष 2014—15 के लिए मध्याह्न भोजन योजना के अन्तर्गत प्रथम किश्त की अवशेष धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 1012/XXIV(1)/2014—16/2013 दिनांक 18 सितम्बर 2014 द्वारा मध्याह्न भोजन योजनान्तर्गत भारत सरकार के पत्र संख्या—F.No.1-11-C/2014-E-E-06(MDM-3-1) दिनांक 25.08.2014 द्वारा अवमुक्त केन्द्रांश के दृष्टिगत राज्यांश की धनराशि को शामिल कर संलग्नक—1 में उल्लिखित विवरणानुसार अनुदान स0—11 (सामान्य), अनुदान स0—30 (एस0सी0एस0पी0) व अनुदान स0—31 (टी0एस0पी0) में कुल धनराशि रू0 **2976.85 लाख (उन्नतीस** करोड़ छियत्तर लाख पिच्चासी हजार मात्र) की धनराशि (रू0 1976.96 केन्द्रांश + 999.89 राज्यांश) स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि में से संलग्नक में उल्लिखित विवरणानुसार **रू0 2976.85 लाख (उन्नतीस करोड़ छियत्तर लाख पिच्चासी हजार मात्र)** शासनादेश में उल्लिखित शर्तों तथा प्रतिबन्धों के अधीन आय के निवर्तन पर रखते हुए व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

1— राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा स्वीकृत धनराशि से सम्बन्धित लेखा शीर्षकों के अन्तर्गत कोषागार से धनराशि आहरण का प्रस्ताव, आहरण आदेश सहित निदेशालय को उपलब्ध कराया जायेगा। निदेशालय द्वारा कोषागार से धनराशि आहरण कर चैक राज्य परियोजना निदेशक के नाम निर्गत करवाया जायेगा।

2— वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 318/XXVII(1)/2013, दिनांक 18.03.2014 की शर्तों का अनुपालन वित्तीय वर्ष 2014—15 के आय—व्यय की निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय में सुनिश्चित किया जायेगा।

3— वित्त विभाग उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्याः 183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च 2012 में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार धनराशि पृथक आलटमैंट आई0डी0 के अन्तर्गत सौफटवेयर के माध्यम से आनलाइन अवमुक्त कर दी गयी है, जिसकी अलाटमैंट आई0डी0 संलग्न की जा रही हैं। धनराशि आहरण/व्यय किये जाने हेतु उक्त शासनादेश में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

4— इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014—15 के आय—व्ययक में अनुदान संख्या—11, 30 व 31 के अधीन लेखाशीर्षक 2202—01—प्रारम्भिक शिक्षा के अधीन संलग्नक में उल्लिखित संबधित ब्यौरेवार शीर्षक/सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

भवदीय

संलग्न— अलाटमैंट आई0डी0।

(अमिता जोशी)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड

पृ0सं0— अर्थ—2/ 11551-58 /5क(02)/09 /2014—15 उक्त दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1— महालेखाकार उत्तराखण्ड ओबराय भवन पटेलनगर देहरादून।
2— संयुक्त सचिव विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड शासन, शिक्षा अनुभाग—1 देहरादून।
3— महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।
4— राज्य परियोजना निदेशक, उत्तराखण्ड सभी के लिए शिक्षा परिषद,देहरादून को इस आशय के साथ कि स्वीकृत धनराशि के कोषागार से आहरण का प्रस्ताव, आहरण आदेश सहित निदेशालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
5— वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी साइबर कोषागार देहरादून।
6— उप शिक्षा निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय अधिष्ठान।
7— सूचना प्रकोष्ठ शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड।

(अमिता जोशी)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

मध्याह्न भोजन योजना (रू0 हजार में)

अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	शासन से आबंटित बजट	प्रस्तावित आबंटन	शेष
11	2202	229218	229218	**0**
30	2202	56561	56561	**0**
31	2202	11906	11906	**0**
	योग	**297685**	**297685**	**0**

प्रेषक,

बजट आवंटन

निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा तपोवन रोड देहरादून।

सेवा में,

आहरण वितरण अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय,
ननूरखेड़ा, देहरादून

पत्रांक– अर्थ–2/ /5क(02)/ 09 /2014–15 दिनांक 19 सितम्बर 2014

विषयः– प्रदेश में संचालित मध्याह्न भोजन योजना के अन्तर्गत कार्यरत भोजनमाताओं को प्रोत्साहन धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 1014/XXIV(1)/2014–25/2007,टी0सी0 दिनांक 16.09.2014 द्वारा मध्याह्न भोजन योजनान्तर्गत नियत मानदेय पर कार्यरत भोजन माताओं को शासनादेश स0 1692/XXIV(1)/2013–25/2007,टी0सी0 दिनांक 01.08.2013 द्वारा प्रतिवर्ष प्रोत्साहन राशि स्वीकृत किये जाने की अनुमन्यता के दृष्टिगत चालू वित्तीय वर्ष 2014–15 हेतु प्रति भोजनमाता रू0 1000/– की दर से स्वीकृत किये जाने हेतु अनुदान स0–11, 30 व 31 के अन्तर्गत संलग्नक–1 में उल्लिखित विवरणानुसार रू0 265.80 लाख (रूपये दो करोड़ पैंसठ लाख अस्सी हजार मात्र) स्वीकृत किये गये है। स्वीकृत धनराशि में से संलग्नक में उल्लिखित विवरणानुसार 265.80 लाख (रूपये दो करोड़ पैंसठ लाख अस्सी हजार मात्र) शासनादेश में उल्लिखित शर्तों तथा प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखते हुए व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

1– राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा स्वीकृत धनराशि से सम्बन्धित लेखा शीर्षकों के अन्तर्गत कोषागार से धनराशि आहरण का प्रस्ताव, आहरण आदेश सहित निदेशालय को उपलब्ध कराया जायेगा। निदेशालय द्वारा कोषागार से धनराशि आहरण कर चैक राज्य परियोजना निदेशक के नाम निर्गत करवाया जायेगा।

2– वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 318/XXVII(1)/2013, दिनांक 18.03.2014 की शर्तों का अनुपालन वित्तीय वर्ष 2014–15 के आय–व्यय की निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय में सुनिश्चित किया जायेगा।

3– वित्त विभाग उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्याः 183/XXVII(1)2012 दिनांक 28 मार्च 2012 में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार धनराशि पृथक आलटमैंट आई0डी0 के अन्तर्गत सौफटवेयर के माध्यम से आनलाइन अवमुक्त कर दी गयी है, जिसकी अलाटमैंट आई0डी0 संलग्न की जा रही हैं। धनराशि आहरण/व्यय किये जाने हेतु उक्त शासनादेश में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

4– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014–15 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–11, 30 व 31 के अधीन लेखाशीर्षक 2202–01–प्रारम्भिक शिक्षा के अधीन संलग्नक में उल्लिखित संबधित ब्यौरेवार शीर्षक/सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

भवदीय

संलग्न– अलाटमैंट आई0डी0।

(अमिता जोशी)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड

पृ0सं0– अर्थ–2/ 11368-75 /5क(02)/09 /2014–15 उक्त दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– महालेखाकार उत्तराखण्ड ओबराय भवन पटेलनगर देहरादून।
2– संयुक्त सचिव विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड शासन, शिक्षा अनुभाग–1 देहरादून।
3– महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।
4– राज्य परियोजना निदेशक, उत्तराखण्ड सभी के लिए शिक्षा परिषद, देहरादून को इस आशय के साथ कि स्वीकृत धनराशि के कोषागार से आहरण का प्रस्ताव, आहरण आदेश सहित निदेशालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
5– वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी साइबर कोषागार देहरादून।
6– उप शिक्षा निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय अधिष्ठान।
7– सूचना प्रकोष्ठ शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड।

(अमिता जोशी)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

मध्याह्न भोजन योजना (रू0 हजार में)

अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	शासन से आबंटित बजट	प्रस्तावित आबंटन	शेष
11	2202	20467	20467	**0**
30	2202	5050	5050	**0**
31	2202	1063	1063	**0**
	योग	**26580**	**26580**	**0**

सेवा में,

बजट आवंटन

निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा तपोवन रोड देहरादून।

सेवा में,

1—मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक (प्रारम्भिक शिक्षा)
गढ़वाल मण्डल पौड़ी

2—वित्त अधिकारी शिक्षा
जनपद चम्पावत, नैनीताल, पिथौरागढ़, ऊधम सिंह नगर।

पत्रांक— अर्थ—2/ 110/6-1104)/5क(02)/05/2014—15 दिनांक 15 सितम्बर, 2014

विषयः— वित्तीय वर्ष 2014—15 में प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक (प्रा0शि0) कार्यालय एवं जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0) कार्यालय के संचालन हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

शासनादेश संख्याः 475/XXIV(1)/2014—11/2014 दिनांक 10 अप्रैल 2014 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2014—15 के लिए विभिन्न मदों में व्यय की स्वीकृति प्रदान की गयी है। अवमुक्त धनराशि में से प्राप्त मांग के कम में मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक (प्रा0शि0) कार्यालय/जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0) कार्यालय के संचालन हेतु रू0 49,14000/ की धनराशि शासनादेश में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन संलग्न विवरणानुसार आपके निवर्तन पर रखने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

1— वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 318/XXVII(1)/2013, दिनांक 18.03.2014 की शर्तों का अनुपालन वित्तीय वर्ष 2014—15 के आय—व्यय की निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय में सुनिश्चित किया जायेगा।

2— योजनाओं की विभिन्न मदों पर व्यय शासन के वर्तमान नियमों एवं आदेशों के अनुरूप ही किया जायेगा तथा जहां आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की पूर्व सहमति/स्वीकृति प्राप्त की जाय अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनधिकृत व्यय न किया जाय। मितव्ययता के सम्बन्ध में जारी किये गये शासनादेशों अथवा भविष्य में जारी होने वाले शासनादेशों का विशेष रूप से पालन किया जायेगा। कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले देयको पर लेखा शीर्षक के साथ—साथ अनुदान संख्या तथा आयोजनागत/आयोजनेत्तर का उल्लेख भी किया जाये। व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर प्रत्येक माह की 08 तारीख तक अर्थ अनुभाग को उपलब्ध कराया जाये।

3— वित्त विभाग उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्याः 183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च 2012 में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार धनराशि पृथक आलटमैंट आई0डी0 के अन्तर्गत सौफ्टवेयर के माध्यम से आनलाइन अवमुक्त कर दी गयी है। धनराशि आहरण/व्यय किये जाने हेतु उक्त शासनादेश में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

4— इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014—15 के आय व्ययक में अनुदान संख्या—11, आयोजनेत्तर के अधीन लेखाशीर्षक 2202—सामान्य शिक्षा, 01—प्रारभिक शिक्षा, 104—निरीक्षण, 03—क्षेत्रीय निरीक्षण (2202—02—101—03 से स्थानान्तरित) के अधीन संबंधित सुसंगत प्राथमिक इकाइयों के नामें डाला जायेगा।

भवदीय

Amita

(अमिता जोशी)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

संलग्न— आवंटन।

पृ0सं0— अर्थ—2/ 110/6-1104)/5क(02)/05/2014—15 उक्त दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1— महालेखाकार उत्तराखण्ड ओबराय भवन पटेलनगर देहरादून।
2— संयुक्त सचिव, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन, शिक्षा अनुभाग—1 देहरादून।
3— महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।
4— सम्बन्धित मुख्य/जिला शिक्षा अधिकारी ।
5— सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी
6— सूचना प्रकोष्ठ शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड।

Amita

(अमिता जोशी)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

1– क्षेत्रीय निरीक्षण

(रू0 हजार में)

क्र0	मण्डल / जनपद	01–वेतन	03–महं0 भत्ता	05– स्था0 यात्रा भत्ता	06– अन्य भत्ते	09– विद्युत	10– जलकर	13– टेली फोन	योग
1	गढ़0मण्डल पौड़ी	200	200		100	25	30		**555**
2	चम्पावत	600	100		60				**760**
3	नैनीताल	400			74	25			**499**
4	पिथौरागढ़	800	800		100				**1700**
5	उधम सिंह नगर	600	600	15	75			10	**1300**
	योग	**2600**	**1700**	**15**	**409**	**50**	**30**	**10**	**4814**
	उपलब्ध	18815	22872	282	2063	133	100	130	
	शेष	16215	21172	267	1654	83	70	120	

प्रेषक,

बजट आवंटन

निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा तपोवन रोड देहरादून।

सेवा में,

वित्त अधिकारी, शिक्षा
जनपद

पत्रांक– अर्थ–2/ /5क(02)/06/2014–15 दिनांक 15 सितम्बर, 2014

विषयः– वित्तीय वर्ष 2014–15 में प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं में अतिरिक्त धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

शासनादेश संख्याः 475/XXIV(1)/2014–11/2014 दिनांक 10 अप्रैल 2014 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए विभिन्न मदों में व्यय की स्वीकृति प्रदान की गयी है। स्वीकृत धनराशि में से जनपदों द्वारा प्रेषित मांग पर विकासखण्ड स्तर पर उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय स्थापना हेतु संलग्न विवरणानुसार धनराशि शासनादेश में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। धनराशि उप शिक्षा अधिकारी को तत्काल आनलाइन अवमुक्त कर दी जाय। उप शिक्षा अधिकारियों को धनराशि का आबंटन इस प्रकार किया जाय कि बजट का सन्तुलन बना रहे। **वेतनादि मदों में विकासखण्ड के वास्तविक मासिक व्यय के आधार पर ही आगंणित कर समान रूप से धनराशि अवमुक्त की जाय, आवश्यकता से अधिक धनराशि कदापि अवमुक्त न की जाय। बेसिक शिक्षा परिषद के राजकीयकरण के अन्तर्गत विद्यालयों के विद्युत व जलकर तथा किराया उपशुल्क और कर स्वामित्व बिलों के भुगतान हेतु स्पष्ट मांग तत्काल निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।**

1– वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 318/XXVII(1)/2013, दिनांक 18.03.2014 की शर्तों का अनुपालन वित्तीय वर्ष 2014–15 के आय–व्यय की निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय में सुनिश्चित किया जायेगा।

2– योजनाओं की विभिन्न मदों पर व्यय शासन के वर्तमान नियमों एवं आदेशों के अनुरूप ही किया जायेगा तथा जहां आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की पूर्व सहमति/स्वीकृति प्राप्त की जाय अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनधिकृत व्यय न किया जाय। मितव्ययता के सम्बन्ध में जारी किये गये शासनादेशों अथवा भविष्य में जारी होने वाले शासनादेशों का विशेष रूप से पालन किया जायेगा। कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले देयको पर लेखा शीर्षक के साथ–साथ अनुदान संख्या तथा आयोजनागत/आयोजनेत्तर का उल्लेख भी किया जाये। व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर प्रत्येक माह की 08 तारीख तक अर्थ अनुभाग को उपलब्ध कराया जाये।

3– वित्त विभाग उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्याः 183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च 2012 में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार धनराशि पृथक आलटमैंट आई0डी0 के अन्तर्गत सौफटवेयर के माध्यम से आनलाइन अवमुक्त कर दी गयी है। धनराशि आहरण/व्यय किये जाने हेतु उक्त शासनादेश में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जाय। आई0डी0 के अंकन से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि संलग्न आवंटन आपको ही हुआ है, यदि अन्य आहरण वितरण अधिकारी का आवंटन आपको प्राप्त होता है तो उसे अंकित न कराया जाय और तत्काल निदेशालय को वापस किया जाय।

4– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014–15 के आय व्ययक में अनुदान संख्या–11, आयोजनेत्तर के अधीन लेखाशीर्षक 2202–सामान्य शिक्षा, 01–प्रारम्भिक शिक्षा, के अन्तर्गत संलग्नक में उल्लिखित सुसंगत ब्यौरेवार शीर्षक/प्राथमिक इकाइयों के नामें डाला जायेगा।

संलग्न– आवंटन।

भवदीय

(अमिता जोशी)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ0सं0– अर्थ–2/ 11048-52 /5क(02)/ 06 /2014–15/दिनांक उक्त ।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– महालेखाकार उत्तराखण्ड ओबराय भवन पटेलनगर देहरादून।
2– संयुक्त सचिव, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन, शिक्षा अनुभाग–1 देहरादून।
3– मुख्य शिक्षा अधिकारी सम्बन्धित जनपद।
4– प्रभारी एम0आई0एस0 प्रकोष्ठ शिक्षा निदेशालय।
5– सूचना प्रकोष्ठ शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड।

Amita

(अमिता जोशी)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

1– बेसिक शिक्षा परिषद का राजकीयकरण (रू0 हजार में)

क्र0	जनपद	17– किराया,उपशुल,कर	योग
1	देहरादून	268	268
	योग	**268**	**268**
	उपलब्ध	400	
	अवशेष	132	

2– विकासखण्ड स्तर पर उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय की स्थापना। (रू0 हजार में)

क्र0	जनपद	01–वेतन	03–महं0 भत्ता	05– स्था0 यात्रा भत्ता	06– अन्य भत्ते	09–विद्युत	13–टेलीफोन	16–व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	27–चिकि0 व्यय	योग
1	बागेश्वर	300	350		50		20	50		770
2	उधम सिंह नगर	1000	1200		150					2350
3	चमोली	1500	1800	53	200		55		33	3641
4	रूद्रप्रयाग	500	600		100					1200
5	पौड़ी	3000	3500	2	300					6802
6	टिहरी	2000	2500		200		45			4745
7	हरिद्वार	1200	1400		150	50	10	10		2820
	योग	**9500**	**11350**	**55**	**1150**	**50**	**130**	**60**	33	22328
	उपलब्ध	15400	20300	178	1565	178	265	1500	227	
	अवशेष	5900	8950	123	415	128	135	1440	194	

प्रेषक,

बजट आवंटन

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा, तपोवन रोड, देहरादून।

सेवा में,

आहरण वितरण अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय,
ननूरखेड़ा, देहरादून।

पत्रांक— अर्थ—2/ /5क(02)/09/2014—15 दिनांक: 11 सितम्बर 2014

विषयः— सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2013—14 मे अवमुक्त केन्द्रांश के सापेक्ष कम अवमुक्त अवशेष राज्यांश (Short Fall) की धनराशि रूपये 488.79 लाख अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 966/XXIV(1)/2014—11/2014टी0सी0 दिनांक 03 सितम्बर 2014 द्वारा वित्तीय वर्ष 2013—14 में केन्द्रांश के सापेक्ष रू0 488.79 लाख कम राज्यांश अवमुक्त होने तथा उसे अवमुक्त किये जाने हेतु भारत सरकार के पत्र संख्या—F-10-3/2014-E-E-14XVII(1 के दिनांक 01 जुलाई 2014 में किये गये अनुरोध के दृष्टिगत संलग्नक—1 में उल्लिखित विवरणानुसार अनुदान स0—11 (सामान्य), अनुदान स0—30 (एस0सी0एस0पी0) के अन्तर्गत क्रमशः रू0 308.94 लाख एवं रू0 179.85 लाख अर्थात कुल रू0 488.79 लाख **(रूपये चार करोड़ अठ्ठासी लाख उन्यासी हजार मात्र)** की राज्यांश की धनराशि अवमुक्त की गयी है। अवमुक्त धनराशि में से संलग्नक में उल्लिखित विवरणानुसार **रू0 488.79 लाख (रूपये चार करोड़ अठ्ठासी लाख उन्यासी हजार मात्र)** की शासनादेश में उल्लिखित शर्तों तथा प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखते हुए व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

1— राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा स्वीकृत धनराशि से सम्बन्धित लेखा शीर्षकों के अन्तर्गत कोषागार से धनराशि आहरण का प्रस्ताव, आहरण आदेश सहित निदेशालय को उपलब्ध कराया जायेगा। प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय द्वारा कोषागार से धनराशि आहरण कर चैक राज्य परियोजना निदेशक के नाम निर्गत करवाया जायेगा।

2— वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 318/XXVII(1)/2013, दिनांक 18.03.2014 की शर्तों का अनुपालन वित्तीय वर्ष 2014—15 के आय—व्यय की निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय में सुनिश्चित किया जायेगा।

3— वित्त विभाग उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्याः 183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च 2012 में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार धनराशि पृथक आलटमैंट आई0डी0 के अन्तर्गत सौफटवेयर के माध्यम से आनलाइन अवमुक्त कर दी गयी है, जिसकी अलाटमैंट आई0डी0 संलग्न की जा रही हैं। धनराशि आहरण/व्यय किये जाने हेतु उक्त शासनादेश में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

4— इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014—15 के आय—व्ययक में अनुदान संख्या—11 व 30 के अधीन लेखाशीर्षक 2202—01—प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत संलग्नक में उल्लिखित संबधित ब्यौरेवार शीर्षक/सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

भवदीय,

संलग्न— अलाटमैंट आई0डी0।

(अमिता जोशी)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड

पृ0सं0— अर्थ—2/ 10902 -09 /5क(02)/09/2014—15 दिनांक उक्तवत्।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबराय भवन पटेलनगर, देहरादून।
2— संयुक्त सचिव, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन, शिक्षा अनुभाग—1 देहरादून।
3— महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।
4— राज्य परियोजना निदेशक, उत्तराखण्ड सभी के लिए शिक्षा परिषद को इस आशय के साथ कि स्वीकृत धनराशि के कोषागार से आहरण का प्रस्ताव, आहरण आदेश सहित निदेशालय को उपलब्ध करने का कष्ट करें।
5— वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, साइबर कोषागार, देहरादून।
6— उप शिक्षा निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय अधिष्ठान।
7— सूचना प्रकोष्ठ शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड।

(अमिता जोशी)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड

सर्व शिक्षा अभियान (रू0 हजार में)

अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	शासन से आबंटित बजट	प्रस्तावित आबंटन	शेष
11	2202	30894	30894	**0**
30	2202	17985	17985	**0**
	योग	**48879**	**48879**	**0**

सेवा में,

बजट आवंटन

निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा तपोवन रोड देहरादून।

सेवा में,

1—मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक (प्रारम्भिक शिक्षा)
.....

2—वित्त अधिकारी शिक्षा
जनपद .....

पत्रांक— अर्थ—2/ - - /5क(02)/05/2014—15 दिनांक अगस्त 2014
विषयः— वित्तीय वर्ष 2014—15 में प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक (प्रा0शि0) कार्यालय एवं जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0) कार्यालय के संचालन हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

शासनादेश संख्याः 475/XXIV(1)/2014—11/2014 दिनांक 10 अप्रैल 2014 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2014—15 के लिए विभिन्न मदों में व्यय की स्वीकृति प्रदान की गयी है। अवमुक्त धनराशि में से मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक (प्रा0शि0) कार्यालय/जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0) कार्यालय के संचालन हेतु रू0 ..... की धनराशि शासनादेश में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन संलग्न विवरणानुसार आपके नियतन पर रखने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। मानक मद—12 कार्यालय फर्नीचर के अन्तर्गत गत वर्ष जिन जनपदों के फोटोकापियर मशीन क्रय हेतु धनराशि स्वीकृत नहीं की गई थी उनके द्वारा उक्त मद से फोटोकापियर मशीन का क्रय व अन्य जनपदों के द्वारा आवश्यकतानुसार इन्वर्टर का क्रय भी किया जा सकता है।

1— वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 318/XXVII(1)/2013, दिनांक 18.03.2014 की शर्तों का अनुपालन वित्तीय वर्ष 2014—15 के आय—व्यय की निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय में सुनिश्चित किया जायेगा।

2— योजनाओं की विभिन्न मदों पर व्यय शासन के वर्तमान नियमों एवं आदेशों के अनुरूप ही किया जायेगा तथा जहा आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की पूर्व सहमति/स्वीकृति प्राप्त की जाय अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनधिकृत व्यय न किया जाय। मितव्ययता के सम्बन्ध में जारी किये गये शासनादेशों अथवा भविष्य में जारी होने वाले शासनादेशों का विशेष रूप से पालन किया जायेगा। कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले देयकों पर लेखा शीर्षक के साथ—साथ अनुदान संख्या तथा आयोजनागत/आयोजनेत्तर का उल्लेख भी किया जाये व्यय देयक निर्धारित प्रारूप पर प्रत्येक माह की 08 तारीख तक अर्थ अनुभाग को उपलब्ध कराया जाये।

3— वित्त विभाग उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्याः 183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च 2012 में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार धनराशि पृथक आलटमैंट आई0डी0 के अन्तर्गत सौफ्टवेयर के माध्यम से आनलाइन अवमुक्त कर दी गयी है। धनराशि आहरण/व्यय किये जाने हेतु उक्त शासनादेश में उल्लिखित प्रविधानों के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

4— इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014—15 के आय व्ययक में अनुदान संख्या—11, आयोजनेत्तर के अधीन लेखाशीर्षक 2202—सामान्य शिक्षा, 01—प्रारम्भिक शिक्षा, 104—निरीक्षण, 03—क्षेत्रीय निरीक्षण (2202—02—101—03 से स्थानान्तरित) के अधीन संबंधित सुसंगत प्राथमिक इकाइयों के नामें डाला जायेगा।

भवदीय

संलग्न— आवंटन।

(पी0के0 जोशी)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड

पृ0सं0— अर्थ—2/ - - /5क(02)/05/2014—15 उक्त दिनांक।
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1— महालेखाकार उत्तराखण्ड औबराय भवन पटेलनगर देहरादून
2— संयुक्त सचिव विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन, शिक्षा अनुभाग—1 देहरादून।
3— महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।
4— सम्बन्धित मुख्य/जिला शिक्षा अधिकारी ।
5— सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी
6— सूचना प्रकोष्ठ शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड।

(पी0के0 जोशी)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड

1– क्षेत्रीय निरीक्षण

(रू0 हजार में)

क्र0	जनपद / का0 का नाम	01–वेतन	03–म0भ0	04–यात्रा	05–स्था0या0	06–अ0भ0	08–कार्या0व्यय	09–विद्युत	10–जलकर	11–लेखन	12–कार्या0फ0	13–टेलीफोन	15–गाड़ियों का	16–व्या0	19–विज्ञा0	26–मशीन	27–चिकि0	29–अनुरक्षण	46–कम्यू0हा0	47–कम्यू0अ0	योग
1	अ0नि0 बं0 पौड़ी			10			15			10	100		25	100		50	185	10	45	15	565
2	अ0नि0 बं0 नैनी0				18		15			10	50		50				20	10	45	15	233
3	अल्मोड़ा										50							10	45	15	120
4	बागेश्वर										100							10	45	15	170
5	चम्पावत						10			10	100							10	45	15	190
6	नैनीताल							50		10	50							10	45	15	180
7	पिथौरागढ़			10			10			10	50		50		20		31	10	45	15	251
8	उधम सिंह										50							10	45	15	120
9	चमोली										50							10	45	15	120
10	रूद्रप्रयाग										100							10	45	15	170
11	पौड़ी			10			10	17			50	10			20			10	45	15	187
12	टिहरी										50							10	45	15	120
13	उत्तरकाशी										100	10						10	45	15	180
14	देहरादून										50			60			16	10	45	15	196
15	हरिद्वार										50							10	45	15	120
	योग			30	18		60	67		50	1000	20	125	160	40	50	252	150	675	225	2922
	उपलब्ध	18815	22872	250	300	2063	425	200	100	275	1200	150	600	1000	300	350	400	200	1000	350	
	शेष	18815	22872	220	282	2063	365	133	100	225	200	130	475	840	260	300	148	50	325	125	

कृपया उक्तानुसार आबंटन पत्र का आलेख एवं आबंटन आई0डी0 अनुमोदनार्थ/हस्ताक्षरार्थ प्रस्तुत है। अतः सहमति की दशा में उच्चानुमोदन/हस्ताक्षर प्राप्त करना चाहें।

प्रेषक

बजट आवंटन

निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
नेनूरखेड़ा तपोवन रोड देहरादून।

सेवा में,

वित्त अधिकारी, शिक्षा
समस्त जनपद

पत्रांक— अर्थ—2/ /5क्र(02)/06/2014—15 दिनांक अगस्त 2014

विषय:— वित्तीय वर्ष 2014—15 में प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं में अतिरिक्त धनराशि की स्वीकृति

महोदय,

शासनादेश संख्या: 475/XXIV(1)/2014—11/2014 दिनांक 10 अप्रैल 2014 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2014—15 के लिए विभिन्न मदों में व्यय की स्वीकृति प्रदान की गयी है। स्वीकृत धनराशि में से आपके द्वारा प्रेषित माग पर विकासखण्ड स्तर पर उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय स्थापना हेतु संलग्न विवरणानुसार धनराशि शासनादेश में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। धनराशि उप शिक्षा अधिकारी को तत्काल आनलाइन अवमुक्त कर दी जाय। इस आबंटन में बचनबद्ध एवं अबचनबद्ध मदों की धनराशि को स्वीकृत की जा रही है। विभिन्न मानक मदों में विकासखण्ड की स0 के आधार पर समान दरों पर धनराशि का आवंटन किया जा रहा है। मानक मद 46—कम्प्यूटर हार्डवेयर में लगभग आधे विकासखण्डों को कम्प्यूटर क्रय हेतु रू0 45 लाख की दर से धनराशि अवमुक्त की गई है अतः प्राथमिकता के अनुसार विकासखण्डों को कम्प्यूटर क्रय हेतु धनराशि स्वीकृत की जाय। चिकित्सा प्रतिपूर्ति के भुगतान हेतु सूची संलग्न की जा रही है। **बेसिक शिक्षा परिषद के राजकीयकरण के अन्तर्गत विद्यालयों के विद्युत व जलकर तथा किराया उपशुल्क और कर स्वामित्व बिलों के भुगतान हेतु स्पष्ट मांग तत्काल निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।**

1— वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 318/XXVII(1)/2013, दिनांक 18.03.2014 की शर्तों का अनुपालन वित्तीय वर्ष 2014—15 के आय—व्यय की निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय में सुनिश्चित किया जायेगा।

2— योजनाओं की विभिन्न मदों पर व्यय शासन के वर्तमान नियमों एवं आदेशों के अनुरूप ही किया जायेगा तथा जहां आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की पूर्व सहमति/स्वीकृति प्राप्त की जाय अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अधिकाधिक व्यय न किया जाय। मितव्ययता के सम्बन्ध में जारी किये गये शासनादेशों अथवा भविष्य में जारी होने वाले शासनादेशों का विशेष रूप से पालन किया जायेगा। कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले देयकों पर लेखा शीर्षक के साथ साथ अनुदान संख्या तथा आयोजनागत/आयोजनेत्तर का उल्लेख भी किया जाये। व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर प्रत्येक माह की 08 तारीख तक अर्थ अनुभाग को उपलब्ध कराया जाये।

3— वित्त विभाग उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या: 183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च 2012 में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार धनराशि पृथक आलटमैंट आई0डी0 के अन्तर्गत सौफटवेयर के माध्यम से आनलाइन अवमुक्त कर दी गयी है। धनराशि आहरण/व्यय किये जाने हेतु उक्त शासनादेश में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जाय। आई0डी0 के अंकन से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि संलग्न आवंटन आपको ही हुआ है, यदि अन्य आहरण वितरण अधिकारी का आवंटन आपको प्राप्त होता है तो उसे अंकित न कराया जाय और तत्काल निदेशालय को वापस किया जाय।

4— इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014—15 के आय व्ययक में अनुदान संख्या—11, आयोजनेत्तर के अधीन लेखाशीर्षक 2202—सामान्य शिक्षा, 01—प्रारम्भिक शिक्षा, के अन्तर्गत संलग्नक में उल्लिखित सुसंगत उपशीर्षक/शीर्षक/प्राथमिक इकाइयों के नामें डाला जायेगा।

संलग्न— आवटन।

भवदीय

(पी0के0 जोशी)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड

पृ0स0— अर्थ—2/ /5क्र(02)/06 /2014—15/दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1— महालेखाकार उत्तराखण्ड ओबराय भवन पटेलनगर देहरादून।
2— संयुक्त सचिव, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन, शिक्षा अनुभाग—1 देहरादून।
3— मुख्य शिक्षा अधिकारी सम्बन्धित जनपद।
4— प्रभारी एम0आई0एस0 प्रकोष्ठ शिक्षा निदेशालय।
5— सूचना प्रकोष्ठ शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड।

(पी0के0 जोशी)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड

1– बेसिक शिक्षा परिषद का राजकीयकरण

(रू0 हजार में)

क्र0	जनपद	08–कार्या0 व्यय	11–लेखन सामग्री	27–चिकि0 व्यय	योग
1	अल्मोड़ा	55	55	204	314
2	बागेश्वर	15	15		30
3	चम्पावत	20	20	446	486
4	नैनीताल	40	40	305	385
5	पिथौरागढ़	40	40	128	208
6	उधम सिंह	35	35	149	219
7	चमोली	45	45	295	385
8	रूद्रप्रयाग	15	15	478	508
9	पौड़ी	75	75	846	996
10	टिहरी	45	45	1120	1210
11	उत्तरकाशी	30	30		60
12	देहरादून	30	30	1383	1443
13	हरिद्वार	30	30	288	348
	योग	**475**	**475**	**5642**	**6592**
	उपलब्ध	625	625	12017	
	अवशेष	150	150	6375	

2– विकासखण्ड स्तर पर उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय की स्थापना।

(रू0 हजार में)

क्र0	जनपद	05–स्था0 यात्रा	8–कार्या0 व्यय	11–लेखन सामग्री	12–कार्या 0 फर्नी0	13–टेलीफो न	26–मशीन	27–चिकि0 व्यय	46–कम्प्यू0 हा0	47–कम्प्यू0 अन्0	योग
1	अल्मोड़ा		55	33	110		110		270	77	65
2	बागेश्वर		15	9	30		30		90	21	18
3	चम्पावत		20	12	40	50	40		90	28	28
4	नैनीताल		40	24	80		80		180	56	48
5	पिथौरागढ़		40	24	80		80		180	56	48
6	उधम सिंह		35	21	70		70		180	49	42
7	चमोली	3	45	27	90		90	37	225	63	58
8	रूद्रप्रयाग		15	9	30		30		90	21	19
9	पौड़ी	11	75	45	150		150		360	105	89
10	टिहरी		45	27	90		90	52	225	63	59
11	उत्तरकाशी		30	18	60		60		135	42	34
12	देहरादून		30	18	60		60		135	42	34
13	हरिद्वार		30	18	60		60		135	42	34
	योग	**14**	**475**	**285**	**950**	**50**	**950**	**89**	2295	665	577
	उपलब्ध	192	725	325	1000	315	950	316	2500	700	
	अवशेष	178	250	40	50	265	0	227	205	35	

1– बेसिक शिक्षा परिषद का राजकीयकरण

(रू0 हजार में)

क्र0	जनपद	08–कार्या0 व्यय	11–लेखन सामग्री	27–चिकि0 व्यय	योग
1	अल्मोड़ा	55	55	204	314
2	बागेश्वर	15	15		30
3	चम्पावत	20	20	446	486
4	नैनीताल	40	40	305	385
5	पिथौरागढ़	40	40	128	208
6	उधम सिंह	35	35	149	219
7	चमोली	45	45	295	385
8	रूद्रप्रयाग	15	15	478	508
9	पौड़ी	75	75	846	996
10	टिहरी	45	45	1120	1210
11	उत्तरकाशी	30	30		60
12	देहरादून	30	30	1383	1443
13	हरिद्वार	30	30	288	348
	योग	**475**	**475**	**5642**	**6592**
	उपलब्ध	625	625	12017	
	अवशेष	150	150	6375	

3– विकासखण्ड स्तर पर उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय की स्थापना।

(रू0 हजार में)

क्र0	जनपद	05–स्था0 यात्रा	8–कार्या0 व्यय	11–लेखन सामग्री	12–कार्या 0 फर्नी0	13–टेलीफोन	26–मशीन	27–चिकि0 व्यय	46–कम्प्यू0 हा0	47–कम्प्यू0 अनु0	योग
1	अल्मोड़ा		55	33	110		110		270	77	655
2	बागेश्वर		15	9	30		30		90	21	195
3	चम्पावत		20	12	40	50	40		90	28	280
4	नैनीताल		40	24	80		80		180	56	460
5	पिथौरागढ़		40	24	80		80		180	56	460
	उधम सिंह		35	21	70		70		180	49	425
7	चमोली	3	45	27	90		90	37	225	63	580
8	रूद्रप्रयाग		15	9	30		30		90	21	195
9	पौड़ी	11	75	45	150		150		360	105	896
10	टिहरी		45	27	90		90	52	225	63	592
11	उत्तरकाशी		30	18	60		60		135	42	345
12	देहरादून		30	18	60		60		135	42	345
13	हरिद्वार		30	18	60		60		135	42	345
	योग	**14**	**475**	**285**	**950**	**50**	**950**	**89**	2295	665	5773
	उपलब्ध	192	725	325	1000	315	950	316	2500	700	
	अवशेष	178	250	40	50	265	0	227	205	35	
	कुल योग										**12365**

प्रेषक

बजट आवंटन

निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा तपोवन रोड देहरादून।

सेवा में,

आहरण वितरण अधिकारी
प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय
ननूरखेड़ा, देहरादून

पत्रांक– अर्थ–2/ 7747-54 /5क(02)/ 09 /2014–15 दिनांक 24 जुलाई 2014

विषयः– वित्तीय वर्ष 2014–15 में महिला समाख्या योजना हेतु धनराशि अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 855/XXIV(1)/2014–14/2014 दिनांक 24 जुलाई 2014 के द्वारा भारत सरकार से महिला समाख्या योजना (100 प्रतिशत केन्द्र पोषित योजना) हेतु सामान्य हैड में रू0 100.00 लाख, एस0सी0एस0सी0पी0 में रू0 36.00 लाख, टी0एस0पी0 में रू0 4.00 लाख, कुल रू0 140.00 लाख अवमुक्त होने के दृष्टिगत संलग्नक–1 में उल्लिखित विवरणानुसार अनुदान स0–11 (सामान्य), अनुदान स0–30 (एस0सी0एस0पी0) व अनुदान स0–31 (टी0एस0पी0) में कुल धनराशि रू0 1,40,**00,000**/– (रूपये एक करोड़ चालीस लाख मात्र) की धनराशि अवमुक्त की गयी है। अवमुक्त धनराशि में से संलग्नक में उल्लिखित विवरणानुसार रू0 **1,40,00,000**/– (रूपये एक करोड चालीस लाख मात्र) शासनादेश में उल्लिखित शर्तो तथा प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखते हुए व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

1– प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय द्वारा कोषागार से धनराशि का एकमुस्त आहरण कर चैक राज्य परियोजना निदेशक, महिला समाख्या उत्तराखण्ड के नाम निर्गत करवाया जायेगा।

2– वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 318/XXVII(1)/2013, दिनांक 18.03.2014 की शर्तों का अनुपालन वित्तीय वर्ष 2014–15 के आय–व्यय की निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय में सुनिश्चित किया जायेगा।

3– वित्त विभाग उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च 2012 में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार धनराशि पृथक आलटमैंट आई0डी0 के अन्तर्गत सौफटवेयर के माध्यम से आनलाइन अवमुक्त कर दी गयी है जिसकी अलाटमैंट आई0डी0 संलग्न की जा रही हैं। धनराशि आहरण/व्यय किये जाने हेतु उक्त शासनादेश में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

4– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014–15 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–11, 30 व 31 के अधीन लेखाशीर्षक 2202–01–प्रारम्भिक शिक्षा, के अधीन संलग्नक में उल्लिखित संबधित ब्यौरेवार शीर्षक/सुसगत प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

भवदीय

संलग्न– अलाटमैंट आई0डी0।

(पी0के0 जोशी)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड

पृ0सं0– अर्थ–2/ /5क(02)/09 /2014–15 उक्त दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– महालेखाकार उत्तराखण्ड ओबराय भवन पटेलनगर देहरादून।
2– संयुक्त सचिव विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड शासन, शिक्षा अनुभाग–1 देहरादून।
3– महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।
4– राज्य परियोजना निदेशक, महिला समाख्या, उत्तराखण्ड देहरादून।
5– वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी साइबर कोषागार देहरादून।
6– उप शिक्षा निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय अधिष्ठान।
7– सूचना प्रकोष्ठ शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड।

(पी0के0 जोशी)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

महिला समाख्या योजना (रू0 हजार में)

अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	शासन से आबंटित बजट	प्रस्तावित आबंटन	शेष
11	2202	10000	10000	**0**
30	2202	3600	3600	**0**
31	2202	400	400	**0**
	योग	**14000**	**14000**	**0**

प्रेषक,

बजट आवंटन

निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा तपोवन रोड देहरादून।

सेवा में,

वित्त अधिकारी, शिक्षा
नैनीताल, पिथौरागढ़, देहरादून।

पत्रांक– अर्थ–2/ 7207–16 /5क(02)/06/2014–15 दिनांक 17 जुलाई 2014

विषयः– वित्तीय वर्ष 2014–15 में प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं में अतिरिक्त धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

शासनादेश संख्याः 475/XXIV(1)/2014–11/2014 दिनांक 10 अप्रैल 2014 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए विभिन्न मदों में व्यय की स्वीकृति प्रदान की गयी है। स्वीकृत धनराशि में से आपके द्वारा प्रेषित मांग पर विकासखण्ड स्तर पर उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय स्थापना हेतु संलग्न विवरणानुसार धनराशि शासनादेश में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। धनराशि उप शिक्षा अधिकारी को तत्काल आनलाइन अवमुक्त कर दी जाय।

1– वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 318/XXVII(1)/2013, दिनांक 18.03.2014 की शर्तों का अनुपालन वित्तीय वर्ष 2014–15 के आय–व्यय की निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय में सुनिश्चित किया जायेगा।

2– योजनाओं की विभिन्न मदों पर व्यय शासन के वर्तमान नियमों एवं आदेशों के अनुरूप ही किया जायेगा तथा जहां आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की पूर्व सहमति/स्वीकृति प्राप्त की जाय अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनधिकृत व्यय न किया जाय। मितव्ययता के सम्बन्ध में जारी किये गये शासनादेशों अथवा भविष्य में जारी होने वाले शासनादेशों का विशेष रूप से पालन किया जायेगा। कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले देयको पर लेखा शीर्षक के साथ–साथ अनुदान संख्या तथा आयोजनागत/आयोजनेत्तर का उल्लेख भी किया जाये। व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर प्रत्येक माह की 08 तारीख तक अर्थ अनुभाग को उपलब्ध कराया जाये।

3– वित्त विभाग उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्याः 183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च 2012 में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार धनराशि पृथक आलटमैंट आई0डी0 के अन्तर्गत सौफटवेयर के माध्यम से आनलाइन अवमुक्त कर दी गयी है। धनराशि आहरण/व्यय किये जाने हेतु उक्त शासनादेश में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जाय। आई0डी0 के अंकन से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि संलग्न आवंटन आपको ही हुआ है, यदि अन्य आहरण वितरण अधिकारी का आवंटन आपको प्राप्त होता है तो उसे अंकित न कराया जाय और तत्काल निदेशालय को वापस किया जाय।

4– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014–15 के आय व्ययक में अनुदान संख्या–11, आयोजनेत्तर के अधीन लेखाशीर्षक 2202–सामान्य शिक्षा, 01–प्रारम्भिक शिक्षा, के अन्तर्गत संलग्नक में उल्लिखित सुसंगत ब्यौरेवार शीर्षक/प्राथमिक इकाइयों के नामें डाला जायेगा।

संलग्न– आवंटन।

भवदीय

(पी0के0 जोशी)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ0सं0– अर्थ–2/ /5क(02)/06 /2014–15/दिनांक उक्त ।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– महालेखाकार उत्तराखण्ड ओबराय भवन पटेलनगर देहरादून।
2– संयुक्त सचिव, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन, शिक्षा अनुभाग–1 देहरादून।
3– मुख्य शिक्षा अधिकारी सम्बन्धित जनपद।
4– प्रभारी एम0आई0एस0 प्रकोष्ठ शिक्षा निदेशालय।
5– सूचना प्रकोष्ठ शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड।

(पी0के0 जोशी)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

1– विकासखण्ड स्तर पर उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय की स्थापना। (रू0 हजार में)

क्र0	जनपद	01–वेतन	03–महंगाई भत्ता	05–स्था0यात्रा व्यय	06–अन्य भत्ते	09–विद्युत	27–विकि0 व्यय	योग
1	नैनीताल	1600	1700	8	300	22	141	**3771**
2	पिथौरागढ़	2000	2000		200			**4200**
3	देहरादून	2500	2500		300			**5300**
	योग	**6100**	**6200**	**8**	**800**	**22**	**141**	**13271**
	उपलब्ध	21500	26500	200	2365	200	457	
	अवशेष	15400	20300	192	1565	178	316	

प्रेषक,

बजट आवंटन

निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा तपोवन रोड देहरादून।

सेवा में,

वित्त अधिकारी, शिक्षा
समस्त जनपद।

पत्रांक– अर्थ–2/ 7072-77 /5क(02)/06/2014–15 दिनांक 15 जुलाई 2014

विषयः– वित्तीय वर्ष 2014–15 में प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत शिक्षा मित्रों के मानदेय भुगतान हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

शासनादेश संख्याः 741/XXIV(1)/2014–11/2014 दिनांक 11जुलाई 2014 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए शिक्षा मित्रों के मानदेय भुगतान हेतु धनराशि की स्वीकृति प्रदान की गयी है। स्वीकृत धनराशि में से आपके द्वारा प्रेषित मांग संलग्न विवरणानुसार धनराशि शासनादेश में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। धनराशि उप शिक्षा अधिकारी को तत्काल आनलाइन अवमुक्त कर दी जाय।

1– वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 318/XXVII(1)/2013, दिनांक 18.03.2014 की शर्तों का अनुपालन वित्तीय वर्ष 2014–15 के आय–व्यय की निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय में सुनिश्चित किया जायेगा।

2– योजनाओं की विभिन्न मदों पर व्यय शासन के वर्तमान नियमों एवं आदेशों के अनुरूप ही किया जायेगा तथा जहां आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की पूर्व सहमति/स्वीकृति प्राप्त की जाय अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनधिकृत व्यय न किया जाय। मितव्ययता के सम्बन्ध में जारी किये गये शासनादेशों अथवा भविष्य में जारी होने वाले शासनादेशों का विशेष रूप से पालन किया जायेगा। कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले देयको पर लेखा शीर्षक के साथ–साथ अनुदान संख्या तथा आयोजनागत/आयोजनेत्तर का उल्लेख भी किया जाये। व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर प्रत्येक माह की 08 तारीख तक अर्थ अनुभाग को उपलब्ध कराया जाये।

3– वित्त विभाग उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्याः 183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च 2012 में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार धनराशि पृथक आलटमैंट आई0डी0 के अन्तर्गत सौफटवेयर के माध्यम से आनलाइन अवमुक्त कर दी गयी है। धनराशि आहरण/व्यय किये जाने हेतु उक्त शासनादेश में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जाय। आई0डी0 के अंकन से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि संलग्न आवंटन आपको ही हुआ है, यदि अन्य आहरण वितरण अधिकारी का आवंटन आपको प्राप्त होता है तो उसे अंकित न कराया जाय और तत्काल निदेशालय को वापस किया जाय।

4– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014–15 के आय व्ययक में अनुदान संख्या–11, आयोजनेत्तर के अधीन लेखाशीर्षक 2202–सामान्य शिक्षा, 01–प्रारम्भिक शिक्षा, के अन्तर्गत संलग्नक में उल्लिखित सुसंगत ब्यौरेवार शीर्षक/प्राथमिक इकाइयों के नामें डाला जायेगा।

संलग्न– आवंटन।

भवदीय

(पी0के0 जोशी)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ0सं0–अर्थ–2/ 7072-77 /5क(02)/ 06 /2014–15/दिनांक उक्तवत ।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– महालेखाकार उत्तराखण्ड ओबराय भवन पटेलनगर देहरादून।
2– संयुक्त सचिव, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन, शिक्षा अनुभाग–1 देहरादून।
3– मुख्य शिक्षा अधिकारी सम्बन्धित जनपद।
4– प्रभारी एम0आई0एस0 प्रकोष्ठ शिक्षा निदेशालय।
5– सूचना प्रकोष्ठ शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड।

(पी0के0 जोशी)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

1– शिक्षा मित्रों का मानदेय–

(रू0 हजार में)

क्रमांक	जनपद का नाम	20–सहायक अनुदान/अ0/रा0 स0
1	2	3
1	अल्मोड़ा	22804
2	बागेश्वर	16097
3	चम्पावत	30633
4	नैनीताल	60192
5	पिथौरागढ़	56658
6	उधम सिंह	11513
7	चमोली	26306
8	रूद्रप्रयाग	0
9	पौड़ी	45674
10	टिहरी	51203
11	उत्तरकाशी	47858
12	देहरादून	35483
13	हरिद्वार	28253
	योग	432674
	प्राविधान	560000
	अवशेष	127326

प्रेषक,

बजट आवंटन

निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा तपोवन रोड देहरादून

सेवा में,

आहरण वितरण अधिकारी
प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय
ननूरखेड़ा तपोवन रोड देहरादून।

पत्रांक– अर्थ–2/ /5क(02)/09/2014–15 दिनांक 05 जुलाई 2014

विषयः– वित्तीय वर्ष 2014–15 में राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण हेतु प्रबन्धन मद में बजट स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 565/XXIV(1)/2014–05/2013 दिनांक 30 जून 2014 द्वारा वित्तीय वर्ष 2014–15 के आय व्ययक में अनुदान स0–11 के आयोजनागत पक्ष में राज्य साक्षरता कार्यक्रम के राज्यांश में प्राविधानित धनराशि से रू0 15,00,000/(पन्द्रह लाख मात्र) अवमुक्त की गई है। अवमुक्त धनराशि में से रू0 **15,00,000/(पन्द्रह लाख मात्र)**, शासनादेश में उल्लिखित शर्तों तथा प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखते हुए व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। सम्बन्धित धनराशि को कोषागार से आहरण करते हुए चैक/ड्राफ्ट राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण को उपलब्ध कराया जायेगा।

1– वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 318/XXVII(1)/2013, दिनांक 18.03.2014 की शर्तों का अनुपालन वित्तीय वर्ष 2014–15 के आय–व्यय की निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय में सुनिश्चित किया जायेगा।

2– वित्त बिभाग उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्याः 183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च 2012 में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार धनराशि पृथक अलाटमैंट आई0डी0 के अन्तर्गत सौफटवेयर के माध्यम से आनलाइन अवमुक्त कर दी गयी है जिसकी अलाटमैंट आई0डी0 संलग्न की जा रही हैं। धनराशि आहरण/व्यय किये जाने हेतु उक्त शासनादेश में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

3– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014–15 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–11 के अधीन लेखाशीर्षक 2202–सामान्य शिक्षा, 01–प्रारम्भिक शिक्षा, 102–अराजकीय प्राथमिक विद्यालयों को सहायता, 01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र पुरोनिधानित योजनाऐं, 0101–राष्ट्रीय साक्षरता कार्यक्रम, 20–सहायक अनुदान/अंशदान/राजसहायता के नामें डाला जायेगा।

भवदीय

संलग्न– अलाटमैंट आई0डी0।

(पी0के0 जोशी)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड

पृ0सं0– अर्थ–2/ 6451-56 /5क(02)/09/2014–15 दिनांक उक्त दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– महालेखाकार उत्तराखण्ड ओबराय भवन पटेलनगर देहरादून।
2– संयुक्त सचिव विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड शासन, शिक्षा अनुभाग–1 देहरादून।
3– महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।
4– वरिष्ठ कोषाधिकारी/ कोषाधिकारी साइबर कोषागार देहरादून।
5– राज्य परियोजना प्रबन्धक,राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण, देहरादून।
6– सूचना प्रकोष्ठ शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड।

5/7/14

(पी0के0 जोशी)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

प्रेषक,

बजट आवंटन

निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा तपोवन रोड देहरादून।

सेवा में,

आहरण वितरण अधिकारी
प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय
ननूरखेड़ा, देहरादून

पत्रांक— अर्थ—2/ /5क(02)/ 09 /2014—15 दिनांक 27 जून 2014

विषयः— वित्तीय वर्ष 2014—15 के लिए सर्व शिक्षा अभियान योजनान्तर्गत अवमुक्त केन्द्रांश के सापेक्ष राज्यांश की धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 740/XXIV(1)/2014—11/2014 दिनांक 23 जून 2014 द्वारा सर्व शिक्षा अभियान योजनान्तर्गत अवमुक्त केन्द्रांश के दृष्टिगत राज्यांश की धनराशि को शामिल कर संलग्नक—1 में उल्लिखित विवरणानुसार अनुदान स0—11 (सामान्य), अनुदान स0—30 (एस0सी0एस0पी0) व अनुदान स0—31 (टी0एस0पी0) में कुल धनराशि रू0 1,53,**83,18,000**/—(रूपये एक अरब तिरपन करोड़ तिरासी लाख अठारह हजार मात्र) की धनराशि (रू0 9999.07 लाख केन्द्रांश + 5384.11 लाख राज्यांश) अवमुक्त की गयी है। अवमुक्त धनराशि में से संलग्नक में उल्लिखित विवरणानुसार रू0 1,53,**83,18,000**/—(रूपये एक अरब तिरपन करोड़ तिरासी लाख अठारह हजार मात्र) शासनादेश में उल्लिखित शर्तों तथा प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखते हुए व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

1— राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा स्वीकृत धनराशि से सम्बन्धित लेखा शीर्षकों के अन्तर्गत कोषागार से धनराशि आहरण का प्रस्ताव, आहरण आदेश सहित निदेशालय को उपलब्ध कराया जायेगा। प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय द्वारा कोषागार से धनराशि आहरण कर चैक राज्य परियोजना निदेशक के नाम निर्गत करवाया जायेगा।

2— वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 318/XXVII(1)/2013, दिनांक 18.03.2014 की शर्तों का अनुपालन वित्तीय वर्ष 2014—15 के आय—व्यय की निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय में सुनिश्चित किया जायेगा।

3— वित्त विभाग उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्याः 183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च 2012 में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार धनराशि पृथक आलटमैंट आई0डी0 के अन्तर्गत सौफटवेयर के माध्यम से आनलाइन अवमुक्त कर दी गयी है जिसकी अलाटमैंट आई0डी0 संलग्न की जा रही हैं। धनराशि आहरण/व्यय किये जाने हेतु उक्त शासनादेश में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

4— इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014—15 के आय—व्ययक में अनुदान संख्या—11, 30 व 31 के अधीन लेखाशीर्षक 2202—01—प्रारम्भिक शिक्षा, 4202—शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय—01—सामान्य शिक्षा के अधीन संलग्नक में उल्लिखित संबधित ब्यौरेवार शीर्षक/सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

भवदीय

संलग्न— अलाटमैंट आई0डी0।

(पी0के0 जोशी)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड

पृ0सं0— अर्थ—2/ 5933-39 /5क(02)/09 /2014—15 उक्त दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1— महालेखाकार उत्तराखण्ड ओबराय भवन पटेलनगर देहरादून।
2— संयुक्त सचिव विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड शासन, शिक्षा अनुभाग—1 देहरादून।
3— महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।
4— राज्य परियोजना निदेशक, उत्तराखण्ड सभी के लिए शिक्षा परिषद को इस आशय के साथ कि स्वीकृत धनराशि के कोषागार से आहरण का प्रस्ताव, आहरण आदेश सहित निदेशालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
5— वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी साइबर कोषागार देहरादून।
6— उप शिक्षा निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय अधिष्ठान।
7— सूचना प्रकोष्ठ शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड।

27/6/14
(पी0के0 जोशी)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

सर्व शिक्षा अभियान (रू0 हजार में)

अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	शासन से आबंटित बजट	प्रस्तावित आबंटन	शेष
11	2202	1009363	1009363	**0**
	4002	97765	97765	**0**
30	2202	348235	348235	**0**
	4202	33729	33729	**0**
31	2202	44880	44880	**0**
	4202	4346	4346	**0**
	योग	**1538318**	**1538318**	**0**

प्रेषक,

बजट आवंटन

निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा तपोवन रोड देहरादून।

सेवा में,

आहरण वितरण अधिकारी
प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय
ननूरखेड़ा, देहरादून

पत्रांक– अर्थ–2/ /5क(02)/ 09 /2014–15 दिनांक 10, जून 2014

विषयः– वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए मध्याह्न भोजन योजना के अन्तर्गत धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 645/XXIV(1)/2014–16/2013 दिनांक 30 मई 2014 एवं शासनादेश संख्या 721/XXIV(1)/2014–16/2013 दिनांक 06 जून 2014 द्वारा मध्याह्न भोजन योजनान्तर्गत अवमुक्त केन्द्रांश के दृष्टिगत राज्यांश की धनराशि को शामिल कर संलग्नक–1 में उल्लिखित विवरणानुसार अनुदान स0–11 (सामान्य), अनुदान स0–30 (एस0सी0एस0पी0) व अनुदान स0–31 (टी0एस0पी0) में कुल धनराशि रू0 **38,17,03,000**/–(अड़तीस करोड़ सत्रह लाख तीन हजार मात्र) की धनराशि (रू0 2680.20 केन्द्रांश + 1136.83 राज्यांश) अवमुक्त की गयी है। अवमुक्त धनराशि में से संलग्नक में उल्लिखित विवरणानुसार रू0 38,17,03,000/–(अड़तीस करोड़ सत्रह लाख तीन हजार मात्र) शासनादेश में उल्लिखित शर्तों तथा प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखते हुए व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

1– राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा स्वीकृत धनराशि से सम्बन्धित लेखा शीर्षकों के अन्तर्गत कोषागार से धनराशि आहरण का प्रस्ताव, आहरण आदेश सहित निदेशालय को उपलब्ध कराया जायेगा। निदेशालय द्वारा कोषागार से धनराशि आहरण कर चैक राज्य परियोजना निदेशक के नाम निर्गत करवाया जायेगा।

2– वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 318/XXVII(1)/2013, दिनांक 18.03.2014 की शर्तों का अनुपालन वित्तीय वर्ष 2014–15 के आय–व्यय की निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय में सुनिश्चित किया जायेगा।

3– वित्त विभाग उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्याः 183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च 2012 में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार धनराशि पृथक आलटमैंट आई0डी0 के अन्तर्गत सौफटवेयर के माध्यम से आनलाइन अवमुक्त कर दी गयी है जिसकी अलाटमैंट आई0डी0 संलग्न की जा रही हैं। धनराशि आहरण/व्यय किये जाने हेतु उक्त शासनादेश में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

4– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014–15 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–11, 30 व 31 के अधीन लेखाशीर्षक 2202–01–प्रारम्भिक शिक्षा के अधीन संलग्नक में उल्लिखित संबधित ब्यौरेवार शीर्षक/सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

भवदीय

संलग्न– अलाटमैंट आई0डी0।

(पी0के0 जोशी)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड

पृ0सं0– अर्थ–2/5157-66/5क(01)/ /2014–15 उक्त दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– महालेखाकार उत्तराखण्ड ओबराय भवन पटेलनगर देहरादून।
2– संयुक्त सचिव विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड शासन, शिक्षा अनुभाग–1 देहरादून।
3– महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।
4– राज्य परियोजना निदेशक, उत्तराखण्ड सभी के लिए शिक्षा परिषद को इस आशय के साथ कि स्वीकृत धनराशि के कोषागार से आहरण का प्रस्ताव, आहरण आदेश सहित निदेशालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
5– वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी साइबर कोषागार देहरादून।
6– उप शिक्षा निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय अधिष्ठान।
7– सूचना प्रकोष्ठ शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड।

6/6/14
(पी0के0 जोशी)
वित्त नियन्त्रक

मध्याह्न भोजन योजना (रू0 हजार में)

अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	शासन से आबंटित बजट	प्रस्तावित आबंटन	शेष
11	2202	274712	274712	**0**
30	2202	94776	94776	**0**
31	2202	12215	12215	**0**
	योग	**381703**	**381703**	**0**

प्रेषक,

बजट आवंटन

निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा तपोवन रोड देहरादून।

सेवा में,

वित्त अधिकारी, शिक्षा
[illegible]

पत्रांक– अर्थ–2/ 2081-06 /5क(02)/06/2014–15 दिनांक 13 अप्रैल 2014

विषयः– वित्तीय वर्ष 2014–15 में प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं में धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

शासनादेश संख्याः 475/XXIV(1)/2014–11/2014 दिनांक 10 अप्रैल 2014 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए विभिन्न मदों में व्यय की स्वीकृति प्रदान की गयी है। स्वीकृत धनराशि में से बेसिक शिक्षा परिषद का राजकीयकरण तथा विकासखण्ड स्तर पर उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय स्थापना हेतु रू0 [illegible] की धनराशि शासनादेश में उल्लिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन संलग्न विवरणानुसार आपके निवर्तन पर रखने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। धनराशि उप शिक्षा अधिकारी को तत्काल आनलाइन अवमुक्त कर दी जाय। इस आबंटन में वेतनादि मदों के साथ साथ बचनबद्ध एवं अवचनबद्ध मदों की धनराशि भी स्वीकृत की जा रही है। मानक मद 04–यात्रा भत्ता, 08–कार्या0 व्यय, 11– लेखन सामग्री 13–टेलीफोन व्यय में विकासखण्डों की स0 के आधार पर धनराशि का आबंटन किया जा रहा है। चिकित्सा प्रतिपूर्ति के भुगतान हेतु सूची संलग्न की जा रही है। उप शिक्षा अधिकारियों को धनराशि का आबंटन इस प्रकार किया जाय कि बजट का सन्तुलन बना रहे। **वेतनादि मदों में विकासखण्ड के वास्तविक मासिक व्यय के आधार पर ही आगंणित कर धनराशि अवमुक्त की जाय, आवश्यकता से अधिक धनराशि कदापि अवमुक्त न की जाय। बेसिक शिक्षा परिषद के राजकीयकरण के अन्तर्गत विद्यालयों के विद्युत व जलकर तथा किराया उपशुल्क और कर स्वामित्व बिलों के भुगतान हेतु स्पष्ट मांग तत्काल निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।**

1– वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 318/XXVII(1)/2013, दिनांक 18.03.2014 की शर्तों का अनुपालन वित्तीय वर्ष 2014–15 के आय–व्यय की निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय में सुनिश्चित किया जायेगा।

2– योजनाओं की विभिन्न मदों पर व्यय शासन के वर्तमान नियमों एवं आदेशों के अनुरूप ही किया जायेगा तथा जहां आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की पूर्व सहमति/स्वीकृति प्राप्त की जाय अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनधिकृत व्यय न किया जाय। मितव्ययता के सम्बन्ध में जारी किये गये शासनादेशों अथवा भविष्य में जारी होने वाले शासनादेशों का विशेष रूप से पालन किया जायेगा। कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले देयको पर लेखा शीर्षक के साथ–साथ अनुदान संख्या तथा आयोजनागत/आयोजनेत्तर का उल्लेख भी किया जाये। व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर प्रत्येक माह की 08 तारीख तक अर्थ अनुभाग को उपलब्ध कराया जाये।

3– वित्त विभाग उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्याः 183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च 2012 में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार धनराशि पृथक आलटमैंट आई0डी0 के अन्तर्गत सौफटवेयर के माध्यम से आनलाइन अवमुक्त कर दी गयी है। धनराशि आहरण/व्यय किये जाने हेतु उक्त शासनादेश में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जाय। आई0डी0 के अंकन से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि संलग्न आवंटन आपको ही हुआ है, यदि अन्य आहरण वितरण अधिकारी का आवंटन आपको प्राप्त होता है तो उसे अंकित न कराया जाय और तत्काल निदेशालय को वापस किया जाय।

4– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014–15 के आय व्ययक में अनुदान संख्या–11, आयोजनेत्तर के अधीन लेखाशीर्षक 2202–सामान्य शिक्षा, 01–प्रारम्भिक शिक्षा, के अन्तर्गत संलग्नक में उल्लिखित सुसंगत ब्यौरेवार शीर्षक/प्राथमिक इकाइयों के नामें डाला जायेगा।

संलग्न– आवंटन।

भवदीय

(पी0के0 जोशी)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ0सं0– अर्थ–2/ 2081-06 /5क(02)/ 06 /2014–15/दिनांक उक्त ।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– महालेखाकार उत्तराखण्ड ओबराय भवन पटेलनगर देहरादून।
2– संयुक्त सचिव, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन, शिक्षा अनुभाग–1 देहरादून।
3– मुख्य शिक्षा अधिकारी सम्बन्धित जनपद।
4– प्रभारी एम0आई0एस0 प्रकोष्ठ शिक्षा निदेशालय।
5– सूचना प्रकोष्ठ शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड।

13/5/14

(पी0के0 जोशी)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड

1– बेसिक शिक्षा परिषद का राजकीयकरण (रू0 हजार में)

क्र0	जनपद	01–वेतन	03–महंगाई भत्ता	06–अन्य भत्ते	08–कार्या0 व्यय	11–लेखन सामग्री	27–चिकि0 व्यय	योग
1	अल्मोड़ा	537355	537355	59109	55	55	11	**1133940**
2	बागेश्वर	169552	169552	18651	15	15	177	**357962**
3	चम्पावत	184190	184190	20261	20	20	552	**389233**
4	नैनीताल	462971	462971	50927	40	40	464	**977413**
5	पिथौरागढ़	344627	344627	37909	40	40	0	**727243**
6	उधम सिंह	544571	544571	59903	35	35	0	**1149115**
7	चमोली	343519	343519	37787	45	45	222	**725137**
8	रूद्रप्रयाग	206378	206378	22702	15	15	0	**435488**
9	पौड़ी	668965	668965	73586	75	75	181	**1411847**
10	टिहरी	566999	566999	62370	45	45	261	**1196719**
11	उत्तरकाशी	289946	289946	31894	30	30	795	**612641**
12	देहरादून	422813	422813	46509	30	30	320	**892515**
13	हरिद्वार	384516	384516	42297	30	30	0	**81138**
	योग	**5126402**	**5126402**	**563905**	**475**	**475**	**2983**	**10820642**
	प्राविधान	7500000	8250000	825000	1100	1100	15000	
	अवशेष	2373598	3123598	261095	625	625	12017	

3– विकासखण्ड स्तर पर उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय की स्थापना। (रू0 हजार में)

क्र0	जनपद	01–वेतन	03–महंगाई भत्ता	04–यात्रा व्यय	06–अन्य भत्ते	8–कार्या0 व्यय	11–लेखन सामग्री	13–टेलीफोन	27–चिकि0व्यय	योग
1	अल्मोड़ा	3300	3300	55	363	55	55	33	35	**7196**
2	बागेश्वर	900	900	15	99	15	15	9		**1953**
3	चम्पावत	1200	1200	20	132	20	20	12		**2604**
4	नैनीताल	2400	2400	40	264	40	40	24		**5208**
5	पिथौरागढ़	2400	2400	40	264	40	40	24		**5208**
6	उधम सिंह	2100	2100	35	231	35	35	21		**4557**
7	चमोली	2700	2700	45	297	45	45	27		**5859**
8	रूद्रप्रयाग	900	900	15	99	15	15	9		**1953**
9	पौड़ी	4500	4500	75	495	75	75	45	8	**9773**
10	टिहरी	2700	2700	45	297	45	45	27		**5859**
11	उत्तरकाशी	1800	1800	30	198	30	30	18		**3906**
12	देहरादून	1800	1800	30	198	30	30	18		**3906**
13	हरिद्वार	1800	1800	30	198	30	30	18		**3906**
	योग	**28500**	**28500**	**475**	**3135**	**475**	**475**	**285**	**43**	**61888**
	प्राविधान	50000	55000	800	5500	1200	800	600	500	
	अवशेष	21500	26500	325	2365	725	325	315	457	
	कुल योग									**10882530**

प्रेषक,

निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा तपोवन रोड देहरादून।

बजट आवंटन

सेवा में,

आहरण वितरण अधिकारी
प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय,
ननूरखेड़ा तपोवन रोड देहरादून।

पत्रांक–अर्थ–2/ 1251-96 /5क(02)/03/2014–15 दिनांक 25 अप्रैल 2014

विषयः– वित्तीय वर्ष 2014–15 में प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

शासनादेश संख्याः 475/XXIV(1)/2014–11/2014 दिनांक 10 अप्रैल 2014 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए विभिन्न मदों में व्यय की स्वीकृति प्रदान की गयी है। स्वीकृत धनराशि में से प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय के संचालन हेतु रू0 **34720000/–** **(रुपये तीन करोड़ सैंतालीस लाख बीस हजार मात्र)** शासनादेश में उल्लिखित शर्तों तथा प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखते हुए व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

1– वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 318/XXVII(1)/2013, दिनांक 18.03.2014 की शर्तों का अनुपालन वित्तीय वर्ष 2014–15 के आय–व्यय की निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय में सुनिश्चित किया जायेगा।

2– वित्त विभाग उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्याः 183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च 2012 में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार धनराशि पृथक आलटमैंट आई0डी0 के अन्तर्गत सौफटवेयर के माध्यम से आनलाइन अवमुक्त कर दी गयी है जिसकी अलाटमैंट आई0डी0 संलग्न की जा रहीं हैं। धनराशि आहरण/व्यय किये जाने हेतु उक्त शासनादेश में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

3– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014–15 के आय व्ययक के अनुदान संख्या–11, आयोजनागत के अधीन लेखाशीर्षक 2202–सामान्य शिक्षा, 01–प्रारभिक शिक्षा, 001–निदेशक एवं प्रशासन, 03–निदेशालय का अधिष्ठान (02–001–03 से स्थानान्तरित) के अधीन संबंधित सुसंगत प्राथमिक इकाइयों के नामें डाला जायेगा।

भवदीय

संलग्न– आवंटन।

(पी0के0 जोशी)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ0सं0– अर्थ–2/ 1251-96 /5क(01)/03/2014–15 उक्त दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– महालेखाकार उत्तराखण्ड ओबराय भवन पटेलनगर देहरादून।
2– संयुक्त सचिव, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन, शिक्षा अनुभाग–1 देहरादून।
3– महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।
4– वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी साइबर कोषागार देहरादून।
5– उप शिक्षा निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय अधिष्ठान।
6– सूचना प्रकोष्ठ शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड।

25/4/14

(पी0के0 जोशी)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - 20142015

Director Elementary Education (4514)

आवंटन पत्र संख्या - -

अलोटमेंट आई डी - H1404110923

अनुदान संख्या - 011

आवंटन पत्र दिनांक -22-Apr-2014

DDO Name - Director Elementry Education (4514) , Treasury - Cpao (1200)

1: लेखा शीर्षक 2202 - सामान्य शिक्षा

01 - प्रारम्भिक शिक्षा

001 - निदेशन तथा प्रशासन

03 - निदेशालय अधिष्ठान (02-001-03 से स्थानांतरित)

00 - निदेशालय अधिष्ठान (02-001-03 में स्थानान्तरित)

Plan Voted

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	योग
01 - वेतन	0	14000000	14000000
02 - मजदूरी	0	30000	30000
03 - महंगाई भत्ता	0	15400000	15400000
04 - यात्रा व्यय	0	200000	200000
05 - स्थानान्तरण यात्रा व्यय	0	200000	200000
06 - अन्य भत्ते	0	1540000	1540000
07 - मानदेय	0	30000	30000
08 - कार्यालय व्यय	0	230000	230000
09 - विद्युत देय	0	200000	200000
10 - जलकर / जल प्रभार	0	20000	20000
11 - लेखन सामग्री और फार्मों की छ	0	200000	200000
12 - कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	0	200000	200000
13 - टेलीफोन पर व्यय	0	100000	100000
15 - गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रो	0	400000	400000
16 - व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओ	0	570000	570000
17 - किराया, उपशुल्क और कर-स्वा	0	100000	100000
18 - प्रकाशन	0	100000	100000
19 - विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन	0	200000	200000
22 - आतिथ्य व्यय विषयक भत्ता आ	0	40000	40000
26 - मशीनें और सज्जा /उपकरण औ	0	200000	200000
27 - चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति	0	150000	150000
29 - अनुरक्षण	0	100000	100000
44 - प्रशिक्षण व्यय	0	150000	150000
45 - अवकाश यात्रा व्यय	0	50000	50000
46 - कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर	0	150000	150000
47 - कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी	0	160000	160000
	0	**34720000**	**34720000**

Total Current Allotment To DDO In Above Schemes - 34720000

प्रेषक,

बजट आवंटन

निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा तपोवन रोड देहरादून।

सेवा में,

जिला शिक्षा अधिकारी
समस्त।

पत्रांक– अर्थ–2/ 1277-87 /5क(02)/04/2014–15 दिनांक 26 अप्रैल 2014

विषयः– वित्तीय वर्ष 2014–15 में अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूलों तथा सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के सम्बद्ध प्राइमरी प्रभाग में कार्यरत शिक्षकों/कर्मचारियों के वेतन भुगतान हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

शासनादेश स0 शासनादेश संख्याः 475/XXIV(1)/2014–11/2014 दिनांक 10 अप्रैल 2014 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए विभिन्न मदों में व्यय की स्वीकृति प्रदान की गयी है। स्वीकृत धनराशि में से अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूलों विद्यालयों तथा सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के सम्बद्ध प्राइमरी प्रभाग में नियमानुसार सृजित पदों के सापेक्ष अनुमोदित एवं कार्यरत शिक्षकों/कर्मचारियों के नियमित मासिक वेतन भुगतान हेतु रू0 6434340001 की धनराशि शासनादेश में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन संलग्न विवरणानुसार आपके निवर्तन पर रखने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। कृपया देयकों का भुगतान नियमानुसार समयान्तर्गत करने का कष्ट करें।

1– वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 318/XXVII(1)/2013, दिनांक 18.03.2014 की शर्तों का अनुपालन वित्तीय वर्ष 2014–15 के आय–व्यय की निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय में सुनिश्चित किया जायेगा।

2– योजनाओं की विभिन्न मदों पर व्यय शासन के वर्तमान नियमों एवं आदेशों के अनुरूप ही किया जायेगा तथा जहां आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की पूर्व सहमति/स्वीकृति प्राप्त की जाय अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनधिकृत व्यय न किया जाय। मितव्ययता के सम्बन्ध में जारी किये गये शासनादेशों अथवा भविष्य में जारी होने वाले शासनादेशों का विशेष रूप से पालन किया जायेगा। कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले देयको पर लेखा शीर्षक के साथ–साथ अनुदान संख्या तथा आयोजनागत/आयोजनेत्तर का उल्लेख भी किया जाये। व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर प्रत्येक माह की 08 तारीख तक अर्थ अनुभाग को उपलब्ध कराया जाये।

3– वित्त विभाग उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्याः 183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च 2012 में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार धनराशि पृथक आलटमैंट आई0डी0 के अन्तर्गत सौफटवेयर के माध्यम से आनलाइन अवमुक्त कर दी गयी है। धनराशि आहरण/व्यय किये जाने हेतु उक्त शासनादेश में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जाय। आई0डी0 के कोषागार में अंकन से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि संलग्न आवंटन आपको ही हुआ है, यदि अन्य आहरण वितरण अधिकारी का आवंटन आपको प्राप्त होता है तो उसे कोषागार में अंकित न कराया जाय और तत्काल निदेशालय को वापस किया जाय।

4– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014–15 के आय व्ययक में अनुदान संख्या–11, आयोजनेत्तर के अधीन लेखाशीर्षक 2202–सामान्य शिक्षा, 01–प्रारम्भिक शिक्षा, 102–अराजकीय प्राथमिक विद्यालयों को सहायता के अन्तर्गत संलग्नक में उल्लिखित सुसंगत ब्यौरेवार शीर्षक/प्राथमिक इकाइयों के नामें डाला जायेगा।

संलग्न– आवंटन।

भवदीय

(पी0के0 जोशी)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ0सं0– अर्थ–2/ 1277-87 /5क(02)/ 04 /2014–15/दिनांक उक्त ।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– महालेखाकार उत्तराखण्ड ओबराय भवन पटेलनगर देहरादून।
2– संयुक्त सचिव, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन, शिक्षा अनुभाग–1 देहरादून।
3– वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी सम्बन्धित जनपद।
4– प्रभारी एम0आई0एस0 प्रकोष्ठ शिक्षा निदेशालय।
5– सूचना प्रकोष्ठ शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड।

26/4/14

(पी0के0 जोशी)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

क्रमांक	जनपद का नाम	43–वेतन भत्ते के लिए सहायक अनुदान		
		सहा0प्रा0 जू0हाईस्कूल	सम्बद्ध प्राइमरी विद्या0	योग
1	2	3	4	5
1	अल्मोड़ा	50301	4307	54608
2	बागेश्वर	16223	0	16223
3	चम्पावत	12296	0	12296
4	नैनीताल	46235	1765	48000
5	पिथौरागढ़	16138	1537	17675
6	उधम सिंह	66974	4117	71091
7	चमोली	26231	0	26231
8	रूद्रप्रयाग	47068	0	47068
9	पौड़ी	57281	0	57281
10	टिहरी	58244	0	5824
11	उत्तरकाशी		0	0
12	देहरादून	118785	14722	133507
13	हरीद्वार	94265	5945	100210
	योग	**610041**	**32393**	**642434**
	प्राविधान	862844	47250	
	अवशेष	252803	14857	